खण्ड-310, अंक-2
गुरूवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1896
(25 जुलाई, 1974 ई0)

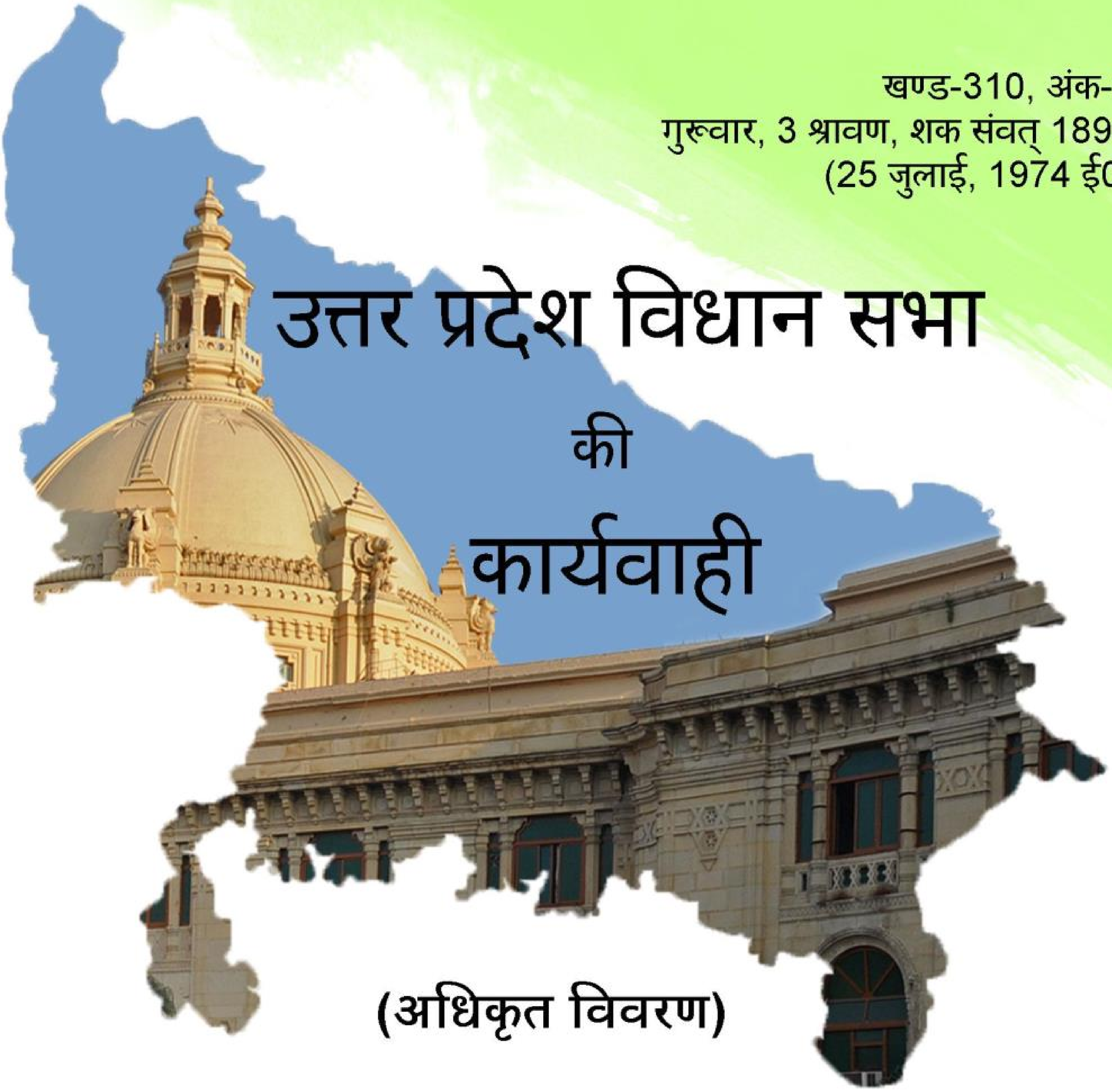

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९४

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियाँ (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहाँपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहिरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाम सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर,श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन, त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री

नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरनचन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारेलाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुररहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बाँके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती

यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुरचन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री

बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह, यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूपा कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ जुलाई, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जयनारायण इन्टर कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

**१—श्री तेज नारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद के जय नारायण इन्टर कालेज के कर्मचारियों को पिछले आठ माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अनेकों शिकायती-पत्र जिला विद्यालय परीक्षक को विगत मासों में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन दिलाने एवं विद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो किन-किन विशेष परिस्थितियों में ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ के सभी कर्मचारियों को जून, १९७४ तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। केवल एक सहायक लिपिक का दिनाँक ३०-१०-७३ से अब तक का भुगतान नहीं हुआ है। उक्त सहायक लिपिक के वेतन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को तीन शिकायती पत्र मार्च ७४, मई ७४ तथा जुलाई ७४ में प्राप्त हुये। जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन दिलाने के सम्बन्ध में उक्त शिकायती पत्रों के आधार पर प्रबन्धक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया और दिनाँक १६-७-७४ को यह निर्देश दिया कि उक्त सहायक लिपिक के अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय किया जाय तथा अवकाश के उपरान्त दिनाँक २९-१-७४ से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् के कार्यकाल के वेतन का भुगतान करने की तुरन्त कार्यवाही की जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

मान्यवर क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि २९-१-७४ जबसे लिपिक ने कार्यभार ग्रहण किया है, उसके उपरान्त वेतन का भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्यों नहीं किया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जिला विद्यालय निरीक्षक को तो वेतन का भुगतान करना नहीं होता, प्रबंधक को वेतन का भुगतान करना होता है। इस संबंध में कई एक प्रश्न अभी हैं उनका निर्णय लेकर जल्दी वेतन का भुगतान हो जायेगा।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई ७४ का जो पे-बिल बनाया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया है उसमें इस लिपिक का वेतन लगाया गया है, यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में मंत्री महोदय कोई आदेश देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जिस बात का जिक्र किया गया है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने निवेदन किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबन्धक को लिख दिया गया है कि छुट्टी का जो मसला है और जो वेतन है, इन दोनों पर जल्दी निर्णय लेकर मुझे सूचना दी जाय।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक को सिंगिल आपरेशन करके वेतन भुगतान करने का अधिकार है। फिर भी इस अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। तो इसका क्या कारण है ? जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार है कि सीलिंग आपरेशन द्वारा भुगतान किया जा सकता है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, यह बात सही है। सम्मिलित खाते से प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक, दोनों मिलकर पैसा निकालकर भुगतान करते हैं। लेकिन इस संबंध में यह है कि उनके यहाँ स्पेशल आडिट हुआ और उस समय प्रबंधक ने यह आज्ञा निकाली कि कोई भी लिपिक बाहर न जाय रोज हाजिर रहे। संबंधित लिपिक श्री सुरेश प्रसाद शुक्ल, ने लम्बी छुट्टी चिकित्सा अवकाश ले लिया। उनको दफ्तर में आने के लिए कहा गया, उन्होंने कागजात भी नहीं दिये हैं। प्रबन्धक ने जो उन्होंने छुट्टी ली थी उसका सिविल सर्जन का सर्टीफिकेट माँगा, वह भी उन्होंने नहीं दिया और त्यागपत्र भी दे दिया। यह सारे मसले अभी अनिर्णीत हैं और इसलिये उनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, यह जय नारायण इंटर कालेज, लखनऊ का एक बड़ा कालेज है। यहाँ सदन में तीसरी बार इस पर चर्चा रही है मेरी सूचना है कि मान्यवर जिन लिपिकों का हवाला दिला गया है वह मेडिकल अवकाश पर रहे और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया कि नहीं इससे मेरा संबंध ही नहीं है मेरा प्रश्न है कि २९ जनवरी, १९७४ को जब वे ड्यूटी पर आ गये और तब से वे काम कर रहे हैं और लगभग ६ महीने बीत गये हैं परन्तु उस अल्पभोगी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया। इसका कारण है कि डी० डी० आर० ने जो जाँच की थी उसमें इस लिपिक ने विरोध में बयान दिया था। इसलिये उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि २९ जनवरी, १९७४ को जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश दे दिये थे कि उसको उस अवधि का वेतन दे दिया जाय जिसमें कि विवाद नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस परिस्थितियों में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि उस लिपिक को तुरन्त वेतन जबसे ड्यूटी ज्वाइन किया है, मिल जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इस संबंध में यही व्यवस्था होती है कि सम्मिलित खाते का आपरेशन अपने हाथ में लेकर भुगतान करेंगे।

कानपुर पालीटेक्निक के छात्रों पर चलायी गयी गोली से सम्बन्धित जांच आयोग की समाप्ति

**२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १४ नवम्बर, १९७३ को कानपुर पालीटेक्निक के छात्रों पर हुई गोली वर्षा की जाँच के लिये गठित न्यायिक जाँच आयोग की कार्यवाही सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

शासन को कानपुर जिले के विरोधी कक्ष के सात विधायकों का एक संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कानपुर जाँच आयोग को निम्नांकित आधार पर विचार करके समाप्त किये जाने का सुझाव दिया गया था:—

१—यह एक संयोगवश दुर्घटना थी जो कि आसामाजिक तत्वों द्वारा प्रेरित की गई थी और अब वातावरण बिल्कुल शान्त है।

२—वर्तमान समय को देखते हुए अब एक सदस्यीय जाँच आयोग द्वारा जाँच कराने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है जबकि मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

३—दोनों पक्ष सरकार के अंश हैं और सरकार दोनों पक्षों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के लिये स्वतः सक्षम है।

४—कमीशन द्वारा जाँच जारी रखने से असामाजिक तत्वों को वातावरण को पनः गम्भीर बनाने का अवसर मिलेगा और दो सरकारी विभागों में अकारण आपसी कटुता उत्पन्न हो सकती है।

५—आयोग द्वारा जाँच जारी रखने में सरकारी धन का अनावश्यक खर्च होगा।

उक्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जनहित शासन ने आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बड़ी दुर्भाग्यपुर्ण घटना थी कि विद्यार्थी ट्रक से दब गया और पुलिस गोली चलाई। उस समय इन सब बातों को देखकर यह औचित्य समझकर आयोग का गठन किया गया। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन आधारों का ध्यान में रखकर आयोग गठित किया गया और अब क्या इन्हीं करणों से आयोग समाप्त कर दिया गया या इस कारण से समाप्त किया गया कि सरकारी अधिकारी दोषी पाये जाने वाले थे ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

मान्यवर सबसे बड़ा कारण यह था कि सात विधायकों ने एक संयुक्त पत्र सरकार को दिया कि आयोग समाप्त किया जाय। इसलिये सरकार को जब आयोग के कार्य करने से कोई लाभ नहीं होगा और वातावरण में अशान्ति पैदा हो सकती है तो आयोग को समाप्त कर दिया गया।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस आयोग ने कितने दिन अपना कार्य किया ? मंत्री जी ने जैसा कि बताया कि कुछ विधायकों ने संस्तुति भेजी था कि आयोग को समाप्त कर दिया जाय। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे विधायक किस दल के थे ?

श्री राम मंगल पाँडेय—

मान्यवर में दल के बारे में नहीं कह सकता हूं परन्तु वे विभिन्न विपक्षी पार्टियों के एम० एल० ए० तथा कुछ एम० एल० सी० थे जिनके नाम ये हैं—सर्वश्री शिवनाथ सिंह, एम० एल० ए०, केशरी लाल कुरील, एम० एल० ए०, रामपाल सिंह यादव, एम० एल०ए०, बलवानसिंह, एम० एल० ए०, विरेन्द्र बहादुर सिंह, एम० एल०ए०, हरी किशन, एम० एल० सी०, हरी मोहन सिंह, एम० एल० सी० का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था।

श्री जगदीश अवस्थी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आयोग ने कितने दिन काम किया ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

मान्यवर, दिनाँक २१–११–७३ को वन मैंन कमीशन नियुक्त हुआ था और जिसका कार्यकाल १०–६–७४ तक बढ़ाया गया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० रिपोर्ट कबतक आ जाने की आशा है ?

श्री राम मंगल पाँडेय—

मान्यवर, वैसे मैं निश्चित समय नहीं बता सकता हूं लेकिन इतना कहूंगा कि जहाँ तक यथा सम्भव जल्दी हो सकेगी कार्यवाही पूर्ण करके दे दूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की क्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त ताराँकित प्रश्न।]

नेवरसिया, (आजमगढ़) के भरों की सशस्त्र आक्रमण से मृत्यु

*१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, (जिला गोरखपुर), श्री भीखा लाल, (जिला उन्नाव), श्री जफर काजमी (जिला आजमगढ़) तथा अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ जून, १९७४ को आजमगढ़ जिले के तरवा थाने के गाँव नेवरसिया में उच्चवर्गीय हिन्दुओं ने चौनी जातियों पर लाठी भाला–बन्दूक से हमला कर दो की मौत घाट उतारा तथा ५ अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्राप्त सूचना के अनुसार १५–६–७४ को नहीं बल्कि ११–६–७४ को ग्राम नेवरसिया जिला आजमगढ़ भर के लोगों पर कुछ नामाँकित तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सशस्त्र आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने तथा १० व्यक्तियों के घायल होने की सूचना थाना तरवा पर उसी दिन प्राप्त हुई थी। घायल व्यक्तियों में से एक जिसकी हालत गंभीर थी की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई।

घटना सूचना प्राप्त होने पर थाने पर धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भारतीय दंड विधान का मुकदमा अंकित किया गया। रिपोर्ट में नामाँकित ३१ अभियुक्तों में से ६ गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा २० ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है उससे कोई तस्वीर सदन के सामने प्रस्तुत नहीं हो रही हैं। मेरी जानकारी यह है कि आये दिन कास्ट हिन्दू छोटे लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं। हरिजन बस्तियों को जलाया जा रहा है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह कठिनाई इसलिये पैदा हुई है कि हरिजनों ने बेगार करना बंद कर दिया है ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, बेगार की बात तो इसमें कहीं नहीं है। उन लोगों की पहली शिकायत यह आई थी कि कुल लड़कियाँ घास काटने गई, तो ऊंचे वर्ग के लड़कों ने मारकर भगा दिया।

दूसरी सूचना एक कांसटेबुल से मिली जो समन तामील करके आ रहा था कि ठाकुर लोग आक्रमण करने के लिये इकट्ठा हो रहे हैं। थानाध्यक्ष कुछ कांसटेबुलों को लेकर फौरन मौके पर पहुंचे इस पर लोग भाग गये। उसके बाद गांव के पंपिंग स्टेशन पर वह पहुंचे और उन्होंने हरिजनों को ललकारा और आक्रमण किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि पहले भी सूचना पुलिस को मिल चुकी थी कि वहाँ आक्रमण होने जा रहा है। तो जब सूचना पहले मिल गई तो आपने सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया।

श्री अध्यक्ष—

पहले कोई सूचना आपको थी ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक सूचना तो घास के बारे में रही कि लड़कियों को ठाकुरों के लड़कों ने भगा दिया एक सूचना कांसटेबुल ने दी कि जब वह ९ और १० के बीच में आ रहा था तो लोग इकट्ठे हो रहे थे। तत्काल थानाध्यक्ष कुछ कांसटेबुल लेकर वहाँ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह लोग इकट्ठे थे।

श्री अब्दुल बाकी—

क्या इस हमले में खेतिहर मजदूरों के मकान तथा जायदाद भी जलाई गई है ? अगर यह सही तो क्या सरकार उनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह नहीं है, जो मैंने कहा है केवल उतनी ही बात थी। पहले से रन्जिश थी और इस कारण उन लोगों ने आक्रमण किया। ३१ आदमियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है।

श्री भीखा लाल—

जो प्रश्न ओझा जी ने किया उसका उत्तर साफ नहीं हुआ। सरकार को विवेचना के बाद क्या पता लगा, केवल रंजिश थी जिसके कारण हमला किया गया और मारकर भगा दिया या क्या कारण था ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, वहाँ दो गोल हैं और दोनों में बहुत पुरानी रंजिश है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि केस बहुत गम्भीर है तो जाँच किसके द्वारा करायी जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जाँच तो पुलिस ही कर रही है। इसलिये किसी और के द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस जाँच कर रही है तो क्या किसी डी० वाई० एस० पी० रैंक के या किसी दूसरे सीनियर आफिसर को जाँच देने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह तो उसी में स्टेटमेंट है कि २० आदमियों ने आत्म समर्पण कर दिया है। तो किसी दूसरे से जांच कराने का प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी ने कहा कि वहाँ दो गोल हैं और उनमें रंजिस है। लेकिन जिस दिन की यह घटना है उस दिन कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि दोनों आदमी मारे गये और १० घायल हुए। मैं आपकी सूचना के लिए बतला दूं कि उसी क्षेत्र में रजवर की हत्या राजनीतिक कारणों से पिछले वर्ष हुई और यह इस प्रकार से हत्याओं की एक श्रृंखला है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कौन सी तात्कालिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, वादी खुद ही कहता है कि मुकदमे की रंजिश ही वजह है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, बुलन्दशहर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*२—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र बुगरासी व खानपुर, ग्राम—अमरगढ़, ग्राम—अमरपुर, ग्राम धुधरावली, ग्राम—परवाना, ग्राम हाजीपुरू और ग्राम किरयावली की हरिजन मोहल्लों का जिनमें हरिजनों की जनसंख्या कई—कई सौ की है विद्युतीकरण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

गाँवों एवं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नहीं बल्कि सम्पूर्ण जनपद के लिये निर्धारित किया जाता है। सम्पूर्ण बुलन्दशहर जनपद में ३१—३—१९७४ तक कुल २४४ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है।

जिला बुलन्दशहर के जिन क्षेत्रों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनका विद्युतीकरण धन की उपलब्धता तथा नियमानुसार निर्धारित रिटर्न की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह ज्ञात है कि यह मिसाल केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र स्याना और चंद गाँवों की ही नहीं है बल्कि यह सवाल सारे जिले और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का है कि जिन नगरों और ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है वहाँ हरिजनों के मुहल्लों को ससे वंचित रखा गया है और गाँवों के चौधरियों ने अपने मुहल्लों में विद्युतीकरण करवा लिया है? इस सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिये मंत्री जी क्या उपाय करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह एक ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है जिसका कोई खास उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

उत्तर क्यों नहीं दिया जा सकता ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

यह एक जनरल प्रश्न है। टार्गेट फिक्स कर दिया गया है कि इतनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करेंगे। कई जगह टार्गेट से ज्यादा भी किया गया है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आज हरिजन कल्याण पर बहस भी है। आज बिजली की कमी है। सिंचाई के लिये भी बिजली चाहिये। लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जहाँ बड़े लोगों की बस्ती हैं वहीं छोटे लोगों की भी हैं। बड़े लोगों की बस्ती में तो विद्युतीकरण हो गया है लेकिन छोटे लोगों की बस्ती को छोड़ दिया गया। क्या बिजली की कमी को देखते हुए मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि बड़ों की बिजली काट कर वही बिजली हरिजनों की बस्ती में रोशनी के लिये दे दी जाय ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

किसी की लगी हुई बिजली को काटने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है जब तक कि वह बिजली की ड्यूटीज देता रहे। अब रह गया हरिजन बस्तियों को बिजली देने का सवाल तो ७३-७४ में ५, ८०० हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया। जिनमें १५०० रुपये का अनुमानित खर्चा है वहाँ पहले देते हैं। बाकी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विद्युतीकरण धन की उपलब्धता तथा नियमानुसार निर्धारित रिटर्न की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ज्ञात है कि जो धन हरिजनों की बस्तियों में विद्युतीकरण के लिये दिया गया है, वह इतना कम है कि जो पहले १५०० रुपये दिया गया था प्रतिग्राम के लिये उससे केवल २/३ खम्भे लग सकते हैं ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि हरिजनों के मुहल्लों तक २/३खम्भे पहुंचे और यह समझ लिया गया कि उस गाँव में विद्युतीकरण हो गया, लेकिन वास्तव में यह नहीं हुआ ? जैसा कि मेरे क्षेत्र में है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने तो प्रश्न को व्यापक बना दिया है। दूसरा प्रश्न पूछ लें।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि ऐसी भी स्थिति पैदा हो गयी है कि हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करते समय कम धन व्यय किया गया जिससे केवल २/३ खम्भे लग सके और हरिजन बस्तियों तक बिजली पहुंचते-पहुंचते रास्ते में ही रह गयी, जैसा कि मेरे क्षेत्र में है ?

श्री राज मंगल पाँण्डेय—

मान्यवर, यह तो नियमों की बात है। माननीय सदस्य को खुद ही आभास है कि १,५०० रुपये तक जहाँ पर व्यय है, वहाँ पर हरिजन बस्तियों को बिजली दी गयी है। यह माननीय सदस्य स्वतः तस्लीम करते हैं कि खम्भे गाड़े गये लेकिन धन की उपलब्धता की कमी के कारण बिजली वहाँ तक नहीं जा सकी। अतः धन की उपलब्धता के बाद लाइन बढ़ाकर वहाँ बिजली दे दी जायेगी।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो डेटाज दिये हैं कि इतने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, वह तो सब कागजी है जिससे सारा सदन अवगत है। जब सामाजिक न्याय नहीं देते हैं तो उनको बिजली क्या मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सवर्णों की बिजली काटकर हरिजनों को बिजली देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सवाल आप दुहरा रहे हैं।

रसौली नहर पर थाना मसौली (बाराबंकी) के अन्तर्गत एक बस यात्री की हत्या

*३—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि दिनाँक १-७-७४ को दिन में बाराबंकी जनपद में एक प्राइवेट यात्री बस जो हैदरगढ़ से बाराबंकी आ रही थी रसौली नहर के पास गुन्डों द्वारा रोकी गयी और एक यात्री को मार डालने की नियत से जबरदस्ती उतार लिया और बाद में मार डाला गया ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

प्राप्त सूचना के अनुसार कोतवाली बाराबंकी में दिनाँक १-७-७४ को थाना जसन्दा के एक कांस्टेबिल ने इस आशय की मौखिक सूचना दी कि वह उस दिन एक मुकदमें की पैरवी हेतु बस द्वारा बाराबंकी जा रहा था। उक्त बस को थाना मसौली के क्षेत्र में रसौली नहर की पुलिया के आगे एक नामांकित सशस्त्र व्यक्ति ने जो बस में सफर कर रहा था, रुकवाया। और उसके तीन अन्य साथियों ने जो उसी बस में थे वादी के प्रतिरोध के बावजूद एक दूसरे यात्री को बस से नीचे घसीट लिया और बाद में सबने मिलकर उसे घेर कर मार डाला। उक्त सूचना के आधार पर थाना मसौली पर धारा ३०२/३०७/३३२ भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना सर्किल इंसपेक्टर द्वारा की जा रही है। अब तक की विवेचना से यह कत्ल जमीन संबंधी रंजिश के कारण मृतक के चाचा द्वारा होना ज्ञात हुआ है और गुन्डा गर्दी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई कि नहीं और पुलिस इसके लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यावर, इस समय एक ही व्यक्ति का नाम नामजद है जिसका नाम जमुना है और ३ व्यक्ति अज्ञात हैं। जमुना भी भागा हुआ है। इसके खिलाफ ८२/८३ की कार्यवाही १०-७-७४ को की जा चुकी है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ और लोगों ने भी घेरा है तो अब तक विवेचना के मुताबिक क्या कुछ और लोगों के नाम मालूम हुए हैं ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

जमुना का नाम तो दर्ज ही है और तीन अन्य साथियों के बारे में कहा गया है कि विवेचना आरी है

जिन्दल पाइप्स लि०, गाजियाबाद, मेरठ के कर्मचारियों एवं ग्राम गालन्द के निवासियों के बीच झगड़ा

*४-- श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक १६-६-७४ को जिन्दल पाइप्स लि०, गाजियाबाद, जिला मेरठ के मालिकों ने ग्राम गालन्द थाना मसूरी, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ किसानों एवं हरिजनों पर दिन दहाड़े गोली वर्षा की जिसके परिणाम स्वरूप अनेक किसान एवं हरिजन गम्भीर रूप से घायल हो गये ? यदि हाँ, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने इस काण्ड में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक १६-६-७४ को ग्राम गालन्द में जिन्दल पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के पास ग्राम समाज की भूमि संबंधी विवाद को लेकर फैक्ट्री के कर्मचारियों तथा गाँव वालों में झगड़ा हुआ जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आई और दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट थाना मसूरी में लिखाई। ग्रामवासियों की ओर से श्री भागमल ने लिखित सूचना थाने पर दी जिसमें फैक्टरी के तीन कर्मचारियों तथा ग्राम प्रधान को नामांकित किया गया था। इस सूचना पर धारा १४७/३२३/३०७/भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। जिन्दल पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के किसी मालिक को ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है और न अब तक की विवेचना से मालिकान का घटनास्थल पर होना या घटना में भाग लेना पाया गया।

फैक्टरी वालों की ओर से एक रिपोर्ट श्री दयानन्द गुप्ता द्वारा लिखाई गई जिस में १० नामांकित व्यक्तियों द्वारा फैक्टरी के कर्मचारियों को मारपीट किये जाने के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा फैक्ट्री की बनती हुई दीवार को गिराने का भी उल्लेख किया गया था। इस सूचना पर धारा १४७/४४८/३२३ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया।

उक्त घटना में १८ ग्रामवासियों को चोटें आना बताया जाता है। अब तक की जाँच से केवल एक व्यक्ति को बन्दूक के छर्रे की चोट आना प्रमाणित हुआ है। फैक्ट्री वालों की ओर से २० व्यक्तियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया था और उनम से १४ व्यक्तियों के शरीर पर साधारण चोटें पाई गईं।

प्राप्त सूचना के अनुसार जिन्दल पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के बराबर की जमीन को अपना बताते हुए फैक्टरी वालों को ने उस पर चहारदीवारी बनवाना शुरू किया। उसमें से कुछ जमीन ग्राम गालेन्द के निवासी ग्राम समाज की होना बताते हैं। विवाद ग्रस्त भूमि की पैमाइश चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा कराई गई। अभी चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उपर्युक्त मुकदमों की विवेचना जारी है। ग्राम वालों द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में २६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जो न्यायालय को आदेश से जमानत पर छोड़े गये हैं।

गाँव वालों की ओर से दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४७ पर)

श्री कल्याण सिंह---

जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है यह झगड़ा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के बाद उत्पन्न हुआ और यह भी उत्तर में कहा गया है कि चकबन्दी अधिकारी द्वारा

पैमाइश कराई गयी है लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है तो मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जब तक चकबन्दी अधिकारी की पैमाइश की रिपोर्ट सरकार तक नहीं आ जाती है तब तक के लिये इस फैक्टरी के अवैध निर्माण कार्य को सरकार रोक देगी ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

इसके लिये दफा १४५ है जिसके अन्तर्गत पार्टी को खुद कोर्ट में जाना होगा। किसी कांस्ट्रक्शन को सरकार रोक दे यह मुनासिब नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

फैक्टरी वाले बड़े लोग है। उन्होंने इस गाँव की थोड़ी सी भूमि अपने नाम आवंटित कराई और उसके बहाने हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है जो कि हरिजनों को मिलनी चाहिये थी, वह उनको नहीं मिली। लिहाजा जब तक चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक सरकार को उसके निर्माण कार्य को रोकने में क्या आपत्ति है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

सरकार कही भी सक्षम नहीं है कि जब दो पार्टीज में झगड़ा हो तो वह स्वयं इंजेक्शन दे। यह कोर्ट के परव्यु में है। अगर बन भी जाय तो दूसरी पार्टी डिमालिशन का सूट दायर कर सकती है और उसे गिरवा सकता है।

श्री मेघनाथ सिंह (जिला मेरठ)—

जिस भूमि के लिये यह झगड़ा हुआ था और फैक्टरी वाले उस पर अनधिकृत कब्जा किये हुए थे उसके लिये ग्रामवासी एस० डी० एम० के यहां से स्टे आर्डर लाये थे रास्ते में घेर कर उन पर उल्टा केस चला दिया गया और गाँव के लोगों पर गोलीकांण्ड किया गया। मंत्री जी को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि अभी तक गाजियाबाद के अस्पताल में जिन लोगों को गोलियाँ लगी हैं छर्रे मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट ठीक तरह से दर्ज नहीं हुआ है। तो मैं यह जाना चाहता हूं कि जब तक नामजद लोगों को नहीं पकड़ा गया तब तक मंत्री जी फैक्टरी का कन्सट्रक्शन बन्द करा देंगे और उसकी जाँच हेतु एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट देंगे ? मान्यवर, यह वही फैक्टरी हैं जिस पर कई केसेज चल रहे हैं और जिस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात हैं और न्यायालय में सेक्शन १४५ सी० आर० पी० सी० में दर्ज है।

श्री राजपाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर यह सही है कि जिन्दल फैक्टरी वाले बहुत अत्याचारी हैं इन्होंने गोलियां चलवाई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि क्यों न इस फैक्टरी के लाइसेन्स को जब्त कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका सुझाव है, प्रश्न नहीं है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गोलियां चलाने पर जब साधारण आदमियों के लाइसेन्स जब्त कर दिये जाते हैं तो इस फैक्टरी का लाइसेन्स अब तक क्यों और किन कारणों से जब्त नहीं किया गया ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इसी प्रश्न पर विवेचना हो रही है और मुकदमा कायम है। एक तरफ से १४ आदमियों को चोटें आई हैं और एक तरफ एक व्यक्ति के चोट आयी है। जब कोई डिफेन्स में गोली चलाता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह अत्याचारी हो। इस मामले की विवेचना हो रही है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इतना तो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि फैक्टरी वालों की तरफ से गोली चली है और आप यह भी कहा कि एक व्यक्ति को गोली लगने का समाचार है। मैं जानना चाहता ने कि जिन १८ व्यक्तियों को चोटें आई हैं उनका डाक्टरी मुयाना हुआ होगा? उसमें चोट का कारण क्या बताया है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है उसमें कालम ३ में दिया है कि उक्त घटना में १८ ग्राम वासियों को चोटें आना बताया जाता है। अब तक की जांच से केवल एक व्यक्ति को बन्दूक के छर्रे की चोट आना प्रमाणित हुआ है। फैक्टरी वालों की ओर से २० व्यक्तियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया था और उनमें से १४ व्यक्तियों के शरीर पर साधारण चोटें पाई गईं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, किसी प्रशासन की बहस शुरू करते हुये मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि जब कभी अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर व्यक्ति में तनाव हुगा तो प्रशासक का पलड़ा कमजोर की तरफ भारी रहेगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुये कमजोर की मदद करने के लिये माननीय मंत्री जी इस बात की जाँच करेंगे? और उस सम्बन्ध में अब तक उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, हमारा कानून जो है वह सैकड़ों वर्ष हुये तब बना था और कानून किसी अमीर या गरीब को नहीं देखता है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है किये जो जिन्दल साहब हैं वे मारुती कार कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के सदस्य हैं?

श्री राज मंगल पाँडेय—

इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट मिनी बसों व बड़ी बसों का परमिट दिया जाना

*१—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९७४ से अब तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा कितनी प्राइमरी मिनी बस तथा बड़ी बसों को परमिट दी गई हैं और

उसकी सूची सदन क पटल पर रखते हुये क्या कृपया बतायेंगे कि परमिट देने का आधार क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १–३–७४ से ३०–३–७४ तक परीमट निम्नवत् दिए गए :

	स्थायी	अस्थायी	१५ दिन की अवधि के विशेष अस्थायी
बसों को ..	११४	१२६७	२४,२२९
मिनी बसों को ..	..	१९	१४६

इन आँकड़ों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अराष्ट्रीयकृत माँगों पर दिए जाने वाले परमिटों की संख्या भी शामिल है। स्थायी परमिट मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में दिए गए आधारों के अनुसार दिए जाते हैं। अस्थायी परमिट अस्थायी माँगों की व विशेष अस्थायी परमिट विवाह मेला आदि अवसरों पर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६२ के अन्तर्गत दिए जाते हैं। स्थायी व अस्थायी परमिटों की एक †सूची माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखा दी गई है विशेष अस्थायी परमिटों की सूची बहुत बड़ी है जिसमें इतना श्रम और समय लगेगा कि उसका तैयार करना प्रश्न के उत्तर के अनुरूप न होगा।

*२—श्री हरिकेवल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बांदा द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

*३—श्री देव कुमार यादव (जिला बाँदा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाँदा ने १९ तथा २४ जनवरी, १९७४ को बाँदा से लखनऊ ट्रेन द्वारा आने जाने का सेकेन्ड क्लास का यात्रा भत्ता चार्ज किया जबकि उन दिनों ट्रेनों में सेकेन्ड क्लास की व्यवस्था ही नहीं थी ? यदि हाँ तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हाँ।

इस संबंध में जाँच करायी जा रही है। जाँच परिणाम के आधार पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

*४—श्री देव कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बांदा ने २६ जनवरी, १९७४ को कुचबन्धियाँ कालोनी खेखा, बाँदा की यात्रा राजकीय अन्ध विद्यालय, बाँदा की गाड़ी द्वारा की लेकिन उन्होंने अपना अलग से यात्रा भत्ता चार्ज किया ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

† छापी नहीं गयी।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार जिला हिरजन तथा समाज कल्याण अधिकारी बांदा ने २६ जनवरी १९७४ को बस द्वारा कुचबंधि या कालोनी खेरवा बाँदा की यात्रा की जिसका उन्होंने यात्रा भत्ता चार्ज किया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सरकार ने प्रश्न संख्या ३ के बारे में तस्लीम किया है कि जिस तिथि पर हरिजन अधिकारी ट्रेन से यात्रा किया उन दिनों सेकेण्ड क्लास का रेल का डिब्बा ही नहीं था, तो आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

उन्होंने स्वतः ही स्वीकार किया कि टैक्सी में गया । फर्स्ट क्लास का इन्टाइटिल हूं, सेकेन्ड क्लास का चार्ज कर रहा हूं। इसी हिसाब से उन्होंने ६३.८० यात्रा भत्ता प्राप्त किया। बाँदा से लखनऊ जाने का टैक्सी के स्थान पर रेल का भत्ता १६.३०, रोड माइलेज२० पैसे की दर से ३ किलोमीटर का ६० पैसा, 20 तारीख से २३ तारीख तक ४ दिन का दैनिक भत्ता साढ़े सात रुपये प्रति दिन के हिसाब से ३० रुपया और उसी तरह फिर लखनऊ बाँदा की वापसी टैक्सी के स्थान पर रेल भाड़ा सेकेण्ड क्लास का १६.३०और रोड माइ लेज वही ६० पैसा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं तो जाँच किस बात की कर रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री देवकुमार यादव—

प्रश्न संख्या ४ के सम्बन्ध में, मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी है कि इन अधिकारी ने अन्धविद्यालय की राजकीय गाड़ी से कुचबन्धिया कालोनी की यात्रा की और यह भी कि उसमें १० लीटर पेट्रोल भराया गया, किन्तु आपके उत्तर में यह है कि इन्होंने बस द्वारा यात्रा किया, तो क्या मेरी व्यक्तिगत जानकारी को सही मानकर और यह भी देखते हुए कि उक्त ड्राइवर ने भी इस बात को लिख कर दिया है कि मैं राजकीय गाड़ी पर उनको वहाँ लेकर गया था, सरकार इस मामले की पूरी जाँच कराएगी ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

चूंकि वहाँ पर एक जल्सा होने वाला था और उसके हेतु काफी सामान जाना था, इसलिये अन्ध विद्यालय की गाड़ी गई थी, किन्तु वह उक्त सामान को लेकर वहाँ गयी थी, जो उस जलसे के लिये आवश्यक था, वह बस पर ही गये थे।

श्री देव कुमार यादव—

ड्राइवर ने खुद लिखकर दिया है और मैं भी कहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

अब जो आप कहते हैं वह लिखकर दे दें।

[दिनांक २५ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित टंकण की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में नकल व गड़बड़ी

*१—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ द्वारा २८ अप्रैल ७४ को आयोजित टंकण की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल तथा भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिली है ? यदि हाँ तो नकल के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ परीक्षार्थियों द्वारा टंकण प्रश्न-पत्र परीक्षा भवन के बाहर ले जायेंगे और बाहर टंकित की गयी शीटें परीक्षा में जमा कर दी गयीं। मामले में सी० आई० डी० द्वारा जाँच कराई जा रही है। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतों को देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि २८ अप्रैल, १९७४ की परीक्षा में न्यूनतम टंकण गति दिखलाने वाले सभी अभ्यर्थियों की पुनः कड़े नियंत्रण में परीक्षा ली जाय, जो २३ जून, १९७४ को आयोजित की जा चुकी है। अन्तिम (फाइनल) परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा-सूची बनायी जायगी।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि मई में यह प्रश्न किया गया है और उसके दो महीने हो चुके हैं, अब तक वहरिपोर्ट ही नहीं आई, वह कब तक आएगी तथा इसको जल्दी लाया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाई की जाए, इसके लिये वह क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री रामज मंगल पाण्डेय—

मेरे पास जो सूचना है, वह यह है, उसके बाद २३ जून, और ७ जुलाई को पुनः परीक्षा हुई हैं। पहली बार ५३७ और दूसरी बार १२२ अभ्यर्थी सम्मिलित हुये हैं। उनमें से ४१३ अभ्यर्थी ३० शब्द प्रात मिनट की गति पा चुके हैं। इसमें भी स्क्रूटनी हो रही है, बाकी रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है।

श्री ऊदल—

टंकण की परीक्षा में जो बैठे थे, इसमें कितने लोग थे, तथा नकल करते हुए कितने लोग पकड़े गये ? इनकी वजह से नुकसान तो सबका हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, २८ अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी उसमें ११६४ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, कोई पकड़े नहीं गये, मेन एंट्रेंसहाल, दरवाजा खुला था इसलिए इस बात का शुबह, था कि कोई बाहर जा कर कुछ करता हो इसकी भी स्क्रूटनिंग से मालूम होगा कि ४१३ अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर चुके, ढाई तीन हजार बैठे, उनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी मुश्किल से २५, ३० या ३५।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

अभी मंत्री जी ने इस बात को माना कि उसमें कुछ गड़बड़ी की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि गड़बड़ी करने वाले जो लोग थे क्या हमारी सेक्रेटरिएट के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्धी या रिश्तेदार तो नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह क्या मालूम कौन सम्बन्धी है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

ऐसा हो सकता है कि जो हमको इमला बोलना है वह हम बता दें।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई नहीं बताता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब सब को ज्ञात है कि हमारी सरकार ने हर जगह, हर विद्यालय में खुली छूट देखी है तो इस ममाले में नकल करने वालों के साथ क्यों पक्षपात और अन्याय किया गया?

श्री राम मंगल पाँडेय—

अगर आप की ऐसी राय है कि खुली छूट दे जाय तो आपकी तरफ से प्रस्ताव आये, विचार करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी राय नहीं है। सारे विद्यालयों में खुली छूट दी है, अनार्की सी है, उनके लिए कुछ नहीं करते तो इसमें काहे कि लिए पक्षपात और अन्याय कर रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष ने आगे का प्रश्न पुकारा)।

*२—श्री मोहन लाल कपूर—

[पुनर्विचार पर निरस्त]।

विद्युत वितरण में अनियमितता से सम्बन्धित गठित धनानन्द जांच कमेटी की रिपोर्ट

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की करेगी कि बिजली वितरण में हो रही चोरी, बरबादी तथा तकनीकी नुकसान रोकने के लिये सुझाव देने हेतु गठित धनानन्द जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां तो रिपोर्ट कब मिली ? क्या सरकार रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए कृपया बतायेगी कि मुख्य सुझाव क्या है तथा उनमें से कौन-कौन लागू किये जा चुके हैं अथवा लागू करने का विचार है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां। समिति की रिपोर्ट १९७२ के अन्त में प्राप्त हुई। रिपोर्ट की एक प्रति अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट में दिये गये सुझाव तथा उस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४८-२४९ पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस उत्तर में कहा गया है कि कार्यान्वित की जाने वाली कुल संस्तुतियों की संख्या.....

श्री अध्यक्ष—

यह रिपोर्ट पटल पर रखनी चाहिये। अध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं होती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आज कल सरकार का दिमाग ठीक नहीं है। "चीनी" को "नीची" लिख देते हैं। हम अपने से मतलब निकालते हैं। इन्होंने इसमें लिखा है कि जो समिति की रिपोर्ट है उसमें कार्यान्वयन की जाने वाली कुल संस्तुतियां ५४ हैं जो शासन स्तर पर हैं और राज्य विद्युत् परिषद् के स्तर पर २२९ संस्तुतियाँ हैं। शासन के स्तर पर की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि जो १७ संस्तुतियाँ ऐसी हैं जो कार्यान्वित की जा रही हैं, शासन द्वारा, लागू की जा रही है, वह क्या हैं पढ़ कर सुना दें ताकि प्रदेश को मालूम हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत मोटी किताब हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

१७ संस्तुतियाँ जो लागू की गयी हैं वह कौन हैं जो लागू की गयी हैं ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

मान्यवर, आप यह देखेंगे कि शासन द्वारा ५४ और परिषद् द्वारा २२९ हैं और ५४ में १७ संस्तुतियाँ कार्यान्वित की गयी है, ३२ का परीक्षण चल रहा है, पाँच को शासन ने माना नहीं। १७ के बारे में एक जगह नहीं है, चूंकि हमको विद्युत् परिषद् ने जो भेजा है वह रिपोर्ट संस्तुतियों के बारे में है। चूंकि विद्युत् परिषद् शासन से सम्बन्धित है इसलिए अलग करके नहीं भेजा है। शासन द्वारा कार्यान्वित संस्तुतियाँ—६,८,५२,५३,७६, १०९, ११४, ११६, ११७, १२०, १७९, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६ तथा २३० है। ६ है—अन्तरप्रदेशीय लाइनें कई एक बन चुकी हैं शेष पर कार्य चल रहा है। इस तरह से ८ है—नये कनेक्शन पावर की उपलब्धि के अनुसार दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। संस्तुति संख्या १६—प्लान्ट अवेलिबिलिटी को अधिकतम बनाये रखने के लिये परिषद् द्वारा इंसेन्टिव बोनस के आदेश जारी किये जा चुके हैं। संस्तुति संख्या ३६—फुएल एफीशेंसी स्टडीज नैशल प्रोडक्टिविटी कौंउसिल द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से ५१, ५२ तथा ५३ सिफारिशें हैं। जलाशयों में सिल्ट आब्जर्वेशन किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जिस तरह से उत्तर आ रहा है उससे सदन को कुछ नहीं मालूम हो रहा है। क्या मंत्री जी इस रिपोर्ट को प्रकाशित करके सदन के माननीय सदस्यों को वितरित करेंगे और बतायेंगे कि कौन सी सिफारिशें सरकार लागू कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको माननीय सदस्य देख सकते हैं। यह सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, प्रश्न इसलिये किया जाता है कि जनता जान जाय कि सरकार क्या कदम उठा रही है। बिजली की चोरी के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर स्पष्ट देना चाहिये कि सरकार ने क्या क्या किया है लेकिन यह संख्या बता रहे हैं। इसको कौन जान पायेगा। बड़ी कृपा होगी यदि आप इसको सुना दें जिससे हम लोग समझ जाँय। सरकार का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, हमारी कुछ कठिनाइयाँ हैं। जहाँ ४० प्रतियाँ छप सकती है वहाँ ९६० और छपाने की आशा करते हैं। लेकिन इसमें समय लग सकता है। जब एक हजार कापियाँ छप कर आ जायेंगी तो माननीय सदस्यों को वितरित करने में हमें कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट प्रेस के पास काम बहुत ज्यादा है। लेकिन हम माननीय सदस्यों को आश्वासस्त करना चाहते हैं कि एक-एक कापियाँ हम वितरित करा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा कर दें कि ७/८ कापियाँ नेताओं को दे दी जांय। वे पढ़ लें।

श्री राज मंगल पाँडेय—

यह हम कर देंगे।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें क्योंकि जब तक हम रिपोर्ट न पढ़ लें तब तक प्रश्न कैसे कर सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, चर्चा के लिये अवसर दें। इसमें कई मदें दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह काफी मोटी है। कल मुझे मिली। मैंने थोड़ी साराँश इसकी देखी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

परसों बजट आने वाला है। इसलिये जो प्रतियाँ नेताओं को भेजी जायेंगी वे बजट आने से पहले भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। यह आ जाय तो जानकारी के साथ आप लोग सवाल करें। जब आपको यह मिल जायेगी तो मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सदन बन्द होने के पहले यह हमको मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह आप लोगों को मिल जायेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी माननीय त्रिपाठी जी ने प्रश्न किया था। उसमें लिखा था कि क्या सरकार रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखेगी तो जब तक सरकार उसकी प्रति सदन के पटल पर नहीं रखेगी तब तक उनका उत्तर पूर्ण नहीं समझा जायगा। इसलिये आप अब भी और आगे के लिये व्यवस्था दें कि उत्तर देने से पहले रिपोर्ट सदन की मेज पर पहुंच जानी चाहिये।

श्री ऊदल—

मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें.....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न इसमें है, क्या सरकार रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखते हुए बतायेगी कि मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं और कौन-कौन लागू किए जा चुके हैं और कौन-कौन लागू किए जायेंगे और आपने केवल संख्या बता दिया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था क्या है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष—

जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा। जानकारी देते हुए सुझाव देना चाहा तो वह सही हैं लेकिन व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह है कि सवाल से आप असंतुष्ट हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हम जिस परपज के लिये प्रश्न करते हैं वह, परपज पूरा नहीं होता है। आप ऐसी व्यवस्था दें कि एक घंटा जो लगा हुआ है प्रश्नों का उस घंटे का कोई अर्थ हो

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि ७–८ कापियाँ नेताओं को दे दें। और आप अग्रेतर प्रश्न कर लें और उस पर बहस माँगे तो दे दूंगा। उसके उपरान्त कौन सी व्यवस्था हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह १७ कौन हैं जिनको सरकार ने लागू कर दिया है। ये केवल संख्या दे देते हैं। मान्यवर यही कर दें कि इसी सत्र में आ जाये।

श्री अध्यक्ष—

और प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिये हमने यह कह दिया कि आप इसको दे दें।

श्री राज मंगल पाँडेय—

किताब में यह सब लिखा हुआ है।

श्री सुन्दर, निवासी हड़िया सरपतहा, सुल्तानपुर की हत्या

*४—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९ मार्च, १९७४ को जिला सुल्तानपुर के लम्भुआ थानान्तर्गत श्री सुन्दर की हत्या कर दी गई और २२ मार्च को लाश मिलने पर पुलिस थाना लम्भुआ को सूचना दी गई जिस पर पुलिस ने मुल्जिमों को पकड़ा और थाने ले गई जहाँ सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया ? क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा दूसरे दिन मुल्जिमों को छोड़ दिया गया ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्राप्त सूचना के अनुसार बैजनाथ, निवासी ग्राम हड़ियाँ सरपतहा, थाना लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर ने दिनाँक २२-३-७४ को उसी गाँव के पीही नाले के बोदर में गड़ी हुई अपने भाई सुंदर की लाश एक बोरे के अन्दर से प्राप्त होने की सूचना उसी दिन थाना लम्भुआ पर दी थी जिससे आधार पर धारा ३०२/२०१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई।

वादी का भाई सुन्दर जीवित है। सुन्दर की लाश का पोस्टमार्टम २३-३-७४ को हुआ जिससे उसकी मृत्यु ३-४ दिन पूर्व अर्थात् २०-१९ मार्च १९७४ को होना ज्ञात हुआ।

प्रश्न में उल्लिखित अशाय के आरोप से संबंधित कुछ शिकायती-पत्र शासन को तथा पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुये थे जिनकी जाँच से ज्ञात हुआ कि थानाध्यक्ष कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछ ताँछ करने के लिये थाने पर बुला लाये थे जिन्होंने किसी व्यक्ति के सामने कोई जुर्म स्वीकार नहीं किया। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, अतः उन्हें छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस रिपोर्ट की जाँच करायी गयी थी, तो किस पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच कराई गई थी और पुलिस अधिकारी थानाध्यक्ष से पूंछ कर चले गये या गाँव में भी गये थे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, जाँच जो है इस संबंध में डिप्टी एस० पी० ने की है। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है और उनकी जाँच से जो है इस किस्म की कोई बात नहीं हुई कि इन्होंने कोई जुर्म कबूल किया।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष जी, थाने पर तो जुर्म कबूल नहीं किया। किसने यह कत्ल किया है, कौन दोषी है ? क्या वह डिप्टी एस० पी० थाने पर गये और जाँच किये कि उसने जुर्म कबूल किया था कि नहीं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इस संबंध में अभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर कोई पुलिस अधिकारी पहुंचा नहीं है, क्योंकि मृतक जो है, वह स्वयं बदमाश था, मृतक का बाप चोर और डकैत

था और इसका भी करेक्टर करीब-करीब ऐसा ही था। इसके अलावा उसके खिलाफ ३९५/३९७ का मुकदमा चल चुका था और वह कार्यवाही शिनाख्त में छूट गया था। किन्तु यह भी कहा जाता है कि उसकी कई औरतों से आशनाई भी थी। उसका जमीन का भी कुछ झगड़ा था। इसलिये अभी तक कोई पुलिस अधिकारी निश्चित मत पर नहीं पहुंच पाये हैं। जिनके ऊपर शुबहा भी है, अगर साक्ष्य मिलेगा तो कार्यवाही करेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष जी, चोरी करता हो, डाकू हो और ऐसे आदमी का कत्ल हो जाय तब तो बहुत ज्यादा फिक्र की बात पुलिस को या गवर्नमेन्ट को नहीं है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैंने मान्यवर, कभी ऐसा नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके खानदान के दो व्यक्ति कुछ ऐसे ही थे। कहीं कुछ गलत काम करने तो नहीं गया था, जब उसका कत्ल हो गया हो। इसकी कुछ औरतों से आसनाई भी थी, जमीन का झगड़ा था। यह सारी की सारी पुलिस के सामने चीजें हैं। इसलिये पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अगर इजाजत दें तो माननीय गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर इतनी खराबियाँ हैं तब तो पुलिस को सही नतीजे पर पहुंचने में आसानी हो जानी चाहिये कि इन्हीं लोगों में से कत्ल का मुजरिम होगा। अच्छा आदमी मारा गया हो, तब तो पता लगाने में कठिनाई कुछ हो सकती थी परन्तु जब ऐसा आदमी मारा गया तो उस कत्ल का पता लगाना आसान हो जाता है। खैर, वह तो आप जानें, आपकी जो नीति हो। मेरे पास गांव के ७५ आदमी के दस्तखत के व अंगूठे के साथ प्रार्थना-पत्र आया हुआ है। अगर मैं उसे गृह मंत्री जी के पास भेज दूंगा तो वह इस मामले की दुबारा तहकीकात करायेंगे या उसमें या कोई दिक्कत होगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मुझे तहकीकात कराने में कोई कठिनाई नहीं है, अगर चौधरी साहब भेज देंगे।

*५--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला "डेफिसिट चार्ज"

*६--चौधरी चरण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रिक पावर कन्ज्यूमर से 'डेफिसिट चार्ज' लिया जाता है जिसके लिये उपभोक्ता को हर वर्ष मिनिमम गारन्टी चार्ज देना होता है ? यदि हाँ, तो क्या वर्ष १९७३-७४ तक विद्युत की अत्यन्त कमी और अप्रत्याशित 'रोस्टिंग' को दृष्टि में रखते हुए उक्त 'डेफिसिट में चार्ज' से मुक्त कर उपभोक्ताओं को राहत देने की कृपा की जायगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं, केवल १०० हार्स पावर तक के उन औद्योगिक उपभोक्ताओं से 'डेफिसिट चार्ज' लिया जाता है जो १८ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिनिमम गारन्टी के बराबर बिजली खर्च नहीं कर पाते। विद्युत की कटौती के कारण भी मई, १९७३ के पूर्व तक विद्युत कटौती के अनुपात में इन उपभोक्ताओं को मिनिमम गारन्टी में छूट दी जा चुकी है और मई १९७३ से इन उपभोक्ताओं को मिनिमम गारन्टी के मूल्य के बराबर विद्युत उपभोग पर विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया गया है। अतएव वर्ष १९७३–७४ में इन्हें डेफिसिट चार्ज से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जो मा० मंत्रीजी ने जबाब दिया है, उसमें कहा है कि "केवल १०० हार्स पावर तक के उन औद्योगिक उपभोक्ताओं से डेफिसिट चार्ज लिया जाता है जो १८ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिनिमम गारन्टी के बराबर बिजली खर्च नहीं कर पाते। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि यह लागू नहीं किया गया है और बहुत से लोगों को अभी भी यह चार्ज देना पड़ रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग १०० हार्स पावर से कम जैसे ट्यूबवेल चलाने के लिये ७ हार्स पावर, १० हार्स पावर की बिजली लिये है तो उनसे जो डेफिसिट चार्ज लिया जाता है उसको माफ कराने का जो इरादा है, सरकार उसको माफ करेगी ?

श्री राज मंगल पाडेय—

जितना मिनिमम हमने रखा है अगर पावर कन्ज्यमर २– २१/२ घंटे भी जलाता है तो पूरा हो जाता है। इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मधुकर दिघे—

आप ३ रुपया प्रति हार्स पावर लेते है मिनिमम चार्ज। अगर उसने १० हार्स पावर का मोटर लगा रखा है तो इस प्रकार से उससे आप ३० रुपया मिनिमम चार्ज का लेते है। वह आप की गल्ती के कारण इतनी भी बिजली का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो क्या जो इसमें डेफिसिट होता है, उसको वापस करेंगे ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया अगर कोई ट्यूबवेल २ या २ १/२ घंटे भी चल पाता है तो वह इतनी बिजली कन्ज्यूम कर लेता है इसलिये वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जाटव जाति को भूमि वितरित करने की मांग

*७—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार जाटव जाति के जूता बनाने वालों को बेरोजगारी से परिचित है ? यदि हाँ, तो क्या उन परिवारों को जो बेकारी के शिकार हो गये हैं सरकार जिला पीलीभीत, नैनीताल व चमोली में बेकार पड़ी भूमि इन लोगों को देने का विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

आम तौर पर बेरोजगारी की समस्या सभी वर्गों में है। जाटव जाति के जूता बनाने वालों में भी यह समस्या होगी। इस समस्या के सामाधान हेतु जहाँ तक बेकार भूमि देने का प्रश्न है प्राप्त सूचना के अनुसार जिला नैनीताल एवं चमोली तथा जिला पीलीभीत

नोटः—ताराँकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

की तहसील पूरनपुर व सदर में ऐसी भूमि उठाने को शेष नहीं है। जिला पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में ग्राम सभा भूमि आठ प्रतिशत से भी कम शेष है जो केवल असामी पट्टे पर उपलब्ध हो सकती है। यदि प्रश्नगत व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा तो तत्सम्बन्धी माल विभाग के अधिनियम/शासनादेशों के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

पुलिस विभाग के जातिवार अलग-अलग कर्मचारी व अधिकारी की सख्या

*८—श्री सत्यपाल मलिक—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस दल की संख्या क्या है और गत वर्ष चुने गये सब-इन्सपेक्टरों की जातिवार अलग-अलग संख्या क्या है तथा वर्तमान ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों की संख्या अलग-अलग जातिवार क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर प्रदेश में पुलिस दल में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या ७८३ तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या ९३,७४४ है। गत वर्ष सब-इन्स्पेक्टर नागरिक पुलिस पद पर प्रशिक्षण हेतु सीधी भर्ती द्वारा चुने गये उम्मीदावरों की कुल संख्या २९७ है जिनमें से २८ अनुसूचित जाति, ३ अनुसूचित जनजाति तथा २३ पिछड़ी जाति के हैं। शेष २४३ अभ्यर्थी अन्य जातियों के हैं। इसके अतिरिक्त गत वर्ष ४४६ रैंकर कैडेट्स (विभागीय उम्मीदवार) सब-इन्स्पेक्टर नागरिक पुलिस पद पर प्रशिक्षण हेतु चुने गये। उनमें अनुसूचित जाति के १९१ उम्मीदवार थे। शेष उम्मीदवार अन्य जातियों के हैं, जिनकी जाति देना संभव नहीं है क्योंकि चयन संबंधी अभिलेखों में इस प्रकार की सूचना नहीं माँगी जाती है, वर्तमान ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों की संख्या कुल १० है जिनमें से १ बंगाली, एक काश्मीरी, ३ ब्राह्मण, १ अनुसूचित जाति, २ खत्री, १ कायस्थ तथा १ सिक्ख है।

विधान मण्डल पुस्तकालय अग्निकांड जांच आयोग की रिपोर्ट

*९—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य सचिवालय, लखनऊ में कुछ वर्ष पूर्व जो आगजनी की घटना घटी थी उसके सम्बन्ध में जाँच का कार्य लखनऊ संभाग के आयुक्त को दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच की रपट को सदन के पटल पर रखते हुये कृपया बतायेगी कि उसके अनुसार कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हाँ। रिपोर्ट की प्रति संलग्न† है, जिसमें दिए हुए जाँच के नतीजे और संस्तुति के संक्षिप्त विवरण के अनुसार—

* * *

१(ग) आग बिजली के शार्ट सर्किट से नहीं लगी और न सबोटेज ही उसका कारण था। आग इत्तिफाकिया थी और सम्भवतः इस बरामदे में चाय बनाने के कारण आग लगी, यह चाय विधान सभा पुस्तकालय के सहायकों के लिये सम्भवतः बनाई गई थी।

(घ) खस की टट्टियों से आग नहीं लगी और उनकी मौजूदगी से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

* * *

(छ) अग्नि शामक यंत्र ठीक थे किन्तु दो हाइड्रेन्ट काम नहीं करते थे।

---

†छापी नहीं गयी।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

आयोग ने यह भी अभ्युक्ति की है कि "राज्य सम्पत्ति विभाग, विधान सभा सचिवालय के केयरटेकर और विधान सभा पुस्तकालय के कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा"।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुये शासन ने उन्हें इस विषय में सतर्क रहने के लिये आदेश दिए हैं। यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक माह एक बार अग्नि शमन यंत्रों का पूर्ण निरीक्षण किया जाय, और प्रत्येक तिमाही में एक बार फायर ड्रिल कराई जाए।

ग्राम प्रधान, रमवापुर, गोंडा के विरुद्ध धारा, ४०९ भा०द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का आदेश

*१०—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह तथा श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)।

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अतिरिक्त परगनाधिकारी, बलरामपुर, जिला गोंडा ने १२-१२-७३ को थानेदार, तुलसीपुर थाना को यह आदेश दिये ह कि ग्राम प्रधान, रमवापुर के विरुद्ध ४०९ आई० पी० सी० का मुकदमा चलाया जाय? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 2-12-73 को परगनाधिकारी, बलरामपुर, जिला गोंडा ने थानाध्यक्ष तुलसीपुर को आदेश दिये थे कि यदि ग्राम रमवापुर के भूतपूर्व प्रधान चार्ज नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध धारा ४०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत केस दर्ज किया जाय। भूतपूर्व प्रधान, ग्राम रमवापुर ने २९-१२-७३ को चार्ज पंचायत मंत्री को दे दिया जिसके कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

रंजीत सिंह यादव, निवासी ताहरपुर मैदू, कानपुर की हत्या

*११—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अकबरपुर पुलिस थाना के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर मैदू में वहाँ के रंजीतसिंह यादव का २८/२९ मई, १९७४ की रात में ट्यूबवेल पर कत्ल कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर में क्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई? और क्या यह सही है कि मुलजिमानों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट है और चश्मदीद सहादत भी है परन्तु मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कानपुर के थाना अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर मैदू ट्यूबवेल के पास दिनाँक २८/२९ मई, १९७४ की रात में तीन नामजद तथा तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा श्री रंजीत सिंह यादव की हत्या किये जाने की सचना थाना अकबरपुर पर दिनाँक २९-५-७४ को दी गई। प्रथम सचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। तीन नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को २९-५-७४ को गिरफ्तार कर लिया गया और शेष दो ने बाद में न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५०-२५१ पर)

*१२—श्री हरि केवल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

ग्राम पथवलिया, जिला गोंडा के काश्तकारों की अध्याप्त भूमि का मुआवज

*१३—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि पी० ए० सी० गोंडा ने पथवलिया ग्राम के काश्तकारों की ४२ एकड़ जमीन-भवन एवं क्वार्टर बनाने हेतु सन् १९७३ में एक्वायर किया था ? यदि हाँ, तो क्या उन किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हाँ। ग्राम पथवलिया, परगना, तहसील व जिला गोंडा की ४२.६६ एकड़ भूमि को तीसवीं वाहिनी पी० ए० सी० के भवनों के निर्माणार्थ अध्याप्त किया जा रहा है। इस भूमि पर १ जून, १९७३ को कब्जा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के प्राविधानों के अनुसार प्राप्त किया गया था। भूमि आध्याप्ति कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। अतः प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है। अभिनिर्णय (award) की घोषणा हो जाने के बाद ही प्रतिकर का भुगतान किया जा सकता है।

श्री राम दयाल पाण्डेय, ग्राम बेलपार पंडित, देवरिया की हत्या

*१४—श्री हरि केवल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि श्री प्रभुदयाल पाँडे, ग्राम बेलपार पंडित, थाना खामपार, जिला देवरिया ने दिनाँक २९ व ३० नवम्बर, १९७३ को पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस आशय का तार दिया कि मेरे तथा मेरे परिवार वालों को जानमाल का खतरा श्री अच्छैवर पाँडेय, निलंबित सब-इन्सपेक्टर से है तथा क्या यह भी सही है कि दिनाँक ४ दिसम्बर, १९७३ को श्री प्रभुदयाल पाँडे एवं श्री राम दयाल पाँडे को गोली मार दी गई जिसमें श्री राम दयाल पाँडेय की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई ? यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रभू दयाल पांडे, निवासी ग्राम बेलपार पंडित, थाना खामपार, जिला देवरिया ने पुलिस अधीक्षक, देवरिया को २९ व ३० नवम्बर १९७३ को तार भेजे थे जिनमें उसी ग्राम के अच्छैबर पांडे (निलंम्बित सब-इन्सपेक्टर) तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जबरन उनके घर में पार्टीशन वाल बनाने का प्रयास करने और धमकाने आदि की शिकायतें थीं। दोनों तार थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये थे। इन तारों के पहुंचने के पूर्व श्री प्रभुदयाल पांडे द्वारा २९-११-७३ को इसी बारे में थानाध्यक्ष को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर ३०-११-७२ को कार्यवाही की जा चुकी थी और प्रभु दयाल पांडे ने यह लिखित रूप में दिया था कि वे मामला पंचायत द्वारा तय करा लेंगे और शान्ति भंग की संभावना नहीं है। अतः वे पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं चाहते।

दिनाँक ४-१२-७३ को श्री प्रेमचंद पांडे, पुत्र श्री प्रभु दायल पांडे ने थाना खामपार पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि राम अच्छैवर पांडे व दस अन्य अभियुक्त बंदूक आदि से लैस होकर उसी दिन वादी के घर पहुंचे और गिरवी रखने के लिये दिये गए गहनों के बारे में पूंछा जिस पर वाद-विवाद हो गया और राम अच्छैवर पांडे नें बंदूक से फायर किए जिससे वादी के चाचा रामदयाल पांडे की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई और उसके पिता प्रभुदयाल पांडे को भी चोटें आईं शेष अभियुक्तों ने लाठियों से मार-पीट की।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

उपरोक्त सूचना पर थाने पर धारा १४७/१४८/१४९/३०२/३०७/३२३ भारतीय दंड विधान व २५० आर्म ऐक्ट का मुकदमा कायम किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्त चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में पुर्जों के अभाव में बसों की मरम्मत न होना

*१५—श्री राम सेवक यादव, (जिला बराबंकी), श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया), तथा श्री सत्य पाल मलिक—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर स्थित बस बाडी वर्कशाप यू० पी० रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में इसलिये काम रुका हुआ है कि उसके लिये आवश्यक सामान अधिकारीगण मुहैया करने में असमर्थ हैं, यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि पुर्जों के अभाव में, इंजनों की मरम्मत न होने के कारण काफी बसें बेकार पड़ी हुई हैं? यदि हाँ, तो शासन को प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

आवश्यक सामान तथा पुर्जों के उत्पादन में देशव्यापी कमी होने के कारण केन्द्रीय कार्यशाला के उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ा है। बस बाडी के निर्माण के लिये अल्युमीनियम की चद्दर, लोहे की चद्दर, एंगिल आदि मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है और यद्यपि इस सामान तथा इंजनों के रिकंडीशनिंग के लिये आवश्यक पुर्जे प्राप्त करने के सभी संभव प्रयत्न किये गये हैं तथापि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस समय केवल रिकंडीशंड इंजनों के अभाव में परिवहन निगम की लगभग ७०० बसें आफ रोड हैं। क्षेत्रीय तथा डिपो वर्कशापों में दिनाँक ३० जून, १९७४ को कुल ११८१ बसें मेंटीनेन्स तथा मरम्मत के लिये खड़ी थीं। नार्म्स के अनुसार कुल ४६४९ बसों के बेड़े का १६ प्रतिशत यानी ७४४ बसें रख-रखाव तथा मरम्मत के लिये इन वर्कशापों में रहनी चाहिये। अतः ४३७ अतिरिक्त बसें आफ रोड थीं। यदि यह बसें आफ रोड न होती तो वे २०० रु० प्रति बस प्रतिदिन के हिसाब से आमदनी में बढ़ोत्तरी कर सकती थीं।

आवश्यक बस बाडी का निर्माण तथा इन्जनों के रिकंडीशनिंग के लिये पुर्जे मुहैया करने के लिये परवहन निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वयं सप्लायर्स के सम्पर्क करके सामान प्राप्त करने तथा सामान की उपलब्धता के अनुसार डिजाइन में परिवर्तन करके अधिक से अधिक संख्या में बसों को चालू रखने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

*१६—श्री त्रिवेणी सहाय—

[१६वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मिर्जापुर जनपद में हरिजन अनुदान से निर्मित आवास

*१७—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कितने हरिजन आवास किस-किस गाँव में कितनी लागत से कितने कमरों के बने ? वर्ष १९७४–७५ में मिर्जापुर जनपद में हरिजन आवास के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है और किन–किन गाँवों में आवास बनाने की योजना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मिर्जापुर जनपद में १७७ हरिजन आवास जिन-जिन गाँवों में बने हैं उनकी सूची तालिका।

(अ) (ब) (स) पर संलग्न है। प्रति आवास निम्न लागत व कमरों के बनाये गये:—

(१) १,००० रु०	विभागीय अनुदान	एक कमरे का
(२) २,००० रु०	.. जयन्ती ग्रामों में	एक कमरे का
(३) ५,००० रु०	.. विभागीय ऋण योजना	एक कमरा, रसोई घर व बरामदा आदि।

वर्ष १९७४–७५ में मिर्जापुर के लिये ८०,००० रु० ८० गृहों के निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. २५२–२५३ पर)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस अधिकारियों को आई० ए० एस० के सीनियर स्केल पदों पर अनुमोदित किया जाना

श्री कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला शाहजहाँपुर), तथा श्री गिरिजा किशोर मिश्र—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (इक्जीक्यूटिव ब्रांच) के अधिकारियों की आई० ए० एस० के सीनियर स्केल पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, संघीय लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने दिसम्बर, १९७२, जनवरी १९७३ में अधिकारियों की एक सूची बनाई थी और यदि हां तो उक्त सूची में किन–किन अधिकारियों के नाम थे? क्या यह सही है कि भारत सरकार ने उक्त सूची में उल्लिखित अधिकारियों में से केवल प्रथम १५ अधिकारियों को ही आई० ए० एस० के सीनियर स्केल पदों पर स्थानापन्न रूप से लगातार कार्य रहने की स्वीकृति दी है तथा कुछ अधिकारियों को जो पहले से ही स्थानापन्न रूप से आई० ए० एस० केडर के सीनियर स्केल पदों पर कार्य करते रहे हैं स्वीकृति नहीं दी है और इस आधार पर उन्हें आई० ए० एस० के सीनियर स्केल का वेतन नहीं दिया गया है। यदि हाँ तो शेष अधिकारियों को आई० ए० एस० के सीनियर स्केल पदों पर लगातर कार्य करते रहने के बावजूद भी स्वीकृति न देने तथा वेतन न देने का क्या कारण था संबंधित अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई नियुक्ति हेतु १५ अधिकारियों की एक प्रवरण सूची बनाई जाती है जिसका प्रतिवर्ष दिसम्बर, माह में एक चयन समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। सूची गोपनीय है अतः उसमें शामिल अधिकारियों के नाम बताना जनहित में न होगा।

उपर्युक्त संवर्गीय अधिकारियों के उपलब्ध न होने पर राज्य शासन उक्त सूची से सीनयर आई० ए० एस० स्केल में स्थानापन्न नियुक्तियाँ भी कर सकती है जिसका नियमानुसार अनुमोदन भारत सरकार/संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त करना होता है उक्त सूची के १० अधिकारियों की स्थानापन्नता भारत सरकार/संघ लोक सेवा आयोग ने इस कारण अनुमोदित नहीं की है कि प्रशासनिक हित में आई० ए० एस० संवर्ग में स्वीकृत संख्या से अधिक अस्थाई पदों का सृजन करना पड़ा।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

उपरोक्त अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण १० अधिकारियों का वेतन आई० ए० एस० के सीनियर स्केल ९००–१८०० में विनियमित नहीं किया जा सकता। इन्हें पी० सी० एस० के विशेष वेतनमान १४००–१८०० में ही ३ महीने बाद वेतन दिया जायेगा ।

नन्द प्रयाग, चमोली के पटवारी द्वारा श्री कशवीदास हरिजन की कथित पिटाई

*१९—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री को सूचना है कि ५ जून, १९७४ को पटवारी और कानूनगो नन्द प्रयाग जिला चमोली ने एक असहाय हरिजन श्री कशवीदास और उसके परिवार की महिलाओं को बुरी तरह पीटा और उन्हें हथकड़ियों से बाँध कर पेड़ों पर लटकाया ? यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २७–५–१९७४ को पटवारी नन्द प्रयाग ने धारा ३५३/१८६ भा० द० वि० के अन्तर्गत सुपरवाइजर कानूनगो नन्द प्रयाग को एक रिपोर्ट दी कि दिनाँक १२–५–१९७४ परगनाधिकारी के आदेशानुसार श्री कशवीदास आदि की बेदखली की कार्यवाही करते समय श्री कशवीदास व तीन महिलाओं ने उन्हें गाली गलौज किया और सरकार कार्य में बाधा डाल कर उन्हें कार्य निस्पादन से रोका। दिनाँक ५–६–७४ को सुपरवाइजर कानूनगो ने उक्त अभियुक्तों को हिरासत में लिया। स्त्री अभियुक्तों को जमानत देने पर वहो छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद अभियुक्त कशवीदास को भी जमानत देने पर छोड़ दिया गया। यह कहना सही नहीं है कि श्री कशवीदास अथवा उनके परिवार की महिलाओं को पीटा गया उन्हें हथकड़ी बाँध कर पेड़ों पर लटकाया गया ।

श्री सियाराम सिंह निवासी रेवामऊ, लखनऊ की हत्या

*२०—श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय सियाराम सिंह उर्फ नारायण बख्श सिंह निवासी ग्राम रेवामऊ, थाना इटौंजा, जिला लखनऊ की हत्या १–३–७३ कर दी गई थी ? क्या यह भी सही है कि उनके पिता श्री शारदा बख्श सिंह ने हत्यारों के विरुद्ध थाना इटौंजा, जिला लखनऊ में नामजद रिपोर्ट की थी ? यदि हाँ, तो क्या पुलिस ने हत्यारों के विरुद्ध अब तक चार्ज शीट एवं मुकदमा नहीं चलाया ? यदि हाँ, तो क्यों और क्या यह भी सही है कि शारदा बख्श सिंह पर भी दिनाँक १३–५–७३ को मार्ग में ही हत्यारों एवं उनके रिश्तेदारों ने आक्रमण किया था जिसकी रिपोर्ट उक्त थाने में उसी तिथि को लिखा दी गयी थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित सियाराम मृत्यु की घटना, से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है !?

मृतक के पिता श्री शारदा बख्श सिंह ने दिनाँक १३–५–७३ को नहीं बल्कि ९–५–७३ को थाना इटौंजा में अमुक अभियुक्तों के विरुद्ध उन्हें घेर कर मारने की धमकियां देने के संबंध में एक गैरदस्तदाजी रिपोर्ट हस्ब धारा ३५२/५०४/५०६ भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अंकित कराई थी। मामला अहस्तक्षेपनीय होने के कारण पलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की

थानाध्यक्ष चुनार, मिर्जापुर के विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा

*२१—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, १९७४, में चुनार, थाना मिर्जापुर के थानाअध्क्ष के विरुद्ध एक महिला ने उसके साथ किये गये बलात्कार की रिपोर्ट थाने में लिखाई तथा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को दी ? यदि हाँ, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कायवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार मई, १९७४ में थाना चुनार जिला मिर्जापुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी महिला के साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट थाने पर नहीं प्राप्त हुई । २५-५-७४ को श्रीमती कुमारी बेवा स्वीर्गीय घुमई निवासी भरपूर थाना चुनार का एक प्रार्थना-पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना चुनार के थानाध्यक्ष के विरुद्ध आचरंणहीनता के आरोप लगाये गये थे। इसी मामले के बारे में उक्त महिला ने न्यायालय में २५-५-७४ को एक इस्तगासा भी दाखिल किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस्तगासे में न्यायालय के निर्णय के पश्चात् जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जावेगी।

*२२—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित]।

ग्राम खसहरिया वाराणसी में भूमि विवाद के कारण झगड़ा

*२३—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी),तथा श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला बाराणसी) –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज्ञानपुर, तहसील जिला वाराणसी के अगरौई थाने के खसहरिया ग्राम में दिनाँक २४-५-७४ को झगड़ा हुआ ? यदि हाँ, तो क्या यह झगड़ा हिन्दू मुस्लिम के टेन्शन के कारण हुआ था या व्यक्तिगत रंजिश से और इसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक २४-५-७४ को कस्बा खमरिया जिला वाराणसी स्थित एक पोखर के पास मिट्टी खोदने के मामले को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। इस घटना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा थाना औराई पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिन पर मुकदमें कायम किये गये । दोनों मुकदमों विवेचना प्रगतिशील है। साम्प्रदायिक तनाव के कारण नहीं बल्कि भूमि सम्बन्धी विवाद को लेकर उक्त घटना का होना प्रतीत हुआ।

ग्राम गंगाहरी, जिला प्रतापगढ़ में एक महिला की कुयें में डूबने से मृत्यु

*२४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक ७ मई, १९७४ को ग्राम गंगाहरी, मौजा बरहुआ भोजपुर, थाना सदर कोतवाली ,जनपद प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में एक महिला को जान से मार कर कुयें में फेक दिया है जिसकी नामजद रिपोर्ट भी दर्ज है और उसका शव प्रशिक्षण भी हुआ है तो सरकार ने कोई कार्यवाही की अगर नहीं तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक ८-५-७४ को चौधीराम जिला प्रतापगढ़ न थाना कोतवाली प्रतापगढ़ पर इत आशय की सूचना दी कि ७-५-७४ को दिन में उस की

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

स्त्री से व गाँव के बैजनाथ से झगड़ा हुआ था और बाद में बैजनाथ के भतीजे ने उसकी स्त्री को एक लाठी मार दी थी जिस पर उसकी स्त्री मारने वाले से यह कहकर कि मैं तुम्हारे ऊपर जान दे दूंगी, कुंए में कूद पड़ी। कुए से निकाले जाने पर उसकी स्त्री मृत पाई गई।

इस सूचना के प्राप्त होने पर थाने से एक ए० एस० आई० मौके पर गया और लाश का पंचायतनामा तैयार करके लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा।

पोस्ट मार्टम परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु डूबने के कारण श्वास अवरक्षण होने के फलस्वरूप हुई।

थाने पर जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें मृतक को जान से मार कर कुए में डालने आदि का कोई आरोप किसी के विरुद्ध नहीं हैं और न कोई अपराधी विवेचना से प्रकाश में आया है। विवेचना जारी है।

थाना जवां, अलीगढ़, में धारा ३७७ के अन्तर्गत अंकित नामजद रिपोर्ट

*२५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि थाना जवाँ, जिला अलीगढ़ में दिनाँक १५-५-७४ से २०-५-७४ तक की अवधि में भारतीय दण्ड विधान की धारा ३७७ के अन्तर्गत किस-किस के द्वारा किस-किस के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट अंकित कराई गई है? और इनके सम्बन्ध में दिनाँक २०-६-७४ तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक १५-५-७४ से २०-५-७४ तक की अवधि थाना जवां जिला अलीगढ़ में धारा ३७७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक नामजद रिपोर्ट दिनाँक १९-५-७४ को वादी श्री पालूराम निवासी ग्राम साधा थाना जवां द्वारा श्री टिलुआ पुत्र श्री केशव देव हरियाना निवासी ग्राम साधा थाना जवां जिला अलीगढ़ के विरुद्ध लिखाई गई। इस रिपोर्ट पर धारा ३७७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरम्भ की गई।

नामजद अभियुक्त के विरुद्ध दिनाँक २२-५-७४ धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई। विवेचना जारी है।

ग्राम नाथूपुर, वाराणसी में डकैतों की मुठभेठ में श्री होरी लाल की मृत्यु

*२६—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्ता द्वारा भेजा हुआ ६-३-७३ का पत्र जिसमें ग्राम नाथूपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी में पड़ी डकैती में डकैतों का मुकाबला करते हुये प्राइमरी पाठशाला हथेरे के सहायक अध्यापक होरी लाल की मृत्यु की वजह से उनके आश्रितों के पेंशन देने हेतु मिला है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हाँ।

मृतक के आश्रितों को पेंशन के कागजात पूरा करने हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कार्यालय में कई बार बुलाया गया परन्तु वे नहीं आये। अब ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह निदेश दिये जा रहे हैं कि वे सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कराकर अविलम्ब समस्त आवश्यक कार्यवाही करें।

मेयोहाल, इलाहाबाद को लीज पर दिया जाना

*२७—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री खचेड़ूं सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर), श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद) तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र सन् १९७४ के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० १८ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, १९७३ एवं २० जून, १९७४ की अवधि में किन-किन तिथियों में इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त से जिन्होंने मेयोहाल की लीज गलत तरीके से दी थी, जवाब तलब किया गया एवं स्पष्टीकरण माँगा गया और क्या सरकार सरकारी आदेश की प्रतिलिपि व आयुक्त से आये हुये जवाब की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नवम्बर सन् १९७३ से २० जन, १९७४ की अवधि में मेयोहाल को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त इलाहाबाद मंडल से स्पष्टीकरण शासना देश में दिनाँक ८-फरवरी, १९७४ द्वारा माँगा गया था जिसका उत्तर आयुक्त ने अपने पत्र दिनाँक १३ मार्च, १९७४ द्वारा दिया था। दिनाँक २० जून, १९७४ को आयुक्त इलाहाबाद मंडल को आरोप-पत्र देने का निर्णय लिया था और यह आरोप पत्र २१ जून १९७४ को उन्हें भेजा गया।

उक्त सभी कागजात की प्रतिलिपियों का सदन के पटल पर रखा जाना लोक हित में नहीं होगा।

*२८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*२९—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

तहसीलदार बीघापुर जिला फैजाबाद के घर में कथित डकैती

*३०—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनाँक २०-६-७४ को तहसील बीधापुर, जिला फैजाबाद के तहसीलदार के निवास स्थान पर, जो तहसील से मिला हुआ है और हमेशा सशस्त्र पुलिस गार्ड रहता है, डकैती पड़ी और डाकू अन्य सामान के साथ खजाने की कुंजी भी लूट ले गये ? यदि हां तो क्या डाकुओं ने खजाना भी लूटा और सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनाँक २०-६-७४ को तहसीलदार बीधा पुर जिला फैजाबाद के घर में न तो डाका पड़ा और न खजाना लूटा गया। तहसीलदार बीघापुर के घर में १८/१९-६-७४ को रात में डकैती पड़ी थी और डकैत उनका सामान व उनका एक निजी कश बक्स जिस में कुछ जेवरात व सरकारी खजाने की चाभियों का गुच्छा था लूट ले गए। इस घटना की लिखित सचना तहसीलदार ने १९-६-७४ को थाना बीकापुर में दी जिसके आधार पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम किया गया है। विवेचना जारी है।

*३१—श्री शारदा भक्त सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

थाना फतेहगंज पूर्वी, बरेली में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम

*३२—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या सरकार को पता है कि १ मई, १९७४ को बरेली के थाना फतेगंज पूर्वी में गरीबों की मदद में एक रंगारंग कार्यक्रम थानाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया जिसमें उप पुलिस अधीक्षक मुख्य अतिथि थे जिसमें ४० हजार रुपया की आमदनी हुई। यदि हाँ, तो यह रुपया गरीबों के हित में किस रूप में लगाया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनाँक १ मई, १९७४ को जिला बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में थानाध्यक्ष द्वारा गरीबों की मदद में कोई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। अतः इस कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक के उपस्थित होने तथा किसी प्रकार का धन एकत्र करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री सत्यापाल सिंह यादव—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*३४—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[८वें सोमवार में तारांकित प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३५-३६—श्री झिलमिट—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

थाना जहांगीरगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत डकैतियां

श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के थाना जहाँगीर गंज के अन्तर्गत मार्च, १९७४ से १५ जन, १९७४ तक कुल कितनी डकैतियाँ पड़ी हैं ? और उनमें से कितनी डकैतियाँ हरिजनों के घरों में पड़ी हैं और किन-किन गाँवों में ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च १९७४ से १५ जून, १९७४ की अवधि में जनपद फैजाबाद के जहांगीर गंज थाने के अन्तर्गत दो डकैतियाँ पड़ने की रिपोर्ट थाना जहाँगीरगंज पर प्राप्त हुई। इन दो डकतियों में से एक ग्राम सरेयों गोहनारपुर के एक हरिजन क यहां पड़ी थी।

*३८—श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ—

[११वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३९—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*४०—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*४१—श्री तीरथ राम कोहली—

[९वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४२—श्री रेवती शरन मौर्य—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*४३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सतर्कता निदेशक के अधीन विचाराधीन मामले तथा प्रशासनिक ट्रिबुनल व सरकार के समक्ष अनिर्णित मामले

*४४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १-११-७३ को सतर्कता निदेशक के पास कितने मामले जाँच के लिये विचाराधीन थे तथा प्रशासनिक ट्रिबुनल और सरकार के समक्ष कितने-कितने केसेज अलग-अलग कार्यवाही के लिये अनिर्णित पड़े थे और उपरोक्त तीनों स्थानों पर अभी तक कितने केसेज पेंडिंग हैं ? उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

१ नवम्बर, १९७३ को विभिन्न स्तरों पर पेंडिंग मामलों की स्थिति इस प्रकार थी :—

(१) सतर्कता निदेशक	.. ..	२३५
(२) प्रशासनिक ट्रिबुनल ..	.. ..	३४
(३) शासन ..	.. ..	३२५
	योग ..	५९४

इसमें से १ नवम्बर, १९७३, से लेकर १ जुलाई, १९७४ तक विभिन्न स्तरों पर जो कार्यवाही हुई वह निम्नवत है :—

(१) सतर्कता निदेशक से प्राप्त जाँच रिपोर्ट	..	९९
(२) प्रशासनिक ट्रिबुनल से प्राप्त जाँच रिपोर्ट	..	६
(३) शासन द्वारा निर्णीत मामले	..	७४
	योग ..	१७९

अब दिनाँक १ जुलाई, १९७४ तक शेष मामलों की स्थिति यह है :—

(१) सतर्कता निदेशक के पास मामले ..	..	१३६
(२) प्रशासनिक ट्रिबुनल के पास मामले ..	..	२८
(३) शासन में विचाराधीन मामले ..	..	२५१
	योग ..	४१५

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

शासन द्वारा निर्णीत ७४ मामलों में की गई कार्यवाही का ब्योरा निम्नलिखित है:—

	मामले
सेवा से हटाया जाना	२
सेवा समाप्ति	१
अनिवार्य सेवा निवृत्ति	३
पंक्तिच्युत	२
अभियोजन	५
हल्के दण्ड	४८
(जैसे चेतावनी, वेतन वृद्धि का रोका जाना प्रतिकूल प्रविष्टि आदि)	
दोषमुक्त	११
मृत्यु हो जाने के कारण मामलों की समाप्ति।	२
योग ..	७४

*४५—श्री मन्ना लाल—

[९वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

ग्राम फरेन्दा, जिला खीरी में पुलिस सब इन्स्पेक्टर द्वारा श्रीमती राजबेटी के घर में कथित आग लगवाना

*४६—श्री मन्ना लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० जून, १९७४ को सायं ६/७ बजे ग्राम फरेंदा, थाना मोहम्मदी, जिला खीरी में एक सब-इन्सपेक्टर ने एक विधवा के घर में आग लगवा दी? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुसम्मात राज बेटी बेवा शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम फरेंदा थाना मोहम्मदी ने ११-६-७४ को एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी खीरी को दिया तथा उसी दिन पुलिस अधीक्षक खीरी को भी डाक से भेजा। उक्त प्रार्थना-पत्र में एक सब-इन्सपेक्टर के कहने पर एक हरिजन द्वारा उनके छप्पर में आग लगाये जाने का आरोप लगाया गया था।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जाँच एस० डी० एम० मोहम्मदी तथा क्षेत्राधिकारी, गोला से कराई गई थी। जाँच से उक्त आरोप सही नहीं पाया गया।

जिला फर्रुखाबाद में फायर फाइटिंग स्टेशन की स्थापना की मांग

*४७—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में फायर फाइटिंग स्टेशन की स्थापना पर क्या सरकार यथाशीघ्र विचार करेगी जब कि इस जनपद की यह प्रमुख आवश्यकता है और अग्निकान्ड की घटना घटित होने पर फायर ब्रिगेड ८० मील दूर कानपर से आता है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हाँ, फर्रुखाबाद में फायर फाइटिंग स्टेशन की स्थापना पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

*४८—श्री राम सुन्दर पाँडे—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*४९—कुंवर श्रीपाल सिंह—

[१०वें मंगलवार में ७१ पर स्थानान्तरित।]

श्री अनन्त कुमार यादव, चपरासी सार्वजनिक निर्माण निभाग, जौनपुर की हत्या

*५०—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर की पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियर के चपरासी अनन्त कुमार यादव को १० जून, १९७४ को किसी ने गोली चला कर मार डाला। यदि हाँ, तो पूर्व विवरण क्या है? तथा अब तक क्या कार्यवाही हुयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक १०–६–७४ को करीब ८ १/२ बजे रात मुहल्ला जोगियाँपुर थाना कोतवाली जिला जौनपुर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने श्री अनन्त कुमार यादव चपरासी सार्वजनिक निर्माण विभाग (पुल) को गोली मार कर घायल कर दिया गोली की आवाज सुनकर एक हेड कानिसटिबिल अपने अन्य सहयोगी पुलिस कर्मचारियों के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचा और घायल को अस्पताल पहुंचाया जहाँ डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया। अभियुक्त गण घटनास्थल पर पुलिस कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही भाग गये थे।

हेड कानिसटिबिल की सूचना पर थाना कोतवाली में एक मुकदमा धारा ३०२ भारतीय दण्ड विधान अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई। अब तक की गई विवेचना से कोई भी अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है।

केन सोसाइटी धामपुर, बिजनौर के कैशियर का लूटा जाना

*५१—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन सोसाइटी, धामपुर जिला बिजनौर के कैशियर जब ७२ हजार रुपया अप्रैल, १९७४ में शुगर मिल, धामपुर ले जा रहे थे रास्ते में लूट लिये गये। यदि हाँ, तो अब तक इस सम्बन्ध मे कितने व्यक्ति बन्दी बनाये गये और क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अप्रैल, १९७४ में नहीं बल्कि दिनाँक २७–३–७४ को थाना धामपुर जिला बिजनौर पर टेलीफोन द्वारा सूचना लिखाई गई कि केन सोसायटी के कैशियर जब कैश लेकर फैक्टरी जा रहे थे तब चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें सूट लिया गया। उक्त सूचना पर धारा ३९२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये ४ अभियुक्तों में से एक अभियुक्ता को दिनाँक ८–५–७४ को, एक को दिनाँक ९–५–७४ को तथा एक को दिनाँक १३–५–७४ को बन्दी बनाया गया। एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा उसे जेल भेजा गया। लूटे गये ७५,००० रुपये में से ७,६७५ रुपया अभियुक्तों से बरामद किया गया। विवेचना जारी है।

थाना स्योरा, जिला बिजनौर में राहजनी की घटना

*५२—श्री अब्दुल वहीद—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना स्योहारा, जिला बिजनौर में दिनांक २ जून, १९७४ को ७,६६२ रुपये की राहजनी की कोई घटना घटी और उसकी रिपोर्ट उसी दिन थाने में दर्ज करायी गयी ? यदि हाँ, तो घटना किस गाँव के व्यक्ति की है और किस स्थान की है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनाँक २–६–७४ को थाना स्योहारा, जिला बिजनौर पर श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, निवासी मो० किसरोल, रानी फाटक, थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद ने तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके १७,६६२ रुपये व कलाई घड़ी व चेन महमूदपुर की पुलिया के पास जबरियन छीन लेने की लिखित सूचना दी। उक्त सूचना पर धारा ३९२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों में से दो दिनाँक १८–६–७४ को बन्दी बनाये गये तथा उनसे २,३०० रुपया नकद व वादी की घड़ी बरामद हुई। शेष एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है। विवेचना जारी है।

श्री हुसियारी लाल, हरिजन, जिला बांदा की हत्या

*५३—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कस्बा अतर्रा, जिला बाँदा निवासी हुसियारी लाल हरिजन का दिनाँक १६ मार्च, १९७४ को कत्ल करके अभियुक्तों ने लाश रेलवे स्टेशन के पास डाल दी जिसकी सूचना पुलिस थाना अतर्रा में की गयी थी ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनाँक १८–३–७४ को नहीं बल्कि १८–४–१९७४ को पुराने माल गोदाम, रेलवे स्टेशन, अतर्रा के निकट एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री हुसियारी लाल हरिजन, निवासी भाऊ का पुरवा, मजरा अतर्रा पर चाकू से आक्रमण करके उनको घायल किये जाने की लिखित सचना उसी रात थाना अतर्रा पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा ३२४, भारतीय दंड विधान कायम किया गया और श्री हुसियारी लाल को इलाज के लिये अस्पताल भेजा गया तथा विवेचना शुरू की गई। श्री हुसियारी लाल की दिनाँक १७–४–१९७४ को सदर अस्पताल, बाँदा में मृत्यु हो जाने के बाद मुकदमा धारा ३०४ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया।

*५४—श्री राम सेवक यादव—

[१०वें गुरूवार में ७९ पर स्थानान्तरित।]

*५५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[१०वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ५२ में स्थानान्तरित।]

*५६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*५७—श्री राम सुन्दर पाँडे—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*५८—श्री मंजूर अहमद—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*५९—श्री भगवती सिंह विशारद—

[१०वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री गिरजा शंकर मिश्र, निवासी उरई, जिला जालौन का अपनी सुरक्षा हेतु प्रार्थना-पत्र

*६०—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गिरिजा शंकर मिश्र, निवासी उरई, जिला जालौन ने दिनाँक २२ फरवरी, १९७४ को राज्यपाल, आई० जी०, डी० आई० जी० व जिलाधीश आदि को कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय के दिये हैं कि उनकी हत्या कराने का षड़-यन्त्र किया जा रहा है और क्या श्री मिश्र ने इन प्रार्थना-पत्रों में अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने की भी माँग की है ? यदि हाँ, तो उनकी सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित श्री गिरजा शंकर मिश्र, निवासी उरई, जिला जालौन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। श्री गिरजा शंकर मिश्र तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिये स्थानीय पुलिस सतर्क है और जिस क्षेत्र में श्री मिश्र का मकान है उस क्षेत्र में पुलिस गश्त सक्रिय कर दिया गया है।

फर्रुखाबाद जिले में डकैती और कत्ल की घटनायें

*61—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सन् 1973 और मई, 1974 तक प्रति वर्ष कितनी डकैती, कत्ल और इनकी बढ़ती हुयी संख्या को देख सरकार ने इनको रोकने हेतु क्या उपाय किये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

फर्रुखाबाद जिले में वर्ष 1973 में 63 डकैती तथा 110 कत्ल और वर्ष 1974 में मई तक 42 डकैती तथा 64 कत्ल की घटनाओं की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई।

डकैती को रोकने के लिये डकैती विरोधी अभियान चलाया गया। जहां जहां गैंग सक्रिय पाये गये वहां समय-समय पर पी० ए० सी० एवं सशस्त्र पुलिस तनात की गई तथा रात्रि गश्त की विशेष व्यवस्था की गई।

कत्ल के अपराध की रोक-थाम के लिये जहां-जहां पर दुश्मनी पाई गई वहां धारा 107/117 जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और शस्त्रों का दुरुपयोग करने वालों के शस्त्र निरस्त कराये गये तथा अवैध शस्त्रों की बड़े पमाने पर बरामदगी की गई।

फर्रुखाबाद में पुलिस हिरासत में दो व्यक्तियों की मृत्यु

*६२—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में जनवरी, १९७३ से मई, १९७४ तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस के पीटने से या पुलिस हिरासत में हुयी? यदि कुछ घटनायें हुईं तो उनमें क्या कार्यवाही हुयी? और पोस्ट मार्टम-कराने के बाद उनकी लाशें उनके घर वालों को दे दी गयीं या नहीं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, १९७३ से मई, १९७४ तक जिला फर्रुखाबाद में दो व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई। दोनों ही मामलों में जांच प्रगतिशील है। पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों लाशों को उनके घर वालों के दे दिया गया था।

तहसील घाटमपुर (कानपुर) के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र

*६३—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं जिन्हें अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं हो सकी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कानपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के जिन-जिन आवेदन-पत्रों में घाटमपुर तहसील का उल्लेख है और जो अभी पेंशन स्वीकृति हेतु शासन के विचाराधीन हैं उनकी संख्या 34 है। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ये आवेदन-पत्र हैं उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये ह।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५४–२५५ पर)

*६४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१०वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ७७ में स्थानान्तरित]

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की उन्नाव में स्थापना

*६५—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) तथा श्री गया सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का निश्चय शिक्षा सत्र १९७३–७४ में किया गया था? यदि हां, तो अब तक संस्थान की स्थापना न होने के क्या कारण हैं?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां। किन्तु प्रशिक्षण सत्र के मध्य में संस्थान की स्थापना सम्भव न थी।

*६६—श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री गया सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव में किस स्थान पर स्थापित किया जायगा और क्या वह स्थान प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशक को प्राप्त हो गया है?

श्री राजमंगल पांडेय—

उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र के भवन में जो प्राप्त हो गया है।

*६७—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

सी० आई० डी० कार्यालय, लखनऊ में ५८ वर्ष आयु पूरी करने के बाद भी कार्य कर रहे अधिकारी

*६८—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, फरवरी, १९७४ में सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये थे कि जो सरकारी अधिकारी ५८ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया जाय? यदि हाँ, तो उक्त आदेश जारी किये जाने के बाद भी सी० आई० डी० पुलिस विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालय में ऐसे कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं जो ५८ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं? उन्हें सेवा से निवृत्त न करने के क्या कारण हैं?

श्री हेमबती नन्दन बहुगुणा—

जनवरी, फरवरी, १९७४ में सरकार ने यह आदेश जारी किये थे कि वर्तमान मंत्रिमंडल के गठन के पूर्व जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति स्वीकृत की गई है, यदि सम्भव हो तो उन्हें एक माह के अन्दर सेवा से मुक्त कर दिया जाये। सी० आई० डी० के लखनऊ स्थित कार्यालय में एक पुलिस अधिकारी को ५८ वर्ष के बाद एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश जारी होने के बाद उन पर नोटिस तामील करके निर्धारित अवधि के समाप्ति पर दिनाँक १०–५–७४ के अपरान्ह से कार्यभार मुक्त कर दिया गया।

गांव टिकसुरी, मैनपुरी में पड़ी डकैतियां

*६९—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले में एलाऊ थाने के गाँव टिकसुरी में अप्रैल या मई, १९७४ मास में एक ही रात के अन्दर कई घरों में एक साथ डकतियाँ पड़ीं और और माल की लूट के साथ ही लड़कियों व बहुओं के साथ बर्बर बलात्कार किया गया जिससे सपूर्ण इलाका बुरी तरह आतंकित है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री राम मूर्ति, निवासी ग्राम टिकसुरी, थाना एलाऊ में दिनाँक २३–५–७४ को उसके यहाँ तथा उसके पड़ोस के गंगासरन व बाबूराम के घरों मेंदिनाँक २२/२३–५–७४ की रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा आदमियों एवं औरतों को मारेन्पीटे जान, फायर किये जाने, एक औरत को कुएं में डाले जाने व सामान लूटने की रिपोर्ट लिखाई। इस पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना जारी है।

लड़कियों व बहुओं के साथ बलात्कार का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया न ही बलात्कार का होना पाया गया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

यह सत्य नहीं है कि उक्त घटना के कारण थाना एलाऊ क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है।

बस्ती के ग्रामीण अंचल में निर्मित हरिजन बस्तियों में लगे सामान की जांच

*७०—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मानकर कि बस्ती जिले में ग्रामीण अंचल में वित्तीय वर्ष १९७२–७३, १९७३–७४ में जो हरिजन बस्तियाँ बनाई गई हैं, उनमें निम्न स्तर का सामान लगाया गया है तथा अभी से टूटने लगी हैं, के निर्माण की जाँच किसी टेक्निकल सेल से करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बस्ती जिले की ग्रामीण अंचल में वर्ष १९७२–७३ में कोई हरिजन बस्ती नहीं बनाई गयी है। वर्ष १९७३–७४ में जयन्ती ग्रामों में बनाई गयी बस्तियों में निम्न स्तर का सामान नहीं लगाया गया है और नहीं वे टूटने लगी हैं। अतः किसी टेक्निकल सेल से जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*७१—श्री काली चरन—

[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना

१—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद विश्वविद्यालय जुलाई सन् १९७४ से टीचिंग कम रेजीडेन्सियल के रूप में चालू हो जायगा ? यदि हाँ, तो क्या मौजूदा साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद की १९७४–७५ सत्र की वार्षिक परीक्षायें फैजाबाद विश्वविद्यालय के ही द्वारा सम्पन्न कराई जायेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

फैजाबाद विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधान मंडल के इस सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके पारित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। आरम्भ में यह विश्वविद्यालय एफीलियेटिंग होगा।

विश्वविद्यालय स्थापित होजाने पर, स्वयं ही इस प्रश्न पर विचार करेगा

मैनपुरी जिले में डकैतियां

२—श्री मुंशी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी में जनवरी, १९७४ से अब तक कितनी डकैतियाँ पड़ीं ? उनकी ३९६, ३९५, ३९७ विधान सभाई क्षेत्रवार संख्या क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मैनपुरी में जनवरी, १९७४ से ९ जुलाई, १९७४ तक कुल १४५ डकती के अभियोग अंकित किये गये। विधान सभा क्षेत्रवार उनकी संख्या निम्न है :—

विधान सभा क्षेत्र	धारा ३९६	धारा ३९५/३९७
१—जसराना	१	१९
२—विधान सभा क्षेत्र, घिरौर ..	२	१६
३—विधान सभा क्षेत्र, शिकोहाबाद ..	२	१९
४—विधान सभा क्षेत्र, करहल ..	२	१७
५—विधान सभा क्षेत्र, किशनी ..	१	१४
६—विधान सभा क्षेत्र, भोगाँव ..	३	२६
७—विधान सभा क्षेत्र, मैनपुरी ..	१	२२
योग ..	१२	१३३

एटा जिले में आग्नेयास्त्रों के लिये जारी किये गये लाइसेन्स

३—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी एटा ने गत १ जनवरी, १९७४ से २ जून, १९७४ तक कितने बन्दूक, रिवाल्वर, पिस्टल के लाइसेंस जारी किये तथा उनको इस कार्यकाल में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिलाधिकारी एटा को १ जनवरी, १९७४ से २ जून, १९७४ तक बन्दूक, रिवाल्वर तथा पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये क्रमशः २,४५६, ११० तथा ३८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से बन्दूक के लिये १९९, रिवाल्वर के लिये १५ तथा पिस्तौल के लिये १० लाइसेंसों की स्वीकृति प्रदान की गई।

ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी में बन्दूक के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र

४—श्री रामरति बिन्द तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज्ञानपुर तहसील में जनवरी, १९७३ से लेकर १९ जून, १९७४ तक कितनी दरख्वास्ते बन्दूक के लाइसेन्स के लिये पड़ी हैं और उनमें से कितनी दरख्वास्तें मंजूर की गईं तथा कितनी निरस्त की गईं और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ज्ञानपुर तहसील में जनवरी, १९७३ से लेकर १९-६-७४ तक कुल ४०८ दरख्वास्तें बन्दूक के लाइसेन्स के लिये पड़ीं। उनमें से ११५ दरख्वास्तें मंजूर की गईं तथा ३१ दरख्वास्तें निरस्त की गईं।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

३१ दरख्वास्तों केनिरस्त किये जाने का कारण यह था कि सम्बन्धित आवेदन-कर्ताओं को बन्दूक के लाइसेन्स दिये जाने की आवश्यकता यथार्थ नहीं पाई गई और वे लाइसेंस दिये जाने के अनुपयुक्त पाये गये।

जयगुरु देव के नाम से प्रदेश के मुख्य मार्गों एवं नगरों में नारों का लिखा जाना और उनकी आय का स्रोत

५—श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को पता है कि गुरुदेव संज्ञा से अनेक देशद्रोही व प्रजातन्त्र विरोधी जैसे "एम० एल० ए०, एम० पी० को निकाल बाहर करो" आदि नारे प्रदेश के मुख्य मार्गों एवं नगरों में लिखे जा रहे हैं? यदि हाँ, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जय गुरुदेव के नाम से लखनऊ तथा प्रदेश के कुछ अन्य नगरों की दीवालें आदि पर "एम० एल० ए०, एम० पी० को निकाल बाहर करो" आदि नारे लिखे पाये गये। किन्तु परीक्षण करने पर इन्हें कानूनी कार्यवाही के लिये पर्याप्त नहीं पाये गये।

श्री महेश सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जय गुरुदेव के इस व्यापक प्रचार अभियान में व्यय धनराशि का स्रोत क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जय गुरुदेव के आर्थिक स्रोत निम्न हैं :—

(१) कृष्णानगर, मथुरा स्थित चिरौली संत आश्रम के अन्तर्गत लगभग ५० बीघा जमीन से उत्पन्न अनाज।

(२) जय गुरुदेव धर्म प्रचार के लिये छापे जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री का धन।

(३) जय गुरुदेव के अनुयाइयों द्वारा दिया जाने वाला धन।

इसके अतिरिक्त जहाँ भी जय गुरुदेव के प्रवचन इत्यादि होते हैं, वहां इनके स्थानीय अनुयाइयों द्वारा उनका व्यय स्वयं वहन किया जाता है।

७—८—श्री दयाराम भास्कर—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में डकैती, मारपीट, चोरी और राहजनी की घटनायें और उनमें गिरफ्तारियां

९—श्रीराम रति बिन्द, श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री राम निहोर (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी में १९७४ में कतनी डकैती की घटनायें हुई और उनमें कितने लोग गिरफ्तार किये गये?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी में १–१–७४ से ३०–६–७४ की अवधि में डकैती की १२ घटनाओं की सूचनाएं विभिन्न थानों पर प्राप्त हुईं। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में ३६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

१०—श्री राम रति बिन्द, श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री राम निहोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में मारपीट व राहजनी तथा चोरी की कितनी घटनायें १९७४ में हुईं और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उपरोक्त अवधि में तहसील ज्ञानपुर वाराणसी के विभिन्न थानों पर मार-पीट के अहस्तक्षेपनीय तथा हस्तक्षेपनीय घटनाओं की कुल ६४३, राहजनी की ११ तथा चोरी (नकबजनी सहित) की २१४ घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुईं। उक्त घटनाओं के संबंध में २२४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

इलाहाबाद जनपद में हत्यायें व लूटपाट की घटनायें

११—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इलाहाबाद जनपद में हत्याओं एवं लूटपाट में वृद्धि के विषय पर १९ जून, १९७४ को विधान सभा में दिये गये वक्तव्य के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन १७ व्यक्तियों का कत्ल हुआ उनका नाम पता क्या है तथा कत्ल की घटना किस थाने के अतर्गत हुई और जो ८ डकैतियाँ पड़ीं वह किस गाँव, किस थाने और किस व्यक्ति के ऊपर पड़ीं तथा रेल में जो डकैती पड़ी उस डिब्बे में कुल कितने लोग थे, उनके नाम तथा पता क्या हैं और किस-किस का कुल कितने मूल्य का सामान लूटा गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वाँछित सूचना संलग्न है

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५६–२५७ पर)

पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार का आरोप

१२—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९७२–७३ व १९७३–७४ में कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगा और इस सम्बन्ध में कितने के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गयी तथा कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में कत्ल व डकैती की घटनायें

१३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में, १ अप्रैल, १९७४ से २८ मई, १९७४ के मध्य कितनी कत्ल तथा डकैती की घटनायें घटीं ? कत्ल द्वारा मारे गये

[श्री सत्यपाल मालवीय]

मृतकों के नाम क्या ह तथा वह कहाँ–कहाँ के निवासी थे ? उक्त घटनाओं की संख्या देखते हुये क्या सरकार जनपद इलाहाबाद में कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कोई विशेष प्रभावकारी कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनपद इलाहाबाद में १ अप्रैल, १९७४ से २८ मई, १९७४ के मध्य २७ कत्ल तथा २३ डकैती की घटनायें होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। कत्ल की घटनाओं में कुल २८ व्यक्ति तथा डकैती की घटनाओं में ५ व्यक्ति मारे गये। मृतकों के नाम व पते संलग्न विवरण में अंकित हैं ?

इलाहाबाद जनपद में डकैतों, चोरों तथा अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने हेतु अभियान चलाया गया है जिसके फलस्वरूप अब अपराध में भारी कमी हो रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५८–२५९ पर)

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र

१४—श्री हरिकेवल—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया में १ जुलाई, १९७३ से २० जून, १९७४ तक कितने आवेदन-पत्र बन्दूक एवं रिवाल्वर के लाइसेन्स हेतु प्राप्त हुए जिनमें से कितनी लाइसेन्स स्वीकृत हुई तथा कितनी दरखास्तें अभी विचाराधीन पड़ी हैं और कितनी खारिज हो गई हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में १ जुलाई, १९७३ से २० जून, १९७४ तक १८५ दरखास्तें बन्दूक के तथा २६ दरखास्तें रिवाल्वर के लाइसेंस हेतु प्राप्त हुईं जिनमें बन्दूक के लाइसेंस के लिये ३१ तथा रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये ३ दरखास्तें स्वीकृत हुईं। बन्दूक के लाइसेंस के लिये १४८ व रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये २३ दरखास्तें विचाराधीन हैं। बन्दूक के लाइसेंस के लिये ६ दरखास्तें खारिज हो गई हैं।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल व उनकी मांगें

१५—श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर व अक्टूबर, १९७३ में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल में मुख्य–मुख्य मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उनके उचित मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन की मुख्य मांगें थीं कि वेतन–क्रम तुरन्त पुनरीक्षित किए जायें तथा वेतन–मंडल की अनुशंसाओं के फलस्वरूप निर्धारित वर्गीकरण तथा फिटमेंट के मामले सुधारे जायं। इन मांगों को औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचाट) को संदर्भित किया गया था और अभिनिर्णय के अनुसार आदेश जारी कर दिए गए हैं।

गोंडा व बहराइच के देहाती क्षेत्रों के लिये विद्युत् की पूर्ति

१६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा और बहराइच जिले के देहाती क्षेत्र को कितने घंटे बिजली मई, जून, १९७४ में दी जाती है और किस समय से किस समय तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मई तथा जून, १९७४ के महीने में बहराइच तथा गोंडा जिले के देहाती क्षेत्र में रोशनी तथा पंखों के लिये ७ बजे सायंकाल से तथा सिंचाई के निमित्त नलकूपों तथा उद्योगों को ९ बजे रात्रि से दूसरे दिन प्रातः काल ६ बजे तक बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त एक दिन छोड़कर रोस्टर के आधार पर दिन में ६ घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था थी।

१७—श्री बृजपाल सिंह—

[११वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सी० आई० डी० कालोनी, महानगर, लखनऊ के आवास गृहों का आवंटन

१८—श्री बृजपाल सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित सी० आई० डी० सब-इन्सपेक्टरों के आवास के लिये निर्धारित क्वार्टर हैं, क्या उनमें उप-पुलिस अधीक्षक रह रहे हैं? यदि हाँ, तो उनसे किस हिसाब से किराया चार्ज किया जा रहा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हाँ। सी० आई० डी० कालोनी महानगर, लखनऊ में उपनिरीक्षकों के लिए १२ आवासगृह निर्धारित हैं, जिनमें से एक उप-निरीक्षक पदोन्नति पाकर उपाधीक्षक हो गये हैं, परन्तु वे अपने पूर्व आवंटित आवासगृह में ही रह रहे हैं और उनसे ८० रु० प्रतिमाह की दर से किराया वसूल किया जा रहा है।

कस्बा सादुल्लानगर, गोंडा में चोरी व डकैती

१९—श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १ मई, १९७४ से ३१ मई, १९७४ के बीच थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा के सादुल्लानगर कस्बे में कितनी चोरियाँ तथा डाके पड़े और उनमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार १ मई, १९७४ से ३१ मई, १९७४ के बीच जिला गोंडा के सादुल्लानगर कस्बे में कोई डकैती नहीं पड़ी। उक्त अवधि में सादुल्लानगर कस्बे में चोरी की ४ घटनायें होने की सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हुईं। चोरी के इन ४ मामलों में से एक मामले की विवेचना नहीं की गई, एक मामले में विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है तथा शेष दो मामलों में अभियुक्तों तथा चोरी गए माल का पता न लग पाने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

२०—श्री सत्यपाल सिंह—

[६वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुहल्ला क़ानून गोयान, बाराबंकी में हरिजनों के घर में चोरी

२१—श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १८/१९ जून, १९७४ को मुहल्ला कानून गोयान, शहर बाराबंकी में तीन हरिजनों के घर में चोरी हुई थी? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १८/१९ जून, १९७४ नहीं बल्कि १९/२० जून, १९७४ की रात्रि में मोहल्ला कानून गोयान, बाराबंकी के तीन हरिजनों के घरों में, जोपास-पास हैं, चोरी होने की एक लिखित सूचना थाना कोतवाली, बाराबंकी में २०–६–७४ को प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना के आधार पर धारा ४५७/३८० भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियुक्तों तथा चोरी गई माल का पता लगाने के लिये पुलिस प्रयत्न-शील है।

२२—श्री राम सुन्दर पाँडे—

[७वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला खीरी में भूमि अपहरण सम्बन्धी मामलों की जांच

२३—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में वर्ष १९७०–७१, १९७१–७२ में भूमि अपहरण सम्बन्धी कितने मामले सी०आई०डी० द्वारा जाँच कराये गये और जाँच के क्या परिणाम निकले और क्या मुलजिमों तथा झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ष १९७०–७१ तथा १९७१–७२ की अवधि में जिला खीरी में कुछ भूखण्डों पर अनधिकृत कब्जा किये जाने विषयक एक शिकायती पत्र शासन को फरवरी, १९७१ में प्राप्त हुआ था। उसमें उल्लिखित शिकायतों की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने के लिये शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को मार्च, १९७१ में आदेश दिये गये थे। अब तक की जाँच से कुछ भूखंडों के संबंध में अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं जिनके बारे में विधिक परीक्षण किया जा रहा है। कुछ अन्य भूखंडों के बारे में जाँच जारी है।

जनपद गोरखपुर में निर्मित हरिजन बस्तियां

२४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के खंड विकास क्षेत्र बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर तथा मिश्रौलिया (नौतनवा) में हरिजन बस्ती पिछले वर्ष १९७२-७३ और १९७३–७४ में किन–किन स्थानों पर बनी और उन पर क्या लागत लगी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनपद गोरखपुर के विकास खंड, बृजमनगंज के जयन्ती ग्राम शाहाबाद में ६ आवास गृह तथा नौतनवां के जयन्त ग्राम–जुगालम में पाँच आवास गृहों का निर्माण कार्य वर्ष १९७३–७४ में कराया गया है। विकासखंड लक्ष्मीपुर के जयन्ती ग्राम–रामनगर में ६ हरिजन आवास गृहों का निर्माण अभी चल रहा है विकास खंड नौतनवां के ग्राम मिश्रौलिया में कोई हरिजन बस्ती नहीं बनाई गई है।

प्रत्येक आवास गृहों के निर्माण की अनुमानित लागत २,००० रु० है। इस प्रकार उक्त १७ मकानों की लागत मु० ३४,००० रु० हैं। वर्ष १९७२–७३ में कोई हरिजन बस्ती शासन द्वारा नहीं बनाई गई है।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के एवार्ड का प्रतिपालन

२५—श्री हरिकेवल—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के कितने एवार्ड ऐसे हैं जिनका प्रतिपालन नहीं हुआ है और ऐसे एवार्डों का प्रतिपालन कब तक हो जायेगा ?

श्री राज मंगल पाँडेय—

औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवम् श्रम-न्यायालयों द्वारा दिये गये १,०८१ एवार्ड ऐसे हैं जिनका प्रतिपालन अभी नहीं हुआ है। इनमें से २१५ एवार्डों पर माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं। अगर श्रमिक केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३३—सी या उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ६ एच (१) के अन्तगत प्रार्थना—पत्र दें तो प्रतिपालन शीघ्र हो सकता है।

प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय सत्यपाल मलिक एवं माननीय मधुकर दिघे ने माननीय मुख्य मन्त्री एवं माननीय प्रधान मन्त्री के विरुद्ध उठाया था। इसको मैंने इस नियम के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया है कि जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता है, उसको नियम ६४ के अनुसार, जो सदस्य ऐसे प्रश्न उठाना चाहते हैं, वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। कुछ माननीय सदस्य अध्यक्ष को इन्हें सम्बोधित करते हैं, जो अनियमित है। यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी, जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायगी। इसका भी पालन नहीं होता है। इसलिये बहुतों को खारिज करना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियन्त्रित होगी :

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो,

(ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।

शिकायत का प्रस्तुत किया जाना—यदि अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को जाँच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे।

तो विशेषाधिकार के प्रश्न की अस्वीकृति की सूचना दी जाती है। पार्टियों के अन्तर्गत मामले जो बाहर होते हैं ..... (व्यवधान)

(श्री सत्यपाल मलिक के खड़े होने पर)

इस पर बोलने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। जो आपने उठाया उसको अस्वीकृत किया है, इसकी सूचना भी आपको दे दी गयी है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसी तरह से एक श्री बाबूलाल वर्मा ने माननीय सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। आपने जो गल्ती की है वह यह है कि जो प्रश्न सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का था उसे सिंचाई मन्त्री का बताया है। इसलिये अगर आप इस पर जोर देंगे तो गलतबयानी आपकी भी साबित होगी। इसलिये मैं इसको खारिज करता हूं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

बजाय सचिव के अगर आपको सम्बोधित कर दिया तो आपने इसे अस्वीकृत कर दिया या गल्ती से एक मिनिस्टर से दूसरे मिनिस्टर का नाम हो जाय तो यह मैटीरियल इरेग्युलैरिटी में नहीं आती। इम्मेटीरियल है। इलेक्शन कमीशन में भी जहाँ तक पेटीशन्स का सवाल है इस तरह की इरेग्युलैरीटीज को मैटीरियल नहीं माना जाता है। तो आप उसको इतना रिजिड न बनाइये.....

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने पहले ही चौधरी साहब को सूचित कर दिया था कि जहाँ किसी अधिकार के हनन का सवाल होगा, किसी ने हनन किया है उसका और किसी मामले में हुआ। जैसे आपसे सम्बन्धित कोई मामला है और गलती से भेज दिया है वह और बात है लेकिन अगर मान लीजिये आपके खिलाफ किसी को कुछ कहना है और वह रामसेवक जी कहें तो विशेषाधिकार के मामले में नाम-निर्देशित सदस्य के विरुद्ध ही आ सकता है। यह बीच का हिसाब और सरकार का हिसाब उसमें नहीं आता। सिर्फ उस मामले तक हम सीमित कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मैंने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से प्रश्न किया और उन्हीं के नाम निर्देशित है।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही देख लीजिये। कार्यवाही मैंने देख ली है, उसे यदि आप चाहें आपको दिखा दूंगा और उससे आप संतुष्ट हो जायेंगे। यहाँ नहीं दिखाऊंगा।

अब एक बयान आयेगा, उसके बाद कार्य-स्थगन फिर ३०१ वाले।

विविध विषय

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर अनुमति दे दें तो मैं एक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षा मन्त्री जो बैठे हुये हैं, मुख्य मन्त्री जो बैठे हुये हैं, पब्लिक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इतने महत्व का है तो लिख कर होना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

प्रश्नोत्तर के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। अब यह सीमित होना चाहिये। यह मेरे सचिवालय से सम्बन्धित है। मैंने सब को चौधरी साहब और दूसरे माननीय सदस्यों को सहायक सचिव को बुलाकर संतुष्ट कर दिया। लारी साहब को भी कर दिया। अब नहीं। कार्य-स्थगन के बाद ३०१ होगा। उसके बाद।

गोंडा जिले में गन्ने की फसल की पाइरिला नामक कीड़े से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाँडेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार गोंडा के किसी भी विकास क्षेत्र में गन्ने की फसल में पाइरिला का इस समय कोई प्रकोप नहीं है। मई-जून, १९७४ में गोंडा जनपद के रुपई डीह विकास खण्ड के अन्तर्गत १५ एकड़ के क्षेत्र पर पाइरिला कीट का छुटपुट प्रकोप हुआ था। गन्ना विकास विभाग के माध्यम से जून में ही सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र पर नियन्त्रण का कार्य सम्पन्न करा दिया गया। इस समय किसी भी क्षेत्र में पाइरिला का प्रकोप नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गन्ने की फसल पर इस प्रकोप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना तथा तत्काल नियन्त्रण कार्य कराने के लिये कड़े आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मैंने जो रिपोर्ट दी है उसमें गोंडा के पूर्वी भाग जिसमें कि मोहन जी का क्षेत्र और छपिया आता है उसका था और उसके सम्बन्ध में वक्तव्य में कोई व्याख्या नहीं की गयी है। मैंने अपने यहाँ अपनी आँखों से देखा है और मेरे खुद के खेत में भी पाइरिला का कीड़ा लगा है, तो माननीय मन्त्री जी किस आधार पर कहते हैं कि पाइरिला के कीड़े का प्रकोप नहीं है ? किस श्रोत से उन्होंने यह सूचना मंगायी है ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

अभी २२-२३ जुलाई को श्री बी० के० गोयल, प्लान्ट आफिसर को गोंडा भेजा गया था, उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला कि वहां पाइरिला का प्रकोप नहीं है।

श्री दशरथ सिंह—

गोंडा जिले के किन अधिकारियों से सम्पर्क किया ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

नियोजन विभाग तथा प्लान्ट प्रोटेक्शन से सम्बन्धित अधिकारियों से पूछ-ताछ की थी।

श्री दशरथ सिंह—

श्रीमन, मैंने जिस क्षेत्र के बारे में शिकायत की थी वह क्षेत्र बस्ती जिले से गवर्न होता है, गोंडा जिले के अधिकारी कोई सूचना दे ही नहीं सकते थे। इस सूचना को देने में पूर्णतया लापरवाही बरती गयी है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह सही है कि जिस क्षेत्र के बारे में कहा गया है वह बस्ती क्षेत्र में आता है। मई और जून में एक विकास खंड में पाइरिला का प्रकोप हुआ, यह आपने स्वयं माना है। पिछले वर्ष भी गोंडा जिले में गन्ने के खेतों में यह रोग लगा था। तो विकास स्तर पर क्या मन्त्री महोदय इसकी पुन: जानकारी करायेंगे और यहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे ?

श्री राजमंगल पाँडेय—

अगर वह क्षेत्र बस्ती जिले में है तो बस्ती जिले के तो किसी भी विधायक ने लिख कर नहीं दिया है.....(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह तो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था, इस पर आप प्रश्न करने की इजाजत क्यों दे रहे हैं.....(व्यवधान)।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन् काशीनाथ मिश्र जी आपको रोज शिक्षा देते हैं, इनसे कहिये कि .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कुछ आप कोशिश करते हैं कुछ वह ? ....। (हंसो)

इस प्रश्न में दो राय नहीं हैं। कीड़ा जहाँ भी लगा हो उसका उन्मूलन होना चाहिये। हो सकता है उस जगह अधिकारी न गये हों जहाँ कीड़ा लगा है। तो उसके लिये आप लिख कर दे दें मन्त्री जी को मन्त्री जी उसको दिखवा देंगे। (मन्त्री जी से) आप उसको दिखवा लीजिये।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

जिस क्षेत्र में पाइरिला की शिकायत थी, वहा देखने कौन-कौन अधिकारी गये थे ? मन्त्री जी कृपया यह बता दें।

(मन्त्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

कार्य—स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष —

आज नियम ५६ के अन्तर्गत ७ सूचनायें मिली हैं। एक तो ऐसी है जो मानीय सदस्य दोहराते हैं—जैसे गल्ला, मैदा और अन्न संकट। तो मंगलवार को इस पर बयान होगा। श्री श्रीनारायन, श्री ओम् प्रकाश सिंह और श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल इन तीनों की सूचनायें इसी से सम्बन्धित हैं।

(व्यवधान)

अभी तो मैं सुना रहा हूं। आप बैठें। तो जैसा कि मैंने कहा—श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री श्रीनारायण और श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल का मैदा, अन्न वगैरह से सम्बन्धित है, तो माननीया खाद्य मन्त्री मंगलवार को इस पर बयान देंगी। उनको सूचना भेज दी जा रही है ताकि पूर्व सूचना के साथ इसको समाविष्ट करके फिर जवाब देंगीं।

श्री ओम् प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैंने तो दिया है कि विषाक्त अन्न खाने से सैकड़ों लोग आज अस्पताल म भर्ती हैं .....

श्री अध्यक्ष—

एक ही विषय है

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप होश में हैं? आपने कुछ लिख कर दिया है?

श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

लिख कर नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं कहें?

श्री अध्यक्ष—

न कहें, नियम ५१ में कहियेगा। अगर श्री बाँकेलाल जी की इतनी जागरुकता है तो १० बजे के पहले जागना चाहिये था और नियम के अनुसार उसकी नोटिस देना चाहिये थी। लेकिन हम नियम ५१ नहीं ले रहे हैं, यह नियम ५६ है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री श्रीनारायण जी ने जो सूचना दी है वह तो भुखमरी के बारे में है कि देवरिया व गोरखपुर के इलाके में भुखमरी से इतने लोग मरे।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं। श्री श्रीनारायण व श्री हरिश्चन्द्र खंडेलवाल जी का नियम ५६ में अस्वीकार। अब श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री रामसेवक यादव, श्री मधुकर दिघे, श्री सत्यपाल मलिक, और श्री मुलायम सिंह यादव का है—"लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार।"

तो यह अनिश्चित है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, एक अजीब अराजकता की स्थिति वहाँ पैदा हो गयी है और सारी अनियमिततायें यूनिवर्सिटी के अन्दर पूर्ववत् चल रही हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया। इससे बढ़कर अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय और क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, उसको आप देख सकते है।

श्री अध्यक्ष—

दीर्घकालीन अनियमिततायें रोकने के लिये कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिशें की गयी हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर यूनिवर्सिटी में न तो वायस चांसलर का कन्ट्रोल है, न किसी प्रोफेसर का कन्ट्रोल है और न किसी स्टाफ का कन्ट्रोल है, वहाँ तो एक अजीब अव्यवस्था है। वहाँ किसी किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। यूनिवर्सिटी में अनेक घटनायें हो चुकी हैं, पर पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे बढ़ कर महत्व का विषय क्या हो सकता है?

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो सारी गड़बड़ी है वह वहाँ के जो उपकुलपति हैं उनके चलते है। वहाँ विद्यार्थी नकल करते हैं और अगर निरीक्षक नकल करने वाले को रोकता है, टोकता है तो वह अपमानित होता है, उसको धक्का दिया जाता है और इस तरह से लड़कों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जाकर मेडिकल कालेज में दाखिला लो और नकल की सुविधा हासिल करो। हर चीज में कानून और व्यवस्था दिखायी नहीं दे रही है। विश्वविद्यालय में आज लिखाई-पढ़ाई नाम-मात्र को भी नहीं रह गयी है। इस सम्बन्ध मे मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन भी मिल चुका है। वहाँ नकल का सिलसिला जारी है और यह रोज ब रोज बढ़ रहा है। प्रशासन वहाँ का चौपट होचुका है। मान्यवर, शिकायत यहाँ तक है कि वहाँ शराब और अनैतिक दुराचार के सम्बन्ध में भी शिकायत है। यह सारी स्थिति है। वहाँ के उपकुलपति जो हैं वह कमिश्नर भी रह चुके हैं। प्रशासक रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी को जो ला ऐसोसियेशन का जो आपको ज्ञापन दिया गया है उसमें यहाँ तक लिख कर दिया गया है कि हमारी पुस्तिकायें जो इम्तिहान की हैं उनको बाहर जाँच करने के लिये भेजा जाये? क्योंकि उनको डर है कि अगर उनकी उत्तर पुस्तिकायें यहा जाँची गयीं तो उन्हें फेल कर दिये जाने की कोशिश की जायेगी। इस तरह से वहाँ अव्यवस्था और दलबन्दी है। मान्यवर, यह कोई मामूली मामला नहीं है। वहाँ स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है। ऐसी हालत में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, अखबार में छपा है, इसी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इस अखबार में छपा है कि ला ऐसोसियेशन के अधिकारी को घेरा गया। मान्यवर, यह भी है कि एल० एल० एम० की कापियों की जाँच यहाँ न हो। इस तरह की अव्यवस्था और दलबन्दी आज विश्वविद्यालय के अन्दर व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष—

आज जो कह रहे हैं, जो स्थिति वहाँ पर है.... (व्यवधान)।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, इस पर आप स्वायत्तशासिता का प्रश्न उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नीति के सम्बन्ध में तो जरूर चर्चा कर सकते हैं। यह विषय स्वायत्तशासिता का है। यह बात सही है। जो घटनायें घट रही हैं, जैसे प्रशासन कैसा है, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध कैसा है। नीति का सवाल तो इसके अन्दर है नहीं इससे आप भी सहमत होंगे। अगर असन्तोषप्रद स्थिति है और इसको नीति के आधार पर अगर ले, तो इसको बेहतर बनावें ऐसी कोशिश हमारी और आपकी होगी। इस पर वक्तव्य क्या होगा। वक्तव्य दिया जायेगा और आप लोग सवाल करेंगे और यह खत्म हो जायेगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल और प्रिंसिपल में क्या फर्क है, यह एक बड़ी बहस का मामला है और आज तक तय नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इस हद तक विकसित हो जाय कि प्रिंसिपल का रूप धारण कर ले और अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस हद तक बिगड़ जाय कि उसका काबू ही न रहे तो वह प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता। तो इस पर आपको इजाजत देनी चाहिये डिस्कशन के लिये।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने कहा कि दोनों में बड़ा महीन फर्क है। मैं तो इस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप स्वयं देख लें, आन्तरिक झगड़ों को लेकर विश्वविद्यालय जला था और इतने दिन बन्द रहा था।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं कहता कि छोटी-छोटी बातें बड़ी नहीं हो सकतीं। वहां स्थिति असन्तोषप्रद है। ऐसी चीज को मैं वक्तव्य के लिये रखे लेता हूं।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, वक्तव्य के लिये रखने से काम नहीं चलेगा। आप इस पर चर्चा कराइये। (व्यवधान)

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जो अभी आपने कहा कि यहां पर नीति विषयक चर्चा हो सकती है तो मैं आपकी इस राय को सही मानता हूं। पर मैं कहता हूं कि जो नीति विषयक चीजें हैं वह दूर होनी चाहिये। हम वक्त बरबाद करने के लिये खड़े नहीं हुये हैं। हमारा यह कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो बरबाद किया जा रहा है। इस वक्त सरकार को नीति है कि किसी तरह से विद्यार्थी आन्दोलन न करें और चाहे उनको बिना परीक्षा के पास करना पड़े, चाहे नकल करके पास करना पड़े, लेकिन झगड़ा-झंझट न हो।

श्री अध्यक्ष—

इस पर वक्तव्य तो आ सकता है। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जायं।

दूसरा सवाल श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने ग्लूकोस कांड के बारे में उठाया है। यह गुप्तचर विभाग को सौंपा जा चुका है। लाइसेंस दिलाने में किसका हाथ है तो इस पर चर्चा हुई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इस उपर्युक्त ग्लूकोस कांड के सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग जांच कर रहा है। इसमें पार्टी के नेता डा० वीरेन्द्र स्वरूप भी सम्मिलित हैं। ड्रग कन्ट्रोलर के ऊपर दबाव डाला गया कि उनको लाइसेंस दिया जाय। गुप्तचर विभाग पर प्रशासन की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि उनका नाम काट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा हो चुकी है। यदि उससे किसी को संतोष नहीं हुआ तो किसी ने लिखकर दिया?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं पुनः कहता हूं कि गुप्तचर विभाग पर दबाव डाला जा रहा है कि डा० वीरेन्द्र स्वरूप का नाम इसमें से काट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ग्लूकोस कांड पर चर्चा हो चुकी है तो अब उस पर न कहें। आपका विषय उचित है इसलिये हमने उसको अल्पसूचित प्रश्न में स्वीकार कर लिया है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, इस सदन में कोई माननीय सदस्य बोले तो वह चाहे नियम में आवे या न आवे लेकिन वह प्रोसीडिंग का भाग बन जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बन गया है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बात सरकार की तरफ से की जाय। एक अखबार में सूचना मिली है कि जिससे मिसअन्डरस्टैंडिंग फैली है कि गवर्नमेंट ने ग्लूकोस कांड के सिलसिले में कोई दबाव डाला है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, परन्तु वह चाहे जिस दल के हों, चाहे वह कांग्रेस के नेता हों या कोई मेम्बर हों यदि गिल्टी हैं तो उसका सी० आई० डी० पता लगावे और दण्डित करे।

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि यदि किसी माननीय सदस्य को उस खबर को छोड़कर कोई सूचना है तो हमको उस सूचना से यदि अवगत करा दें तो हम उसके आभारी रहेंगे और जो सूचना है वह कृपा करके हमारे पास भेज दें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह किस नियम में बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इनको इजाजत नहीं दी है। मुख्य मन्त्री जी ने जब आश्वासन दे दिया तो उसके अलावा और क्या हो सकता है? यदि कोई बात है तो मुख्य मन्त्री को बतला दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

गोरखपुर में भी एक ऐसा ही केस हुआ है और एक औरत तुरन्त मर गई है।

संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र ने एक संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाया है और यह दल के बाहर के कार्यकलाप से सम्बन्धित है। इसमें आक्षेप अध्यक्ष पर भी है। यदि नियम बाधक न होता तो मैं आपके पत्र की कापी सारी जनता में बाँट देता। मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

संवैधानिक सवाल है। आप पढ़कर माननीय सदस्यों को सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री काशीनाथ मिश्र ने संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। ऐसा प्रश्न उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०० के उप नियम (२) में उठाया जा सकता है लेकिन यह सदन में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक सम्बद्ध नहीं है। इसमें इन्होंने ३ प्रश्न पूछे हैं।

(***) श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

नियम ४३ में अध्यक्ष से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया दी है। नियम ३०० में मुझसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। नियम ३०१ में कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न नहीं उठायेगा। माननीय श्री काशीनाथ मिश्र ने इस सूचना में यह लिखा कि लोक सभा ने अभी हाल ही में यह कानून बना दिया है कि दल बदलने की हालत में सदस्य को धारा सभाओं से इस्तीफा देकर नये दल के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा तभी वह धारा सभाओं में बैठने का हकदार होगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि इस विषय में संविधान में संशोधन करने के लिये एक विधेयक लाया गया था जो अभी तक अधिनियम नहीं बना है और न इस सम्बन्ध में अभी कोई कानून ही संसद ने पारित किया है। अत: इन कारणों से मैं श्री काशीनाथ मिश्र की सूचना को अग्राह्य करता हूं। माननीय काशीनाथ मिश्र ने लिखा है कि क्या मुझे किसी पार्टी ने लिखा है या किसी दल से मुझको कोई सूचना आई है? मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि मुझे कोई लिखित सूचना नहीं दी गयी। मुझे भारतीय क्रान्ति दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कोई भी लिखित सूचना नहीं दी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र जो विषय उठाना चाहते हैं, वह क्या है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने लिखकर दिया है कि मुझे किसी दल की राष्ट्रीय समिति ने लिखकर दिया है, यह बात गलत है.....

श्री धर्मवीर—

लेकिन वह विषय क्या है? यह माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह इस बात की जानकारी कर सकें।

नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं। जो ३०१ के बारे में सूचनायें मिली हैं, उन पर निर्णय दे रहा हूं। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक आयोग तथा समितियां गठित की है। किन्तु उनकी रिपोर्ट पर सरकार या तो विचार नहीं करती या उनका कार्यान्वियन नहीं किया जाता। सरकार की इस नीति से जनता में भीषण असंतोष एवं उत्तेजना है।

नियम ३०१ के अन्तर्गत ऐसे विषयों को उठाने की अनुमति दी जा सकती है जो औचित्य का प्रश्न न हो। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है, अत: मैं नियम ३०१ के अन्तर्गत प्रश्नगत विषय को उठाने की अनुज्ञा देना उचित नहीं समझता हूं।

डाक्टर मलिखान सिंह ने नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि उनके द्वारा अनुसूचित वर्ग की समस्याओं को हल करने में सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में प्रश्नों की सूचना दी गयी जिनमें से अधिकांश का स्थगन तथा स्थानान्तरण होने के कारण अभी तक उत्तर नहीं दिया जा सका है और कुछ प्रश्न जो प्राथमिकता में ऊपर थे, स्थगित करके नीचे कर दिये गये हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ऐसा इसलिये किया गया है कि जिससे पूरक प्रश्न न हो सकें। प्रश्नों का स्थगन एवं स्थानान्तरण मेरी आज्ञा से होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, एक आवश्यक विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट .....

श्री अध्यक्ष—

अब तो मैं आगे चला गया। मैंने माननीय मलिखान सिंह का विषय ले लिया यदि माननीय मलिखान सिंह अपने प्रश्नों के स्थगन एवं स्थानान्तरण के बारे में स्थिति जानना चाहते हैं तो वे मुझसे या सचिव से स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इस विषय को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं आता है और माननीय सदस्य इस तरह के आन्तरिक मामलों के लिये अगर संतुष्ट होना चाहते हैं तो कार्यालय में, सचिवालय में, मेरे कक्ष में आ सकते हैं और मैं उन्हें पूर्णरूपेण संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

श्री कल्याण सिंह ने नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि शासन द्वारा श्री सूबेदार प्रसाद की सुरक्षा का आश्वसान दिये जाने के बावजूद भी श्री गोपाल प्रसाद द्वारा जो रिवाल्वर से लैस थे, श्री शिवसम्पत्ति राय के माध्यम से, उन्हें यह धमकी दी है कि "सूबेदार प्रसाद को घर न भेजना, नहीं तो जिन्दा वापस नहीं आ सकेंगे।" माननीय सदस्य ने यह भी सूचना दी है कि श्री सूबेदार प्रसाद ने यद्यपि ८ व्यक्तियों के नामों की सूचना दी थी, केवल २ व्यक्तियों के बेल बाण्ड के आदेश दिये गये थे। मुलजिम अब और भी अधिक क्रियाशील हो गये हैं तथा किसी व्यक्ति को उनके यहाँ काम करने नहीं जाने दिया जाता है, जिससे उनकी खेती-बाड़ी का काम ठप्प हो गया है। मैं इस प्रश्न को नियम ३०१ के अन्तर्गत उठाने की अनुमति तो नहीं देता, किन्तु माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने का कष्ट करें, ताकि माननीय सदस्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप पीठासीन अधिकारी हैं सब की सूचना पढ़ रहे हैं। मेरे साथ क्या बात है कि मेरी सूचना नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री सत्य प्रकाश मालवीय, राम अधार राय तथा हर प्रताप सिंह ने नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद नामक पैम्फलेट जो हिन्दी व अंग्रेजी में है, में कुछ गलत तथ्य अंकित हैं। इस पम्फलेट में लिखा है कि सम्राट हर्ष प्रयाग में प्रति वर्ष आते थे। माननीय सदस्यों का कहना है कि "सम्राट हर्ष प्रति वर्ष नहीं, प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ के समय आते थे।"

यह एतिहासिक राय तथा तथ्य में भिन्नता का प्रश्न है और नियम ३०१ में यह नहीं आता है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि और दूसरे उपाय हैं सत्य के उद्घाटन के इतिहास को उजागर करने के अन्यथा सर्वथा सुलभ साधनों को प्रयोग करते हुये माननीय सदस्य इस सदन को उससे मुक्त रखने की कृपा करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिसका नियम में नहीं आता है उसको तो आप पढ़ते हैं और मेरा संवैधानिक मसला है उसे आप नहीं पढ़ते। मुझ से कौन सी नाराजी है जो मेरी सूचना को आप नहीं पढ़ रहे हैं? इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) —

यही सूचना है कि कांग्रेस से टूट कर बहुत से लोग इधर आ रहे हैं?

एक सदस्य—

मैंने प्रश्न बराबर कई बार दिये लेकिन मेरे प्रश्नों को उचित स्थान नहीं मिल पाता है और अगर मिल जाता है दो नीचे रख दिये जाते हैं जिससे पूरक प्रश्न मैं नहीं कर पाता। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं प्रारम्भ में खड़ा हुआ था। आपने कहा कि आखिर में कहना। मैंने लिख कर नहीं दिया लेकिन पब्लिक इन्टरेस्ट का प्रश्न है इसलिये इस समय उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया था कि आप लिख कर देंगे। आपने लिख कर नहीं दिया है तो कल लिख कर दे दीजियेगा तब उसपर विचार कर लूंगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

काशीनाथ जी ने जो लिख कर दिया उसकी जानकारी सदन को होना चाहिये। ऐसा गम्भीर प्रश्न है। बलवान सिंह ने भी लिख कर सूचना आपको दी थी। उसकी जानकारी सदन को होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष —

नियम पढ़ लें, माननीय सदस्य। नियमानुसार लिखित सूचना होनी चाहिये। बलवान सिंह जी ने कोई सूचना नहीं दी थी। जो चिट्ठी आपने लिखी थी उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं थी.....

श्री राम अधार—

बलवान सिंह १६ सदस्यों को लेकर जाने वाले हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं माधव प्रसाद त्रिपाठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह लिखित देंगे तो मैं इजाजत दूंगा।

मंत्रि परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत होने के पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

(नेता सदन का नाम अनुदान पेश करने के लिये पुकारने पर और नेता सदन श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के खड़े होने पर.....)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं,

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपने कहा था कि लीडर आफ दी हाउस या लीडर आफ दी अपोजीशन खड़े होंगे तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा, कोई पार्लियामेन्टरी एटीकेट होगा या नहीं? इस सदन के अन्दर कोई संसदीय व्यवस्था रहेगी या नहीं?

(सदन में घोर व्यवधान हो गया और विरोध पक्ष की तरफ से कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोल रहे हों उस समय किसी माननीय सदस्य को खड़ा होना चाहिये ? .....

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय चरण सिंह नेता विरोधी दल नहीं हैं।

(माननीय मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

चौधरी चरण सिंह---

वैधानिक प्रश्न हो सकता है। .....

श्री धर्मवीर---

आपको कोई हक नहीं हो सकता, वैधानिक प्रश्न उठाने का ....

(सदन में बहुत शोर होने लगा और कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, कल से यहाँ पर कुछ लोग तमाशा मचाये हुये हैं उन्हें आप इंगित करें। यह बड़ी गन्दी बात है। ..... (व्यवधान)

श्री धर्मवीर---

माननीय चौधरी चरण सिंह नेता विरोधी दल नहीं हैं। ....

श्री मोती लाल देहलवी---

यशपाल कपूर का पैसा बोल रहा है। ये प्रधान मन्त्री के इशारे पर चुनकर आये हैं। ..... (घोर व्यवधान)

*चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र जो यह कह रहे थे कि क्योंकि नेता सदन बोल रहे हैं इसलिये मुझे वैधानिक प्रश्न उपस्थित करने का अधिकार नहीं है, वे गल्ती पर हैं। वैधानिक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। मुझे आपसे यही कहना है कि जो आज का अनुदान है वे उसको पेश नहीं कर सकते। उसके रीजन्स बाद में बतलाऊंगा लेकिन मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कल से बहुत शोर हो रहा है और खास तौर से दो-तीन सज्जन जिस तरह का शोर मचा रहे हैं उससे मालूम होता है कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से उनको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। कल माननीय बहुगुणा जी सदन में मौजूद नहीं थे, माननीय तिवारी जी और राजमंगल जी थे उन्होंने अपनी बेंचेज के उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। कल भी यहां पर आधा घन्टा, पौन घंटा शोर होता रहा और उसके मुताल्लिक आपने कहा भी कि अब प्रश्न नहीं उठ सकता है लेकिन फिर भी वही बात उठायी जा रही है जिसका न कोई सिर है न पैर है। इस पर आपने कल फैसला दे भी दिया है किन्तु फिर भी लोग कह रहे हैं कि यह बड़े महत्व का है और इस पर आप न्याय नहीं कर रहे हैं उनके साथ इसके पीछे मैं एक राजनीतिक मंशा समझता हूं .....(व्यवधान) माननीय बहुगुणा जी, यदि आप इस तरह से सदन चलाना चाहते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं ....फिर सदन नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि एक पार्टी के कुछ लोगों का किस्सा हुआ उनका सदन से कोई वास्ता नहीं। आपने यह भी बताया कि नेता विरोधी दल कौन होगा,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके लिये कानून है। वह न भी होता तब भी यह देखना है कि सदन में नेता विरोधी दल आपने तय किया है तो उसके पीछे कितने लोगों का समर्थन प्राप्त है। बाहर कहीं कोई बकवास या कार्यवाही होती है, उसका असर यहाँ नहीं पड़ता है। लेकिन यह जानते हुये भी यह सब कुछ होता है। मैं यह नहीं समझता कि वे सदस्य जो यह सब करते हैं, इस चीज को नहीं जानते हैं। वे जानते हैं और उनके जानते हुये सदन का इतना समय इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है—कल भी किया गया था और आज भी किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि वह जनहित की कोई बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी मंशा कुछ दूसरी है। उसको बन्द करने का ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, ऐसी बहुगुणा जी की भी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। आज भी यह सब हो रहा है। जिस सख्ती के साथ इस चीज को उन्हें (बहुगुणा जी) रोकना चाहिये था, उसको मैंने नहीं देखा। अब उनकी क्या प्रतिक्रिया या इस बात का क्या जवाब है, यह भी मैं नहीं जानना चाहता।

अब मेरा वैधानिक प्रश्न क्या है, वह मैं बताना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है, माननीय मुख्य मन्त्री जी इस अनुदान को पेश करने जा रहे हैं, किन्तु वह पेश नहीं हो सकता है। मुझ को यह मालूम हुआ है और बहुत से सूत्रों से मालूम हुआ है कि मन्त्रि परिषद् ने यह फैसला किया है कि जो यहाँ ग्रान्ट्स स्वीकार हो रही हैं, उनमें १५ प्रतिशत की कटौती की जाए। लिहाजा डिपार्टमेंट्स को आर्डर्स चले गये हैं कि यह कटौती हो। अब यह जो बजट अभी पास भी नहीं हुआ है, उसमें कटौती के आर्डर जारी हो गये हैं तो जो वह माँग यहाँ रखने जा रहे हैं, वह अनुचित है। मान लिया जाए २ करोड़ रुपया यह सदन किसी डिपार्टमेंट के लिये मंजूर करता है और मन्त्रि-परिषद् यह तय कर चुका है बाकायदा कि इसमें ३० लाख की कटौती हो। मंजूर किया जा रहा है २ करोड़ रुपया, जबकि तय कर चुका है मन्त्रि परिषद् कि १ करोड़ ७० लाख रुपया खर्च होगा।

तो जो ग्रान्ट्स या स्कीम यह रखने जा रहे हैं डेवलपमेंट या नान-डेवलपमेंट प्लान में खर्च मंजूर करने के लिये और जो माँगा जा रहा है सदन से वह व्यर्थ और बेमानी हो जाता है। यह तो मैं मानता हूं कि जब यह मंजूर हो जाये, उसके बाद जो आय के स्रोत आपने सोच रखे हैं वह न हों या किसी अनएक्सपेक्टेड कारण से न हों, गवर्नमेंट की आमदनी न हो या कम हो तो बेशक हो सकता है, उनको अधिकार है कि फलां-फलां मद में खर्च कम होगा। या फिर कोई अप्रत्याशित खर्च हो जाये और वह उनसे महत्वपूर्ण हो जो माँगें पेश हुई हैं या किसी प्राकृतिक आपत्ति में देश आ जाए, ऐसा कोई खर्चे गवर्नमेंट के जिम्मे आ जाये, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो, तो भी जो हम मंजूर कर रहे हैं, उनमें न करके उन पर किया जाये। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन बजट पास नहीं हुआ, जो आँकड़े आपने पेश कर दिये वह जेरेगौर हैं और रोजाना आप सदन से वह रकम मंजूर करा रहे हैं, जिनकी बाबत आप तय कर चुके हैं अपनी मन्त्रि-परिषद् में कि यह खर्च नहीं होगा, तो अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो उनका फाइनल बजट है, जो उनका संशोधित प्रस्ताव है, जो १५ या १० प्रतिशत कट करने के बाद किस मद में कितना रुपया खर्च करना चाहेंगे—इसको देखकर तब लायें सदन में तब ही वह लाया जा सकता है और तब ही सदन से उसकी माँग की जा सकती है। यह एक ऐसा एक्सट्राआर्डिनरी प्रोसीजर है, जो मेरे अनुभव में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बजट पेश हो और मन्त्रि-परिषद् का आदेश हो गया कि इसमें कटौती करनी है। इसके अलावा जिस मद में जितनी कटौती होगी वह भी सदन से माँगा जा रहा है। तो मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जब तक वह अमेन्डेड न हो जाय तब तक माँगें पेश नहीं की जा सकती।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, सामान्यतया जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है उसी पर मैं बोलना चाहता था। लेकिन दो बातें उन्होंने कहीं इससे पहले और चूंकि उन्होंने कही हैं इसलिये मेरा उत्तरदायित्व है कि उसका स्पष्टीकरण कर दूं। कल इस सदन में जो कुछ हुआ और आज हुआ, कुछ बातों को लेकर माननीय सदस्यों ने प्रश्नोत्तर किये और उससे जो गरमी पैदा हुई और बकौल उनके काफी देर तक सदन का समय नष्ट हुआ। मैं नहीं कह सकता हूं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि कुछ हो जाय, तो फलाँ माननीय सदस्य ने सदन का एक मिनट का समय नष्ट किया है क्योंकि हर एक माननीय सदस्य अपने स्वविवेक में बोलता है। लेकिन मैं मानता हूं कि गुल और शोर करने की परम्परा इस दल की तरफ से नहीं होनी चाहिये। अगर कोई करे तो हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिये और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है और मैंने सुना, चौधरी साहब ने कहा कि मैंने नहीं देखा। कल मैंने घटना के बाद लोगों को दो बातें समझाईं कि एक तो किसी दल में क्या हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है कि हम उसमें दखल रखें।

दूसरी बात यह है कि इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह दल स्वयं कर लेगा। क्या होना है क्या नहीं होना है। वह अपना नेता किस को रखें किस को न रखें, यह हमारी च्वाइस नहीं है। यह क्या आप और उनके बीच में फैसला होगा ? अगर कोई माननीय सदस्य बाहर बयान देना चाहते हैं तो वे बोल लें। लेकिन इस सदन में जैसी स्थिति है उसको हमें आपको देखना होगा। इसलिये जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, मेरे दिमाग में यह नहीं था कि यहाँ प्रश्न उठे कि चौधरी साहब की क्या स्थिति है, वह गैर जरूरी बात है जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, सदन की कार्यवाही का ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। उसी वातावरण में सदन की कार्यवाही हो। जैसा कि वह बोल रहे थे सब सुन रहे थे, जैसाकि मैं बोल रहा हूं और सब सुन रहे हैं इस तरह की सदन की कार्यवाही सदन की मान-मर्यादा को बढ़ाती है और हर माननीय सदस्य को इसकी रक्षा करनी चाहिये। इसलिये उनके दिल में कोई धारणा हो तो उसको निकाल दें। चौधरी साहब हाथ हिलाते रहते हैं लेकिन कुछ सदस्य हैं जो रोकने के बाद भी नहीं मानते हैं, उत्साह में या गुस्से में या वशीभूत हो जाते हैं अपने भाषण में और उनके हाथ हिलाने पर भी नहीं मानते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मान जाते हैं अक्सर।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हाँ अक्सर। माननीय राम अधार पर मेरा थोड़ा हक है। वह मेरे ऊपर कृपा करते हैं। इसलिये कहता हूं कि कभी-कभी वह भी नहीं मानते हैं बाकी आपके सभी मेम्बरों से मैं डरता हूं। जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटना सदन में नहीं होनी चाहिये और सदन का समय उसके काम में लगना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, सर्वश्री काशीनाथ मिश्र, ओमप्रकाश, प्रभुनारायण सिंह और धर्मवीर दल बदल कर उधर चले गये हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब मैं खड़ा हुआ हूं और सारा सदन देख रहा है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी भी नहीं चाहते हैं कि त्रिवेणी सहाय जी इस समय बोलें। लेकिन वह नहीं सुन रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उनके बोलने से आपके चौकन्ने होने का काम हो जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चौकन्ने होने क खयाल रखते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह घटनायें जो होती हैं, उसमें एक बात बड़ी गड़बड़ है, कुछ भी कारण हो जाय, उसमें प्रधान मन्त्री का नाम लेकर जोड़ देना कहाँ तक न्यायोचित है ? इस सदन के अन्दर सफाई के साथ कहना चाहता हूं ... (व्यवधान) मेरी बात तो पूरी हो जाय। यह भी उचित नहीं है अगर बात पूरी भी न हो पाये । मैं सफाई से इस सदन में और माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल और सारे प्रदेश की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा मैंने एक बार बजट के उत्तर में कहा था हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक तरफ हों, पोलराइजेशन प्रासेस हो, काँग्रेस दल का विश्वास है, अगर बहुत दल रहें तो इसमें न देश का हित हो रहा है न किसी का हित हो रहा है, इसलिये हम नीति के रूप में नहीं चाहते हैं कि टूट-फूट किसी प्रकार से करें। आज कोई बी के डी का सदस्य उनसे नहीं मिला न किसी का प्रतिनिधि मिला। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। न प्रधान मन्त्री जी का, न हमारा ।

चौधरी चरण सिंह—

अब मैरिट्स पर बहस हो तो अलग बात है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मेरे ऊपर चार्ज लग जाय, मैं जवाब न दूं ? माननीय सत्यपाल ने जो स्वीकार नहीं किया, मेरी बात तो सुन लें। (व्यवधान) आपकी बात प्रोसीडिंग्ज में आ गयी । जस्टीफिकेशन अलग चीज है । फिर शुबहा कर रहे हैं। ऐसे कभी सफाई होती नहीं है । मेरे कथन पर विश्वास हो तो विश्वास करें न विश्वास करें तो लाचारी है। न हमारे विचार से यह जायज है, न चाहते हैं कि कोई भी इस तरह से टूटे-फूटे। मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि जब से १९७४ का सेशन हुआ है आज की तारीख तक कभी भी किसी माननीय सदस्य को हमने किसी को भी नहीं कहा कि अपना दल आपको छोड़ना चाहिए । यह किसी ने नहीं कहा कि आपको अपने दल में विद्रोह पैदा करना चाहिए। मैंने सफाई के लिये कहा क्योंकि थोड़ा बहुत यहां कहा गया। जहां तक वैधानिक प्रश्न का सवाल है...

चौधरी चरण सिंह—

बहुगुणा जी, आपने थोड़ा सा अन्याय किया है

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अन्याय ?

चौधरी चरण सिंह—

हाँ । माननीय प्रधान मन्त्री जी का इसमें हाथ नहीं है, ठीक आपका खयाल होगा

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

खयाल नहीं, मैं जानकारी से कह रहा हूं

चौधरी चरण सिंह—

इस मामले में हम आप का विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरा मतलब यह है कि मैंने या मेरे किसी साथी ने माननीय प्रधान मंत्री के विषय में यहाँ सदन में कुछ नहीं कहा ।

(व्यवधान)

जब आप शोर मचा रहे होंगे तो किसी ने कुछ कह दिया होगा। बाहर कहा और हमारा विश्वास है, लेकिन वह यहाँ बहस की बात नहीं है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस सिलसिले में कहा है कि उनका हित इस में है कि पोलराइजेशन हो जाय, कभी भी दो दलों या सात दलों के मिलने के रास्ते में बाधक नहीं हैं, मैं जानता नहीं, न मैं उससे सहमत हूं। मेरा विश्वास है कि आप की लीडरशिप का इसमें हित है कि सूबाई, प्रदेशीय कितनी ही पार्टियाँ बन जाँय, कोई आल इंडिया लेविल पर जबरदस्त पार्टी आपके मुकाबले में न बनाई जाय। लेकिन आप जवाब देंगे तो फिर बहस हो जायगी। इसको यहाँ उठाना नहीं चाहिये था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब से बहस करने का मैं कायल नहीं हूं, निवेदन करने का कायल हूं, स्वीकार करें या न करें। मैं बहस कर नहीं सकता। न मैंने कभी बहस की, चौधरी साहब को याद दिलाऊं जब हम लोग साथ थे तब भी बहस नहीं करता था, जो बात कह देते थे स्वीकार कर लिया, चौधरी साहब की बात मान लिया, नहीं स्वीकार किया तो नहीं माना।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

बात और बहस में कितना अन्तर है। यह भी सदन जान ले।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, चौधरी साहब हमारे हित का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे मैनीफेस्टों को देख लें उसमें है कि रीजनल पार्टीज इस देश के लिये घातक हैं और हम यह मानते हैं कि अगर माधो बाबू अपनी पार्टी तोड़ दें. . . . . .

चौधरी चरण सिंह—

अब आप इस प्रश्न को फिर उठा रहे हैं,

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सफाई कर दूं कि हमें कोई दखल देने में दिलचस्पी नहीं है। बजट का सवाल है इस पर वैज्ञानिक प्रश्न उठता है। उठता है कि किस तारीख को २५ तारीख को। २९ को एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है। उनका कहना है कि १५ परसेंट की कटौती कर दिया है उनको स्मरण होगा कि वोट आन एकाउन्ट दिया था। चौधरी साहब को स्मरण होगा कि उसके आधार पर हम खर्चा करते रहे। जहाँ पर कमी देखा वहाँ खर्च कर दिया। हमने नहीं कहा कि बजट में कटौती की गयी, लेकिन टेलीफोन आदि के खर्चों में जरूर कमी की गयी। हमने आदेश दिया है कि टेलीफोन का खर्चा कम होना चाहिये। कटौती के लिये नहीं कहा है बल्कि मितव्ययता की बात कही है। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या गलती है। चौधरी साहब पहले आदमी होंगे जो कहेंगे कि देश जल रहा था और तुम सो रहे थे। उन्हें एस्योरेन्स देना चाहता हूं कि हम इस बजट को बहुत अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि कोई हमने कटौती प्रोडक्टिव सेक्टर के लिये नहीं की है। यह तो आज से दो ढाई महीने पहले उसके खर्चे को देखकर शुरू किया था कि कहां-कहां रुपया बचा सकते हैं। बचाव को चौधरी साहेब कटाव मानते हैं तो लाचारी की बात है। हम बचाव कर रहे हैं कटाव नहीं कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया, इसलिये कुछ कह देना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी आदर और स्नेह के पात्र हैं चौधरी साहेब ने जो दलील दी मैं उसके साथ हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े चतुर और अच्छे विचारक हैं तथा मृदुभाषी हैं। वह कभी ऐसे नादान नहीं हो सकते थे कि उनकी भलाई इसी में है कि अलग अलग रहें। दूसरी बात जहां तक बार-बार निर्णय करने का प्रश्न है निर्णय तो कितने ही बदलेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं.....

चौधरी चरण सिंह—

प्वाइन्ट आफ आर्डर आपको तय करना है। सवाल यह है कि मुख्य मंत्री ने और हमने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा, लेकिन मुख्य मंत्री की जो राय है मैं समझता हूं कि वह गलत है, उसको सुनने का मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इसको हम सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद देखेंगे।

१९७४–७५ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३८—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अनुदान संख्या ७२—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें, अनुदान संख्या ४२—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र, तथा अनुदान संख्या ७४—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,१५,७८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७२–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,०७,२०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से, तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं० ४०–अन्य सामाजिक

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

तथा सामुदायिक सेवायें, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,६७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं० ४२ विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,५१,५१,७०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७४—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,९२,१७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, आज यह सदन जिन मांगों पर बहस करने वाला है वह उत्तर प्रदेश के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों से संबंधित हैं। ये माँगें समाज के कमजोर वर्ग और पिछड़े हुए क्षेत्रों के संबंध में सदन से व्यय की आज्ञा माँगने के लिये प्रस्तुत की जा रही है। मुझे यह विश्वास रहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन घातक है न केवल उत्तर प्रदेश के लिये बल्कि सारे देश के लिये, हम यह भी मानते रहे हैं कि समाज के किन्हीं वर्ग को दबा कर रखने की प्रवृत्ति को, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में समानता कोई यथास्थिति वाद के कारण कायम रखने का मन दोनों के दोनों समाज को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हमारी यह भी मान्यता है कि जो पिछड़ा रहा है, चाहे इलाका हो, चाह वर्ग हो, इनकी तरक्की में हमारी तरक्की का मापदण्ड निहित है। हम कितना आगे गये इससे सिद्ध होगा। कमजोर वर्ग को हम कहाँ तक आगे ले जा सके हैं, हम कहाँ तक अपने कायक्रम में सफल हुए हैं, यह अगर देखना हो तो वह इसी बात से देखा जा सकता है कि कमजोर वर्ग और क्षेत्रों के लिये हमने क्या किया। हम अगर अपने कमजोर वर्ग की तरफ निगाह डालेंगे तो इस बजट में मान्यवर, आप देखेंगे कि १० दर्जे के ऊपर की कक्षाओं के लिये जो हरिजन बच्चों को वजीफे मिलते थे, उनका रेट दुगुना कर दिया गया है और दसवीं कक्षा तक के बच्चों की जो छात्रवृत्ति थी, उसको ड्योढ़ा किया जा रहा है।

जहाँ तक हमारे प्रदेश की कुछ ट्राइबल्स जैसे कोल भाई बाँदा में, मिर्जापुर में और बनारस में हैं, उनको केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में ट्राइबल नहीं माना है, हम उसके लिये उनसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिये इस बजट में हमने कुछ धन की व्यवस्था की है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिये हम उन्हें कुछ सहायता दे सकें। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जैसे भोटिया कम्युनिटी रहती है, उनके उत्कर्ष के लिये भी हमने इस बजट में पहली बार ४ लाख रुपये का प्राविधान किया है। पिछड़ा वर्ग और हरिजन वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन लोगों को उठाने के लिये इस सदन में हम शीघ्र एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि उनकी स्थिति को देखने के लिये, राजाज्ञाओं के कार्यान्वयन की देख-रेख रखने के लिये, संविधान में उन्हें प्रदत्त अधिकारों को किस हद तक लागू किया गया है, यह देखने के लिये हमने यह निश्चय किया है कि. . . . .

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

आपको हमारे कमजोर वर्ग की बहुत चिन्ता है तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जो पिछड़े वर्ग कमीशन का प्रतिवेदन है, जो बहुत पुराना है, उसकी सिफारिशों को भी सरकार लागू करने जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जैसा मैंने अभी कहा संविधान द्वारा प्रदत्त जिस वर्ग को जो अधिकार हैं, स्पष्ट रूप से उनको और अगर कोई कमीशन की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया हो, जिसकी बात आप करते हैं, शायद बैकवर्ड कमीशन की, वह तो बहुत पुरानी है, सारी चीज पर उसमें विचार हुआ है मेरी पूर्ववर्ती सरकारों में, जिसमें संविद की सरकार भी थी, और जो जो उन्हें मानना था वह उन्होंने माना। अब वह खत्म हो गयी है।

श्री राम सेवक यादव---

माननीय रूपनाथ यादव ने विशेष अवसर के लिये एक विधेयक पेश किया था।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

वे तो अपने विभाग में भी लागू नहीं कर पाये थे ?

श्री राम सेवक यादव---

अपने विभाग में तो आदेश कर दिए थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मुझे नहीं मालूम कि माननीय रूपनाथ सिंह यादव ने क्या किया और मेरी आदत में भी शामिल नहीं है कि जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित न हों, उनकी अनावश्यक चर्चा करूं। मैं तो मंत्रि मंडल की बात जानता हूं।

श्री राम सेवक यादव---

किसी व्यक्ति का सवाल, जब वे मंत्री थे, उस सिलसिले में आता है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, आप भले न लें। जो बैकवर्ड कमीशन का प्रतिवेदन था उसमें कुछ सिफारिशें थीं, उनको जब तक पिछड़े इलाके और पिछड़े लोगों को उठाने के लिये नहीं माना जाता तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों को वे लागू करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय उपनेता, भारतीय क्रान्ति दल ने जो प्रश्न किया है कि पिछड़े वर्ग के कमीशन की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिये क्या किया गया, मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं ? एक मनिस्टिर ने क्या किया और क्या नहीं किया मैं नहीं जानना चाहता। जहाँ तक एस० बी० सी० के निर्णयों की मुझे जानकारी है, उसने और न अन्य सरकारों ने उसे स्वीकार किया। जिस हद तक उन्होंने स्वीकार किया वे सिफारिशें लागू हो गयी है

जहाँ तक ताल्लुक मान्यवर, हमारा है, हम तो यह चाह रहे हैं, हमने कहा भी था कि एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो और हमको खुशी है कि उसके लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बेग ने हमारा दावतनामा कबूल भी किया है। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बने और वह देखता रहे माइनारिटीज को, हरिजंस को, बोकर सेक्शंस को, उनकी मुश्किलात को। तो इन दोनों हाउसेज की एक स्टैंडिंग कमेटी, जैसी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, ज्वाइन्ट कमेटी, उसके लिये आपके सामने प्रस्ताव आयेगा जिसमें हम यह चाहते हैं कि यह कमेटी बैठ कर मूल्यांकन करती है कि राजाज्ञाओं तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कार्यान्वयन होता है या नहीं। मइ

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

नारिटीज को नौकरियों में रिजर्वेशन का हरिजनों की अनटचेबिलिटी से संबंधित जो अधिनियम है उसका इम्पलीमेंटेशन होता है या नहीं, ये सब चीजें सदन में आया करेंगी इसलिये सदन को अवसर होगा कि उसके संबंध में जानकारी करे, यह देखे कि गवर्नमेंन्ट उसे पूरा कर पा रही है या नहीं।

छात्रवृत्ति की दिक्कतों के संबंध में हमने निश्चय किया है और एक टाइम शेड्यूल बना रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया कि है कि छात्र वृत्तियाँ मार्च के आखिर तक मिलती हैं, छात्र इतने दिनों तक परेशान रहते हैं। तो उसका टाइम फ्रेम बना रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति भर्ती होने के कुछ महीनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के अन्दर लड़कों को मिलना शुरू हो जाय। कुछ स्कूल और कालेज हरिजनों के नाम पर रिइम्बर्समेंट का घपला करते हैं, गलत नाम लिख देते हैं, लड़कों के वजीफे ले लेते हैं---ऐसी एक पायलट जाँच लखनऊ जिले में शुरू की है। उसमें शुरु आत में जो बातें आई हैं उनमें कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। हमने निर्देश किया है कि इस तरह का केवल नोटिस ही नहीं लेना पड़ेगा बल्कि अगर आवश्यक हो तो क्रिमिनल केस भी चलाने पड़ेंगे उनके विरुद्ध जिन्होंने ऐसा किया है।

हरिजनों के नाम पर चलने वाले छात्रावासों के अन्दर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको ३०-३५ रुपया वेतन मिलता है, जैसे चौकीदार है। यह विचाराधीन है, इतने वेतन में कोई काम कर नहीं सकता है, इसलिये उनमें जो लड़के रहते हैं उनको बड़ी कठिनाई रहती है। गवर्नमेंन्ट विचार कर रही है और मेरा भरोसा है कि इस बजट सेशन के पास होने के पहले पहले ५-६ रोज में उसका निर्णय ले लिया जायगा कि उन कर्मचारियों की उचित व्यवस्था हो जाय। इसी तरह से हरिजन निदेशालय के अन्दर हमने निश्चय किया है कि जहाँ तक उद्योग का सवाल है तो सिर्फ यही नहीं कि वहाँ लोग ट्रेडीशनल काम ही करें बल्कि कौन नये उद्योग नये ढंग से कर सकते हैं उसके लिये हरिजन निदेशालय और समाज कल्याण निदेशालय में उनको कोई जानकारी नहीं होती थी। उनको उद्योग विभाग में जाना पड़ता था। हमने कोशिश की है कि हरिजन निदेशालय का ही छोटा सा सेल बने और वह प्रोजेक्ट बनाने में, बैंक से सहायता दिलाने में सहायता करे। वह उद्योग विभाग के अन्दर ही रहेगा। उसके साथ कुछ आफिसर और एक सेट-अप इस निदेशालय में बन जायगा ताकि वह उसकी बात को कर सके।

जहाँ तक संबंध अक्षम व्यक्तियों का, विधवाओं का, अंधों का है, इनके संबंध में जो ऐसा देखा जाता रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन श्रम विभाग देखता रहा है। इस प्रश्न पर मैं सदस्यों की राय चाहूंगा कि श्रम विभाग ही उसको देखे या समाज कल्याण विभाग भी उसमें आ जाय ताकि उसकी सुविधा हो सके। क्योंकि वृद्धावस्था का वैसे प्रशंसनीय काम रहा है पर यदि उसे समाज कल्याण विभाग करे तो अच्छा होगा या नहीं, यह राय मिल जाय तो सदन की राय अपने सामने रख कर निर्णय लिया जाय वह उचित होगा। यह भी प्रश्न है कि जो कुएं बनाये जाते हैं हरिजनों के ब्लाक के जरिये से, वही प्रक्रिया चालू रखी जाय या हरिजन समाज कल्याण विभाग के जरिये से जो पुराना रास्ता था कि पैसा दे दिया जाय और वह अपने कुएं बनायें। तो आज इस सदन की राय सुनने के बाद मंत्रिमंडल में इस मामले को अन्तिम रूप देने की हम कोशिश करेंगे।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिये और भूमिहीनों के लिये काम का सवाल है, उनको रोजगार दिलाने का काम है, इसके लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं। इनके ऊपर जो कर्ज लदा हुआ है उससे उनको मुक्ति दिलाने का भी सवाल है। इनसे संबंधित कई अन्य सवाल भी हैं जिन पर अलग-अलग अपने ढंग से हम तय कर रहे हैं और शीघ्र निर्णय लेने वाले हैं। जहां कहीं आवश्यक होगा, उसके लिये हम सदन के समक्ष विधेयक भी लेकर आयेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना हम कर सकते हैं वह करेंगे, जहाँ दिक्कत होगी, जहां लेजिस्लेशन की आवश्यकता होगी, हम उसके लिये आवश्यकता पड़ने पर यहां विधेयक लायेंगे और सदन की

अनुमति प्राप्त करेंगे । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने एक आज्ञा यह प्रसारित की है कि हर विभाग में गवर्नमेंन्ट सर्वेन्ट्स की एक स्क्रीनिंग की जाय और यह पता लगाया जाय कि कौन कर्मचारी या अधिकारी अनटचएबिलिटी में विश्वास करता है। हम चाहते हैं कि ३ माह में इस तरह की एक स्क्रीनिंग हो जाय। जो भी कर्मचारी इस अनटचएबिलिटी में विश्वास करता है वह इसे दूर करने में सहायक कैसे हो सकता है ।.....(व्यवधान)

मैंने हुक्म भेजा है, और हर विभाग के हेड आफ दि डिपार्टमेंन्ट से यह सार्टिफिकेट लिया जायेगा कि उसके अधीन काम करने वाले कोई भी कर्मचारी इसमें विश्वास नहीं करते...

श्री रामसेवक यादव---

क्या इस किस्म की कुछ शिकायतें आपके पास आयी हैं, यदि आई हैं तो आपने उन पर क्या कार्यवाही की है ? या भविष्य में उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ? कृपया इस पर भी प्रकाश डाल दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैं यादव जी से कहना चाहता हूं कि हमने एक-एक आफिसर के संबंध में स्क्रीनिंग कराने के आदेश किये हैं। हमारे मन में यह संदेह था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की अभी तक मेरे सामने कोई शिकायत नहीं आयी है। अब हर जिला मैजिस्ट्रेट को अपने यहाँ के बारे में एक सार्टिफिकेट देना होगा कि उनके यहाँ एक भी आदमी अनटचएबिलिटी में विश्वास नहीं करता है और यदि कोई होगा तो उसको तुरन्त चार्जशीट दी जायेगी कि चूंकि तुम इसमें विश्वास करते हो, तुमको क्यों न सर्विस से हटा दिया जाय। मुकदमा तो बाद में उस पर चलेगा, पहले उसकी नौकरी समाप्त कर दी जायेगी..

(व्यवधान)

श्री रामसेवक यादव---

आपके आदेश तो होते हैं, मगर उन पर अमल नहीं हो रहा है, प्रश्न तो यह है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आप तो हर बात की प्रतिक्रिया करने लगते हैं। यह नहीं करते कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नोट करते रहें और सभी को एक साथ प्रस्तुत कर दें। यहाँ पर जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके घर के एक दो व्यक्ति सरकारी नौकरियों में न हों । इसलिये यह कहना कि सभी इसमें विश्वास करते हैं मैं यह नहीं, मानता, एक दो प्रतिशत हो सकते हैं और उसी के लिये मैंने अभी निवेदन किया कि हमने आदेश जारी किये हैं ।

हमने एक और आदेश किये हैं। हम यह देखेंगे कि जब हरिजन कल्याण विभाग का अधिकारी गाँवों में जाता है तो वह हरिजनों की चौपाल में बैठता है या बड़े-बड़े लोगों की चौपाल में बैठता है। भूमिवान और बड़े-बड़े लोगों के यहाँ बैठता है या छोटे हरिजनों के बीच बैठता है। हमारे समाज का ढांचा कुछ ऐसा है कि इसमें जो सोशियली एक्सप्लायटेड हैं वे ये हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के ही लोग हैं। उसमें बड़े आदमी नहीं हैं.....

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव---

हमारी बदकिस्मती यह है कि जो हम प्रश्न करते हैं उसका उत्तर न देकर मुख्य मंत्री जी इधर-उधर की बात कहने लगते हैं।

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात को सुनना पसन्द करें तो मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आखिर में, आप नोट करते रहें, मेरा भाषण हो जाय तो फिर मैं जवाब दे दूंगा।

श्री राम सेवक यादव---

होता नहीं है जवाब। मैंने तो सिर्फ यह प्रश्न उठाया है कि आप किसी अधिकारी से जाँच पड़ताल करायेंगे कि वह छुआछूत में यकीन करता है या नहीं और वह अधिकारी यकीन करते हुए नहीं मिलता है तो फिर आपको उसके अमल में काम में जाना होगा और उसकी पूरी छानबीन करनी होगी। इसी सदन में एक हरिजन मुंसिफ का प्रश्न उठा है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है। कोई पिछड़ा वर्ग या सम्पत्ति वाले का प्रश्न नहीं है। यह तो सभी जानते हैं कि जैसे ऊंची जाति वाले हैं उनमें अधिकतर धनी लोग हैं और जो नीची जाति वाले हैं उनमें निर्धन वर्ग वाले ज्यादा हैं। अपवाद सब में हो सकता है लेकिन उस लम्बी बहस में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बहस की बात नहीं है लेकिन अब भी मैं कहता हूं कि हरिजनों को छोड़ कर शेष वर्ग ने इस देश के अन्दर एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को एक्सप्लायट किया है। लेकिन हरिजनों को सभी वर्ग के लोगों ने एक्सप्लायट किया है। हम तो जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में छुआछूत की भावना नहीं है लेकिन इसके लिये हमने एक टेस्ट रखा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस तरह की सर्टिफिकेट देनी होगी कि हमारे अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों में अनटचेबिलिटी की भावना नहीं है। और अगर नहीं देगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। इसको इनफोर्स करने के लिये सरकारी मशीनरी में चेंज लाने की बात है। जैसे कोई नेता है जो वीकर सेक्शन का है, या कोई लेबर इंसपेक्टर है जो मिल मालिकों के घरों में जाकर बैठता है और मजदूरों में या हमारे हरिजन कर्मचारियों के बीच में जाकर नहीं बैठता या बड़े लोगों के घरों में जाकर बैठता है और वहीं बैठ कर फैसला कर देता है कि हरिजनों के लिये कुवाँ यहाँ खुदवा दिया जाय तो फिर वह कुआँ बड़े आदमियों के करीब ही खुद जाता है और नाम हरिजन का लिख जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें सख्ती से काम लिया जाय ताकि सरकारी कर्मचारी हरिजनों के बीच में जाकर बैठें और सब के मन को बदलने की कोशिश करें। यह क्षमता किसी में नहीं है कि वह हर आदमी का मन बदल दे। बहुतों का मन तो बदल सकता है लेकिन हर आदमी का मन नहीं बदल सकता।

हमारे देश में ही गाँधी जी ने डाक्टर लोहिया ने या पंडित जवाहर लाल जी ने अगर सबका मन नहीं बदला तो इसका माने यह नहीं है कि वे बेकार हैं और कार्लमार्क्स ने दुनिया के लोगों का मन बदला, बावजूद इसके आज भी पूंजीपति मौजूद हैं इसलिये कार्लमार्क्स बिलकुल बेकार हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी चेष्टा है लेकिन उपलब्धि आपके सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। चाहे उनके रहने के लिये आवास की बात हो, चाहे चकबन्दी से जमीन मिलने का सिलसिला हो, इन सबके लिये हम चाहते हैं कि ब्लाक, तहसील व जिला स्तर पर उनकी एक कमेटी बना दी जाय। मुझे आफसोस है कि अभी तक इसकी व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं लेकिन हम चाहते हैं कि अगस्त--सितम्बर तक इसका फाइनल हो जाय। क्योंकि अगर हम उनकी जमीन देते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं देते। और जो आबादी

की जमीन देते भी हैं तो उतनी नहीं देते जितनी देनी चाहिये, और जो हमारा रेट है उसके हिसाब से नहीं देते।

चकबन्दी के समय बड़े-बड़े लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है उनके बारे में यह भी मालूम है कि आबादी देने के बाद उससे कहते हैं कि तुमने जमीन तो लेपाली लेकिन कुदरत की माँगों को पूरा करने के लिये कहाँ जाओगे, किसके खेत में जाओगे, खेत की मेड़ पर चलने नहीं देते, घास छीलने नहीं देते। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ हरिजनों के साथ तरह-तरह की ज्यादतियाँ होती हैं, वीकर सेक्शन को जोट डालने तक के लिये एक बड़ा भारी प्रश्न सा बन गया है। हमने प्रतिज्ञा की है कि सारे समाज का मन मजबूत बनाने के लिये एक ऐग्रेरियन क्रान्ति सी करें जिसमें जो ग्रामीण अंचल का मजदूर है उसको मजदूरी ठीक मिले, उसका स्वाभिमान बना रहे, उसको रास्ते मिल सकें और यदि कानूनों में जो पड़े हैं उनके कारण कोई रुकावट आ रही हो जिसके कारण उनके लिये मेड़ आदि सुरक्षित रह सकें तो वह भी करना चाहते हैं, इसमें साथ ही उनके ऊपर जो बापदादे के जमाने से कर्जे चले आ रहे हैं, मान लो किसी के बाबा ने ५ सौ रुपये लिये थे तो उसके सूद के बदले बाबा ने हल जोता, बाप ने हल जोता और वह भी हल जोत रहा है, तो इस विपत्ति का आखिर कैसे हो (तालियाँ) इसके लिये भी सदन से हम राय चाहते हैं। इसके लिये हम दलीय सवाल इसको बनाना नहीं चाहते क्योंकि फिर उसमें राजनीतिक कारणों से नीची जमीन पर चाहे सदन में जो हो लेकिन उससे सारे समाज का परिवर्तन करने में हमें मदद नहीं मिल पायेगी।

दूसरा बजट मान्यवर, दूसरा बजट जो वीकर सेक्शंस में से विधवाओं के सम्बन्ध में है वह उनको मिलने वाली पेंशनों तथा सहायता के सम्बन्ध में है। उसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं। एक तो धन की कमी है उसके कारण भी हैं लेकिन प्रोसीजर भी बहुत लम्बा चौड़ा है और इस प्रोसीजर को कैसे छोटा किया जावे इसके लिये मैंने हरिजन विभाग से कहा है कि इस सम्बन्ध में वे विचार करके बतलावें कि किस तरीके से हम इस सारे सवाल को देख सकते हैं। मान्यवर, इसके लिये आज जो बजट की माँगें हैं उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये इलाके हैं और उनमें से बहुत से पर्वतीय भू भाग से भी सम्बन्ध रखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हम कोई विशिष्ट कार्यक्रम अलग से इसलिये नहीं कर रहे हैं, जो वहां की जलवायु, वहाँ की भूमि और जो वहाँ की समस्याओं से जुड़ी हुई न हो। हमें आशा है कि उस अंचल में समृद्धि को कायम करने के लिये, और जो वहां की वनसम्पदा की चोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिये और आज जो वहाँ पीने के लिये पानी की व्यवस्था में बहुत बड़ी कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिये हम कोई सक्रिय कदम उठाना चाहते हैं और जल्द उठाना चाहते हैं।

मान्यवर, आज वहाँ ऐसे इलाके हैं, अल्मोड़ा जिले में पिन्डरपार का ऐसा इलाका है जहाँ से कुछ लोग मेरे पास आये हैं, वहाँ ५०,६० बकरियों पर अन्न जाता है वहाँ घोड़े और खच्चर तक जाने के रास्ते नहीं हैं। इतने पिछड़े ये हमारे पर्वतीय अंचल हैं उनके लिये हम क्या करें। वहाँ उनमें चार और साढ़े चार रुपये किलो में भी गेहूं नहीं मिल पाता है, आखिर बकरियों पर अनाज कितना जायगा और कितनी बकरियों पर जायगा और साथ ही उन बकरियों के चरने के लिये वन विभाग के साथ रोज झगड़े होते रहते हैं तो हमारे पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े हुये हैं, और सीमावर्ती इलाके हैं श्रीमन्, हर देश अपने सीमावर्ती पिछड़े हुये इलाकों की ओर विशेष ध्यान देता है। हमारे यहाँ धारचूला और लीपूलेक का इलाका है। उस इलाके से तिब्बत के जगमगाते हुये इलाके दिखलाई पड़ते हैं। वहाँ उस इलाके में तिब्बत क बहुत सारी प्रगति उन्होंने की ह। उस प्रगति को भले ही लोगों वहाँ जाकर न देखा हो लेकिन पर्वत की श्रृंखलाओं से, जिस तरह से देहरादून से मसूरी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जगमगाती हुई दिखलाई पड़ती है या जिस तरह से सड़क के किनारे से गाँवों में अच्छी तरह से बल्ब टिमटिमाते हुये हर ट्यूबवेल्स के ऊपर से दिखलाई पड़ते हैं ठीक इसी तरह से हमारे उन इलाकों में चाहे नीती का इलाका हो, चाहे धारचूलाका इलाका हो, अल्मोड़ा के समीप वर्ती क्षेत्रों से उस पार तिब्बत में उन जगमगाते हुये, उन चलते हुये इलाकों की जो अंधेरे में डूबे हुये थे उनको जगमगाते हुये देखकर लोगों के मनों में तरह-तरह के प्रश्न उठते हैं गरीबी बहुत है। खाने को अन्न पूरा नहीं है। सामान को पहुंचाना दुर्लभ है। सब्सिडी उनको दे नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी है नहीं। खाद्य समस्या की कठिनाई है।

बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ और कई समस्यायें हैं। कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ, पाकिस्तान से पहली लड़ाई और चीन से लड़ाई में तमाम सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गये हैं। वहाँ केवल विधवायें, स्त्रियाँ, बूढ़े और बच्चे रह गये हैं। यह गाँव जिनकी तादाद काफी है वीरान हो गये हैं। वहाँ का जीवन संकटमय होता जा रहा है। हमने वहाँ कुछ काम दिया है। पर अभी वहाँ अनेकों कठिनाइयाँ हैं हमने उनको फल संरक्षण और इस्तेमाल का काम दिया है। लेकिन सड़कें वहाँ पर नहीं हैं। इसलिये फल बाहर भेजे जाने में कठिनाई है। अगर फल बाहर आ गये तो उनके मार्केटिंग का इन्तजाम नहीं है। फल बाहर आयें तो वहाँ प्रोसेसिंग का इन्तजाम नहीं है। इस प्रकार की तमाम कठिनाइयां वहाँ पर हैं।

हमारा इतना बड़ा सूबा है, पिंडरपार से लेकर बलिया तक जहाँ प्रति वर्ष तमाम इलाका गंगा से डूब जाता है। डाकखाने से मनीआर्डर जाता है। सारे इलाके में बाढ़ आयी है, पोस्टमैन नाव में बैठ कर पानी में मनीआर्डर बाँटने जाता है। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा भू-भाग है और हर एक भू-भाग की अनेक समस्यायें हैं। ऐसे ही बदायूं का इलाका है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ। कई मानों में पिछड़ा हुआ है। इसी तरह से अनेकों इलाके हैं और उनमें तरह-तरह की दिक्कतें हैं। आज जो महान पिछड़े हुये क्षेत्र हैं उन सबकी समस्यायें आज हमारे सामने हैं। इसीलिये क्षेत्रीय योजनायें बनायी गयी हैं, बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत पहाड़ी इलाके के लिये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये, मध्य उत्तर प्रदेश के लिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये, बुन्देलखंड के लिये योजनायें बनायी गयीं हैं। यहाँ अलग से माँग इसलिये प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि प्रदेश के इस भू-भाग के लिये, पर्वतीय भूभाग के लिये धन की व्यवस्था की जाय। वैसे केन्द्रीय सरकार के ऊपर भी हमने इस भार को जानबूझ कर डाला जिससे प्रदेश के रिसोर्सेज में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हो। इस जिम्मेदारी की तरफ १९६६ से सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने देखना शुरू किया है। यह जिम्मेदारी फलती-फूलती नजर आ रही है। और वहाँ का विकास होना शुरू हो गया है। यहीं की बात का जिक्र कर रहा हूं।

१८५७ के बाद सबसे पहले जब अंग्रेजी फौज ने सत्याग्रही लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया तो यहीं के चन्द्र सिंह गढ़वाली ने सत्याग्रही लोगों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। मान्यवर इनका नाम इसलिये याद आ गया कि श्री चन्द्र सिंह गढ़वाली कल मेरे पास आये थे। इनकी कितनी जमीन अंग्रेजों ने ले ली थी। सरकार पर सरकारें आयीं लेकिन इस बेचारे की जमीन का कोई निपटारा नहीं हुआ। कितने लम्बे समय तक जेल की यात्रायें की, शायद १७–१८ साल जेल में रहे। इनके बहुत से साथी तो जेल में मर भी गये। इनकी विधवाओं और उनके बच्चों के लिये आज भी कोई बंदोबस्त नहीं है। इसलिये यह हमारा और सबका उत्तरदायित्व है, जो यह इलाके हैं जो यहाँ के कमजोर बच्चे हैं और चाहे वह जहाँ के भी हों, चाहे वह बलिया के हों चाहे वह फैजाबाद के हों, चाहे वह बदायूं के हों चाहे वह नैनीताल के हों और चाहे वह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी के हों, या चाहे जहाँ के भी हों उनकी तरफ हमको देखना है

अभी जो यह टिहरी डैम बन रहा है तो उससे टिहरी की सबसे उर्वरा भूमि जो है, वह डूब जायेगी। हम पहाड़ी लोगों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे त्याग से अगर १२ सौ मेगावाट बिजली बन जाये तो सारे देश का कल्याण होगा। सारे देश के कल्याण में तुम्हारी रिश्तेदारी है, तुमको सारे देश की ओर ध्यान रखना है। जो डूबेंगे उनको उभारना हमारा काम होगा। हमने मान्यवर जंगलों के संबंध में जो वहाँ कठिनाईयाँ हैं, जो जंगलों का कटान हुआ है वह चाहे पंचायती जंगल हों या सरकारी जंगल या स्वयं के जंगल हों उनका उतना फारेस्टेशन नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये। पर्वतीय क्षेत्र को जंगलों से ढका होना चाहिये परन्तु वैसा नहीं हुआ है। सारे प्रदश में भूखलन न हो, बाढ़ न आवे, नदियाँ उल्टी-सीधी न बहें तथा उनका प्रवाह एक ढंग से बना रहे और हमारी प्राकृतिक संपदा मिलती रहे तो इसके लिये बड़े धन की आवश्यकता है।

मान्यवर मैं यह स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि जितना खर्च होना चाहिये था उतना हम नहीं कर पाये। उत्तर प्रदेश में अपने पहाड़ों पर उतना रुपया नहीं खर्च कर सकते जितना कि हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसमें सहयोग देने के लिये हमने केन्द्रीय सरकार से कहा है और आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार सहयोग देगी। मैं मानता हूं कि यह सरकार जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला है, उसके सामने दो लक्ष्य हैं। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पिछड़े क्षेत्र के दबे हुये आदमियों को उठाना तथा जोर जुल्म को समाप्त करना। पहले हरिजनों के मामले में हमको बहुत नाराजगी मंजूर करनी पड़ेगी। मेरा विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य हमारी नाराजगी में शामिल रहेंगे और हम सब मिलकर सार्वजनिक स्तर को ऐसा ऊंचा उठायेंगे कि वेस्टेड इन्टरेस्ट तथा सामन्तवादी ताकतें रास्ते में बाधा न डाल सकें। उनको मिटाना होगा। इस प्रकार इस प्रदेश में एक नये युग का सुभारम्भ करना होगा। हमारी प्रतिज्ञा है भूमिहीन लोगों को जमीन पर बिठाने की और उसके रास्ते में जो जोर-जुल्म करते हैं उन लोगों को ऐसा दंडित करने की कि जो एक सबक बने। मैं आशा करता हूं कि इस बजट पर कुछ और सुझाव माननीय सदस्यों से मिलेंगे। इसके साथ मैं माँगों को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इन माँगों को स्वीकार करेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

कटौती का प्रस्ताव श्री रेवती रमण सिंह प्रस्तुत करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

मान्यवर मुझे कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष––

आप लोग पहले नियम को देखें। १८८ नियम की स्थिति माँगों पर मतदान के संबंध में है जिसमें अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से अनुदान की माँगों पर विचार करता है। दूसरा उपनियम यह है कि अनुदान की माँग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करे। इसी नियम के नं० ६ के अनुसार जब एक ही माँग से सम्बद्ध अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाय तो जिस क्रम में उनसे सम्बद्ध शीर्षक आय-व्ययक में दिये हों उसी क्रम में उन पर चर्चा की जायेगी। मैं माननीय सदन का ध्यान इन संशोधनों की ओर दिलाऊंगा कि वह उसको पहले देखें। लेकिन चौधरी चरण सिंह, श्री राम सेवक यादव, श्री शिव प्रसाद गुप्त तथा श्री रेवती रमण सिंह से प्रस्ताव मिले। इसलिये माननीय रवती रमण सिंह इसको प्रस्तुत करेंगे।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जो आपने रूल बतलाया उसमें मैं सहमत हूं कि आप विरोधी दल के नेता की सलाह से ऐसा करेंगे और विरोधी दल के नेता दूसरी पार्टीज के नेताओं से सलाह करके तय करेंगे । किस बिल पर कौन कटौती का प्रस्ताव मूव करेगा यह विरोधी दल के नेता के बीच में तय होगा । इसके अनुसार यह तय हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी को २ दिन मिलेंगे और वह श्रम और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कटौती का प्रस्ताव मूव करेंगे। अब नेता विरोधी दल ने कैसे इसको बदल दिया यह मुझे पता नहीं है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल को अकेले इसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं हैं, इसलिये नेगी जी को आप कटौती का प्रस्ताव मव करने का अधिकार दें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

कम्युनिस्ट पार्टी को दो कटौती के प्रस्ताव दिये गये थे। नेता विरोधी दल ने कैसे इसमें परिवर्तन कर दिया है यह तानाशाही मनोवृत्ति को प्रगट करता है। निर्णय सभी लोगों के बीच में हुआ था इसलिये वह अकेले इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिये आप नेगी जी को बोलने की इजाजत दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

चौधरी चरण सिंह अपनी पार्टी में तानाशाह हो सकते हैं लेकिन इस सदन में नहीं हो सकते हैं । आप हमारे अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिये हम सदन त्याग करते हैं ।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा चौधरी राम पाल सिंह यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

यह आन्तरिक मामला है, मैं इसका हामी नहीं हूं।

*श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत होने वाले सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, इस कटौती के प्रस्ताव पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सिलसिले में मैं नियमावली प्रक्रिया की धारा १८९ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैंने नियम देख लिया है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

कटौती का प्रस्ताव अनियमित है । आप मेरी बात सुन लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष––

आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है, उसको मैं अव्यवस्था कहता हूं। नियम की स्थिति में व्यवस्था नहीं है। वह जब रख दें तब आप यह कहें।

श्री रेवती रमण सिंह––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७२–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतिओं की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या४०–अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें––के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२––विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या ७४––विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र––

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश हो गया, अब सुन लें।

मान्यवर, व्यवस्था की बात यह है कि कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम १८९ में साफ लिखा है कि जिस प्रस्ताव पर कहेंगे कि एक रुपया कर दिया जाय, तो सरकार की नीति के बिल्कुल विरुद्ध भाषण करना होगा। मान्यवर, सरकार की नीति है कि हरिजनों के संरक्षण के लिये, सामाजिक कल्याण के लिये, सुरक्षा के लिये। अतः अब विरोधी पक्ष के कटौती का पक्ष करने वाले माननीय सदस्यों को अपने भाषण में इन सभी बातों का अननुमोदन करना होगा अर्थात् हरिजनों का कल्याण न करें, सामाजिक कल्याण न करें, हरिजनों की सुरक्षा की व्यवस्था न करें, ये सारी बातें कहनी होंगी। मान्यवर, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है, नियमों में। विरोधी पक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव नं० २ पर आना चाहिये था कि यह १०० रुपया कटौती कर दिया जाय। आज तक विरोधी दल को यह बात मालूम नहीं हो पायी। जो भी ग्रान्ट आती है, उसमें कह देते हैं कि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। एक रुपया करने पर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात की है, जो उनकी पालिसी है, उसके ठीक विपरीत बात करना होगा और अननुमोदन करना होगा। अब आप लोग इसमें कोई सुझाव नहीं दे सकते, क्योंकि आपने हरिजनों के कल्याण के लिये कटौती के प्रस्ताव द्वारा एक रुपया रखा है। क्या हरिजनों के कल्याण के लिये विरोधी पक्ष से एक रुपया का कटौती का प्रस्ताव आ सकता है ?

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)––

मैं कहता हूं कि एक रुपया नहीं, आप १०० अरब रुपये बढ़ा दें, तो बढ़ाइयेगा ?

श्री मुहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

आप प्रस्ताव कीजिये, आपको किसने रोका है।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

नियम क्या है, जब यह आपके नेता चौधरी चरण सिंह जी नहीं जानते तो आप कहाँ तक जानेंगे, क्योंकि आप तो सेवक न होकर, चरण सेवक हैं।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मुझे माननीय काशीनाथ मिश्र की बुद्धि पर तरस आता है। मान्यवर, इस सरकार की नीति है पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवाद की, इनकी नीति है गरीबों को उठाने की, इनकी नीति है हरिजनों के उत्थान की, लेकिन जिस रास्ते से जा रहे हैं, उससे उत्थान नहीं हो सकता, समाजवाद नहीं आ सकता, जनकल्याण नहीं हो सकता। जो इनका सुझाव है, उससे उनका उत्थान नहीं होने वाला है। इसलिये हम उसके विपरीत बोलना चाहते हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय रामसेवक यादव की बुद्धि में फर्क नहीं है।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

अनुसूचित जातियों के विकास में काफी बाधायें पड़ रही हैं। प्रकृति का प्रकोप अलग है। सबसे बड़ा प्रकोप यह है जिस समय उनका बजट पेश हो रहा है तो. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप किस पर बोल रहे हैं ?

डाक्टर मलखान सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था का सवाल चल रहा है। उसमें दूसरा सवाल नहीं उठ सकता। राम सेवक यादव तथा काशीनाथ मिश्र ने जो बात कही मैं काशी नाथ मिश्र को फिर नियमावली पढ़ने के लिये आग्रह करूंगा। इस वक्त माननीय रेवती रमण जी अपना भाषण जारी रखें और व्यवस्था के प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह—

महात्मा गाँधी ने कहा था कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति जिस दिन हरिजन होगा तो मैं समझूंगा कि देश में सही मानी में रामराज्य आ गया है। १९७० में जगजीवन राम जी का नाम इन्दिरा गाँधी ने प्रस्तावित किया था लेकिन आज दुख की बात है कि १९७४ में जगजीवन राम के नाम की चर्चा भी नहीं हो रही है अध्यक्ष बनाने की बात कौन कहे। आज जो देश की दशा इस तरह से खराब होती जा रही है उसमें खास कर हरिजन वर्ग शामिल है। बहुगुणा जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि हम हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं लेकिन मैं मिसाल दे दूं कि उनको कितना दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, कितना लूटा जा रहा

करछना और मेजा तहसील में बीसयों बार हरिजनों और सवर्ण लोगों में लाठी चली मजदूरी के मामले में। जब एस० पी० तथा कलेक्टर से कहा गया तो उलटे मामला दबा दिया गया और बहुगुणा जी की तरफ से आदेश हुआ एस० एस० पी० को इसमें दिलचस्पी मत लो क्योंकि इसमें विरोधी पक्ष के आदमी हैं। एस० एस० पी० को डी० आई० जी० बना दिया गया। यह नमूना है हरिजनों का। ऐसी दयनीय स्थिति है हरिजनों की कि दो जून वह खाना नहीं खा सकते।

यह भी देखा जाय कि कितने प्रतिशत रुपया बजट का इस काम के लिए दिया जाता है। मकान बनाने के लिये १ हजार रुपया दिया जाता है। क्या १ हजार में मकान बन सकता है ? ३०० रुपये बैल खरीदने के लिये दिये जाते हैं। ३०० रुपये में क्या ५०० रुपये में बैल मंत्री जी खरीद दें। यंत्र के लिये ५० रु० दिये जाते हैं जायं कि कोई भी यंत्र ५० रुपये में नहीं मिल सकते और ५० रुपये खाद बीज खरीदने के लिये दिये जाते हैं जब कि १०३ व १०५ रुपये में यूरिया खाद की एक बोरी मिलती है लिहाजा ५० रुपये में कितनी खाद खरीद लेगा ? मुख्य मंत्री जी हरिजन कल्याण मंत्री भी हैं।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

मैं यह चाहूंगा कि आचार्य जुगल किशोर तथा राधा कृष्ण अग्रवाल कमीशनों की जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी सिफारिशों को लागू करवाया जाय ताकि हरिजनों को राहत सही मानो में मिल सके । गाँव में आप अनुदान देते हैं। कुंये बनाने के लिये जो आपने उन्हें अनुदान के रूप में १,००० रुपया दिया है वह काफी नहीं है। आज की परिस्थितियों में एक कुंआ ४,००० रुपये में बनता है तो १,००० में कसे बनेगा। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। आप यह भी देखें कि कितने हैण्ड पाइप लगे हैं। "अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि ब्लाकों के द्वारा उनका वितरण कराया जाय। मैं आपसे कहता हूं कि आप करछना तहसील में चले जायं और देखें कि कितने हैण्ड पाइप और कुयें वहाँ पर लगे हैं और इस ७-८ साल में वहाँ इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। जितने कुंये वहाँ पर लगे हैं उनमें से ५० प्रतिशत कुंयें भी हरिजनों को नहीं मिले हैं सभी ब्राह्मण, ठाकुर और उच्च वर्ग के लोगों के लिये बना दिये गये हैं। इस लिये मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे करछना तहसील में जाकर देख लें और पता कर लें कि ५० फीसदी भी कुयें उनको नहीं दिये गये हैं।

जिलों के लिये खाद आदि के लिये जो रुपया आता है वह ठीक तरह से और समुचित रूप से वितरित नहीं होता है और वापस भेज दिया जाता है तथा गोलमाल कर लिया जाता है। ऐसी दशा में यदि आप उस पैसे को फिर से ब्लाकों में भेज देंगे तो भी वह निःसन्देह हरिजनों को मिलने वाला नहीं है। आज हरिजनों की हालत बड़ी दयनीय होती जा रही है। कितना रुपया आप हरिजनों के उद्धार के लिये देते हैं ? यदि आप उसके आँकड़े देखें और विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि एक परिवार में ४ आने, आठ आने ही मिल पाया है। मान्यवर, अभी बंगला देश की लड़ाई हुई थी। बंगला देश के नाम पर यहाँ पर टैक्स लगाया गया था लेकिन अपने हरिजनों के उत्थान के लिये कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अतः मैं माँग करता हूं कि आप हरिजनों के उद्धार के लिये टैक्स लगायें। केरल सरकार ने हरिजनों के लिये एक लाख मकान बनवाये हैं। हालाँकि उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ और चोरी हुई है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इनके उद्धार के लिये एक टाइम बाउन्ड

[श्री रेवती रमन सिंह]

प्रोग्राम बनना चाहिये। हर दो साल में ५ लाख मकान बनाये जायं और सरकार की तरफ से बनाकर उन्हें हरिजनों को दिया जाय।

हरिजनों को नौकरी देने के लिये १८ प्रतिशत की बात कही जाती है लेकिन किसी भी विभाग में २, ३, या ५ फीसदी हरिजन भी नहीं रखे जा रहे हैं। उनके लिये कितनी बातें की जाती हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनी जाती है। पब्लिक सेक्टर कारखानों में कोई भी प्रतिशत हरिजनों के लिये नहीं रखा गया है। नैनी में बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने हैं और मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि उनमें १० फीसदी भी हरिजन नहीं रखे जाते हैं। आज हरिजनों के लड़के एम० ए०, बी० ए०, हाई स्कूल और टेक्निकली ट्रेन्ड घूमते रहते हैं। हरिजनों के बच्चों के लिये टंकण की सुविधा भी दी गई और उसमें ५० रुपये वजीफा दिया जा रहा था। कुछ समय के बाद वह ट्रेनिंग समाप्त कर दी गई जबकि वह ट्रेनिंग भी ये लोग पूरी नहीं कर पाये थे। तो मैं कहता हूं कि आखिर ऐसी स्कीमों से क्या फायदा उनका होता है? जहाँ तक हरिजन छात्रों का सम्बन्ध है आप यूनिवर्सिटी और कालेजों में क्लासेज के अनुपात से वजीफा एलोकेट करें ताकि वे पढ़ सकें। २७ रुपये में आज उनका कोई भला होने वाला नहीं है जो आप एक घोषणा किये हैं कि ५० प्रतिशत हरिजनों को हर विभाग में नौकरी दी जायेगी उसको पूरा करें अभी भी ४/८ महीने के कार्यकाल में आप देखेंगे कि आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

इसके साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जिलों में जो आपने समिति बनाई है उसमें ऐसे आदमियों को रखा जाय जो हरिजनों से सम्बद्ध हों। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने अस्पर्श्यता निवारणार्थ कदम उठाये हैं। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि पुराने काँग्रेसी नेता हरिजनों के यहाँ पानी तक नहीं पीते और आज वही जिला के अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स हैं। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं करूंगा, लेकिन मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि उनके काँग्रेसी कार्यकर्ता, वरिष्ठ काँग्रेसी कार्यकर्त्ता हरिजनों का पानी नहीं पी सकते हैं। तो जब कि आपके कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष और पुराने कार्यकर्ता हरिजनों के यहां पानी नहीं पी सकते हैं, तो आप अपने अधिकारियों से क्या अपेक्षा करेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले अपने कार्यकर्ताओं को सुधारें, उनमें भावना भरें। वे तो यही कहते हैं कि जमींदारों के समय में हरिजन हल जोतते थे, अब भी जोतें। एक मजदूर सुबह से शाम तक जाड़े की कड़कड़ाती रात में, और घोर गर्मी में जलती धूप में कठोर श्रम करके हल जोतता है किन्तु उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल ५ पाव मजदूरी दी जाती हैं। वह भी जब कि कम तौल कर दिया जाता है और उसमें बहुत सा कचरा मिला रहता है। जब उसको वह पिसाता है साफ करके तो वह ३ या साढ़े तीन पाव से ज्यादा अनाज नहीं बैठता है। तो आप बताइये कि ३, साढ़े ३ पाव में कोई अपना पेट कैसे पाल सकता है। अगर नहीं भर सकता है तो वह अपने परिवार का भरणपोषण कैसे कर सकता है। यह तो वह जानते हैं या उनका भगवान जानता है।

मैं देहातों में घूमकर आया हूं, वहाँ आज हालत यह है कि उसके घर में गल्ला नहीं है। बच्चे सुबह खाते हैं तो शाम के लिए उनके पास भोजन नहीं है। आटा है तो चावल नहीं है और चावल है तो आटा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी हालत देखें, उनके तन में वस्त्र नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हरिजनों और मजदूरों के लिये गाँव में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाएं। आज इतना मंहगा गल्ला खरीदकर हरिजन कैसे खा सकता है। खासकर उनके लिये सस्ते कपड़े और अनाज की दूकानें खोली जाएं। यहाँ से जो सस्ते कपड़े का कोटा जाता है वह वहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। सिरसा का केस मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, रामरक्षपाल पूरे के पूरे कपड़े का ब्लेक कर लेते थे, उनको ४२० में जेल भी जाना पड़ा। मैं माँग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट आदमियों से कोटा छीना जाए, जिससे हर मास

हरिजनों और भूमिहीनों को सस्ता कपड़ा प्राप्त हो सके। आज जब मैं गाँव में जाता हूं कि हरिजन माताएं और बहनें हमसे कहती हैं कि हमारा कपड़ा फट गया है और कपड़ा इतना महंगा है कि हम खरीद नहीं सकते हैं और सस्ता कपड़ा हमें मिलता नहीं है। जिस तरह से हमेशा भाषण होते रहते हैं और यहाँ चर्चा होने के बाद सब समाप्त हो जाता है, मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी के काल में ऐसा नहीं होगा, कुछ न कुछ काम अवश्य होगा और आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि हरिजनों की समस्या हल हो गई है।

छिबरामऊ थाने में एक स्त्री की हत्या का मामला था, बाद में उसकी मैजेस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, उसमें पाया गया कि दरोगा का उसमें हाथ था। इस तरह से आपके पुलिस अधिकारी उसमें मिले रहते हैं। कितने ही केसेज में थानों पर रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है आप होम मिनिस्टर भी हैं, इसे आप देखें। एक नहीं हजारों ऐसे केस हैं। ग्राम गजियाँव में ४० बीघा जमीन हमने गाँव सभा से प्रस्ताव पास करके एक साल पहले एस० डी० एम० और तहसीलदार को भेजवाया था, लेकिन आज तक वहाँ से आदेश नहीं आ सका है कि वह जमीन हरिजनों को दे दी गई है। तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार किया जा सकता है।

हरिजन अगर कोई बीमार हुआ तो अस्पताल में कोई सुरक्षित बैड नहीं है। बीमार हो कर वह आता है भरती नहीं हो पाता दो-दो, चार-चार दिन मेडिकल कालेज के बाहर पड़ा रहता है और मजबूरन लौट जाता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी हरिजनों के लिये अलग से प्राविधान करेंगे, फंड करेंगे जिससे हरिजनों की चिकित्सा हो सके। आज हालत यह है कि उनके बच्चों को कई तरह की बीमारियां हैं, पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से पौष्टिक आहार क्या साधारण आहार भी उनको नहीं मिलता है। पौष्टिक आहार की स्कीम ८० फीसदी अफसरों के पास रह जाती है। उन गरीबों के पास नहीं पहुंच पाती है और उनके बच्चे उससे फायदा नहीं उठा पाते, आपकी दूध रोटी क्या-क्या चीजें होती है, आप जाँच करवा कर देख लें गरीब हरिजन तक नहीं पहुंच पाती हैं।

आपने हरिजन विभाग को सबसे कमजोर विभाग बना कर रखा है। एक आयुक्त उसमें बना दें और इस डिपार्टमेन्ट की पूरी ओवरहालिंग कर दें।

यह विभाग मुख्य मंत्री के हाथ में है। एक ग्रांट के लिये दस बार हरिजन आता है, हमारी ग्रांट का क्या हुआ है। आपके डाइरेक्टर साहब कह देते हैं कि पैसा नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। पैसा अगर उन हरिजनों के लिये नहीं है, २७ साल बीत गये, उनकी दशा देखिए। कब पैसा आयेगा ? हमारे लिए पैसा है, आपके लिए पैसा है सदन के लिये पैसा है, पार्लियामेंट के लिए पैसा है, उन गरीबों के लिये नहीं है। पढ़े लिखे हरिजनों की स्थिति देखिए। इलाहाबाद में दो महीने तक आन्दोलन चला, कई दिनों तक हरिजनों ने भूख हड़ताल किया। हरिजन ऊब गये हैं। उनसे बात कीजिये। कहते हैं कि मरना तो है ही, इसी तरह से क्यों न मर जाँय। यह जितने सदस्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति से आते हैं वह हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। काँग्रेस पार्टी के डर से या जो भी डर हो, हरिजनों के बारे में आवाज बुलन्द नहीं करते हैं। उनकी समस्याओं के बारे में बोलते नहीं हैं। अगर बोलते भी हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है। तरक्की हो रही होगी, लेकिन बेचारे हरिजनों के बच्चे भीख नहीं पा रहे हैं। बीड़ी के कारखानों में आठ–दस साल के बच्चे काम करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री सर्वेक्षण करवा कर देखें कि हरिजनों में कितने प्रतिशत बालक पढ़ रहे हैं। आपका वजीफा मार्च

[श्री रेवती रमन सिंह]

तक मिलता है या नहीं भी मिलता है । पचास प्रतिशत वजीफा कालेज और स्कूल के प्रबन्धक गायब कर लेते हैं। मेजा में हेमवतीनन्दन बहुगुणा जूनियर हाई स्कूल माननीय मुख्य मंत्री के नाम से खुला है । वहाँ ५०–६० फीसदी तक मास्टरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, हरिजन बच्चों को वजीफा नहीं दिया जाता, जबरदस्ती उससे दस्तखत करवा लिये जाते हैं जाँच करवा कर देख लें । पूरे प्रदेश में यही स्थिति है । स्कूल कालेजों के प्रबन्धक सब पैसा गायब कर लेते हैं। हरिजन कहते हैं कि हम पढ़ें कैसे हमको वजीफा अनुदान तो मिलता नहीं । मेरा अनुरोध है कि जितने हरिजन बच्चे हैं सब को कम्पल्सरिली वजीफा मिलना चाहिये हाई स्कूल तक कम से कम । अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से सुधार हो रहा है हरिजनों का आने वाले एक हजार वर्ष लगेंगे, तब ब्राह्मण, ठाकुर या उच्च वर्ग के लेविल में आ पाएंगे । मगर इस तरह से कुछ नहीं होगा कि एक गाँव में एक हरिजन के लिये कुछ कर दें, बीस गाँवों में हरिजनों के लिए कुआँ बनवा दें ।

गाँवों की समस्या ऐसी है कि ब्राह्मण, ठाकुर, जितना भी उच्च वर्ग है, पटेल, यादव सब हरिजनों के इस मामले में सताते हैं उनके कुंये से वह पानी नहीं ले सकते। उनका शोषण आज भी हो रहा है। हरिजनों की स्थिति २६ साल से बड़ी दयनीय है और इतने सालों में भी उनको पीने का पानी नहीं दिया जा सका है। ७० प्रतिशत हरिजनों को वही पानी पीने को मिलता है जिसको गाय भैंस पीती हैं । मेजा तहसील में एक कोल जाति है उसकी हालत यह है कि एक घाट पर ब्राह्मण, ठाकुर वगैरा स्नान करते हैं और दूसरे पर हरिजन स्त्रियाँ स्नान करती हैं। उस घाट पर उनकी स्त्रियों के साथ ब्राह्मण, ठाकुर वगैरा नहा सकते हैं। बीसवीं सदी में यह बात हो रही है कि हरिजन घाट पर स्नान नहीं कर सकता है, पानी नहीं ले सकता है। उसका तो भगवान ही मालिक है। उसकी दशा दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है । अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो जैसे पाकिस्तान की मांग हुई थी उसी तरह से अछूतिस्तान की मांग होगी। हरिजनों का विश्वास आप लोगों के ऊपर से उठता जा रहा है। वह आपकी बात पर विश्वास नहीं करता है । एक हरिजन को मकान दे दिया बाकी के लिये कह दिया कि इलेक्शन के बाद मिलेगा। इस तरह से हरिजन आपके खिलाफ होता जा रहा है। जो अम्बेडकर साहब ने दिये थे वह इनको कहाँ मिल रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ५ साल का बच्चा इंतजार करते-करते २५ साल का जवान होगा और २५ साल का जवान बूढ़ा हो गया है, इसी उम्मीद में कि उसको कुछ न कुछ मिलने वाला है। लेकिन कुछ नहीं मिल सका।

क्या मुख्य मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे पाँच पाँव पाने वाले हरिजन को कम से ५ रुपये रोज मजदूरी मिले। इससे कम मजदूरी भूमिहीनों को न दी जाय। आज कारखाने के मजदूरों की मजदूरी चौगुनी पंचगुनी बढ़ गई है। बेलदार जो चार आने रोज पाता था उसको ३ रुपये, ५ रुपये मिलने लगे हैं। लेकिन इनको वही ५ पाव मिलता है। ऐसा नियम बना दिया जाय कि खेत पर काम करने वाले मजदूर को ५ रुपये से कम मजदूरी नहीं मिलेगी । अगर मिलती है तो वह अपना भारण पोषण नहीं कर पाता है तो परिवार का कैसे करेगा । अगर किसी से वह कुछ कर्जा ले लेता है तो उसके एवज में उसको और उसके आने वाली पीढ़ी को गुलामी करना पड़ती है। वह रिपोर्ट लिखाता है तो लिखी नहीं जाती है। शासन कहता है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा । मजबूरी हालत में उसको काम करना पड़ता है। अगर व्यवस्था हो जाय कि शादी विवाह में उसको कम सूद पर बैंक से रुपया मिल जायेगा तो वह इनसे रुपया नहीं लेगा। उससे ५, १२ और २० परसेंट सूद वसूल किया जाता है।

हरिजनों को सीलिंग की जमीन देने के बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक आशा थी कि जमीन मिलेगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितनी जमीन वितरित की गयी। अगर देखा जाये एक आँकड़ा चकबन्दी वालों ने दिया है। करछना मेजा में हरिजनों को उत्तर

प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन दी गयी है। मैं कहता हूं कि आप उसका सर्वेक्षण करवा लें। वह जमीन कहाँ दी गयी है, वह जमीन दी गयी है गड्ढों में, नालों में। ऐसी जगहों पर जमीन दी गयी है जहाँ पर वह मकान बना न सके। ऐसे भी गाँव हैं कि उनके घर की जमीन को जोत लिया गया है, उनके सहन की जमीन जोत ली गयी है। सीधा सा सवाल है कि वह कहाँ बैठे, कहाँ से निकले। ऐसी स्थिति देहातों में है। ५ पाव में कोई हरिजन हल नहीं जोतेगा तो सवर्णों ने कहा कि हरिजन कहाँ से निकलेगा, कहा कि खेत हमारा है, बाग हमारी है निकलेगा कहाँ से। आप बंगला देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, नीग्रो के राइट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हरिजन रो रहा है। उसके बारे में क्या हमने कभी सोचा। यदि सोचा तो क्या कोई कदम उठाया कि उनकी गरीबी दूर हो सके। हरिजन की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय और लेना चाहेंगे आप ?

श्री रेवती रमण सिंह—

२० मिनट और दे दें। हमसे हरिजनों ने कहा हमारे पास २५ साल पहले घरों में फूल के बरतन थे, हमारी औरतों के पास बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत चाँदी के जेंवर थे, लेकिन आज कलई क्या अल्मुनियम के भी बरतन नहीं है। अगर कोई घर में बीमार होता था तो हम उनको बेंच कर उसकी दवा दारू कर लेते थे। उनका कहना है कि हमारी हालत बदत्तर होती जा रही है। आज सबसे बड़ी परेशानी उसको मकान की है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि हर हरिजन को ३ साल में मकान मिल जाये, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

आज हरिजन आर्थिक बोझ से दबा जा रहा है। हरिजनों को छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धे लगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। ५ सौ से १० हजार तक रोजगार करने के लिये उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा उनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती है। आप एक दो आदमियों को दे देंगे उससे काम चलने वाला नहीं है। आजकल सबसे गिरी हालत मेहतरों की है। मेहतर गन्दा मैला अपने सिर पर ढोता है। ७० फीसदी मेहतर गन्दा मैला ढोता है। आप उसको १,६०० रुपया मकान बनाने के लिये देते हैं। आप ही बतायें कि शहर में किस तरह से इतने रुपयों में मकान बन जायेगा।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह प्रस्ताव तो करते हैं कि इस सारी रकम को घटाकर एक रुपया कर दिया जाये तो कैसे संभव है कि उसको बढ़ाया जाये।

श्री रेवती रमण सिंह—

१६ सौ रुपये में कहाँ मकान बन सकता है। कम से कम ८–१० हजार रुपये तो उसे मकान बनाने के लिये दिए ही जाने चाहिये...

मान्यवर आज कोलों की स्थिति बड़ी दयनीय है और वह आज सबसे ज्यादा पिछड़े हैं हरिजनों में। बाँदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों में वह सीमित हैं। उत्तर प्रदेश

[श्री रेवती रमण सिंह]

में उनकी संख्या करीब दो, ढाई, तीन लाख है। इनकी हालत इतनी बदतर है कि वह खाने को क्या कहें, उनको मौजूदा सभ्यता की बहुत सी चीजें भी नहीं मालूम हैं। अगर मा० मुख्य मंत्री जी उन्हें अनुसूचित जन जाति में घोषित कर दें तो उन्हें लाभ हो जायगा और इससे इलाहाबाद, बाँदा और मिर्जापुर के कोलों के लिये मा० मुख्य मंत्री जी कड़ा आदेश भेजें जिससे हर हरिजन को बसने के लिये जमीन मिल जाय, जहाँ पर वह रह सके। ऐसी जगह न दे दी जाय गड्ढे में, नाले में कि वह रह न सके। ऐसी ही कई गाँवों में मा० मुख्य मंत्री जी हरिजनों को जमीनें दी गई हैं, जोकि नाले और गड्ढे हैं। यदि मा० मुख्य मंत्री जी चाहें तो उनके मकान देख सकते हैं मैं उनको लिखकर दे दूंगा। ऐसे गाँवों में जमीनें दी गई हैं जो कि नालों के अन्दर, गड्ढों के अन्दर हैं। बहुत से हरिजनों को तो वह भी जमीनें नहीं दी गई हैं। इस में डिपार्टमेंन्ट की बहुत बड़ी धांधली है। इसके पहले जो भी मंत्री रहा हो इसमें बड़ी धांधली होती रही।

आज जब बहुगुणा जी के हाथ में स्वयं यह डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूं कि इसका भी सुधार होना आवश्यक है। हरिजनों का सुधार तभी हो पायेगा जब कि इस डिपार्टमेंट का सुधार होगा। आपके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने स्टाफ कार ढाई हजार मील इस्तेमाल किया है जुलाई, १९७३ से दिसम्बर, ७३ तक और वह लाक बुक में चढ़ा भी नहीं है। अगर मा० मुख्य मंत्री जी वह लाक बुक मंगा कर देख लें तो पता चल जायगा कि वह मोटर कहाँ चली, कहाँ गई। इस तरह से एक मिस्टर चन्द्र शेखर हैं। वह संख्याधिकारी हैं। लेकिन वह पूरे नानगजटेड स्टाफ का ट्रान्सफर, प्रमोशन सब वही करते हैं। जब डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर मौजद हों तो एक छोटे से अधिकारी के हाथ में इतना महत्वपूर्ण काम नहीं देना चाहिये था। इस प्रकार यह एक धांधली साबित करती है ट्रांसफर और प्रमोशन की। मैं चाहता हूं कि इसकी थारो इन्क्वायरी करा कर, इस डिपार्टमेंन्ट की ओवरहालिंग करा दें और वहाँ पर एक कमिश्नर नियुक्त करें। वहाँ पर अफसरों का ग्रेड भी अच्छा रखा जाय। आज उस डिपार्टमेंट में कोई जाने के लिये तैयार तक नहीं होता है जिससे वहाँ पर लोग जाना पसंद करें। उस डिपार्टमेंट में कोई जाना ही नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति आज हरिजन डिपार्टमेंट में जाना नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि पदोन्नति के बजाय अवनति के स्थान पर भेजा जा रहा है। वहाँ पर आई० ए० एस० आफिसर्स भेजे जाँय जो वहाँ पर देखभाल कर सकें। खुद मा० मुख्य मंत्री जी देखें कि जो सीमित पैसा जाता है उन गरीब आदमियों तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है।

मा यवर, आज देश में जो हालत होती जा रही है उसमें सबसे परेशान हरिजन हैं। हरिजन को अगर पैसे की जरूरत है तो वह कहाँ जाय, नौकरी की जरूरत हो तो वह कहाँ, जाय। वह सरकार की तरफ टकटकी लगा कर सरकारकी तरफ देखता है। जब कोई वहाँ जाता है तो उससे व्यवहार प्रतिकूल मिलता है। अगर इस विभाग का जल्दी सुधार नहीं किया गया, उनकी स्थिति को दो साल, तीन साल के अन्दर टाइम डाउन प्रोग्राम बना कर सुधारा नहीं गया तो आप देखेंगे कि एक दिन हिन्दुस्तान में क्रांति आयेगी और वह क्रांति हरिजन ही करेंगे और उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इस विभाग में जो पैसा रखा जाय वह हरिजनों की संख्या के अनुपात के अनुसार रखा जाय। उनकी संख्या कितनी है और वह हैं कितने और कितना पैसा रखे हैं। ५ वर्ष के लिये आपने एक सौ करोड़ रुपया रखा है। इस एक सौ करोड़ रुपये में क्या होने वाला है? अगर आप हरिजनों के घर, आवास, बैल और अन्य सब चीजों का बटवारा कर दें तो लाखों में रुपया बंट जायगा और वह हरिजनों तक नहीं पहुंच पायेगा। आप उनके घरों में बिजली लगवा देंगे लेकिन ज्यादातर उनके घर कच्चे होते हैं।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)—

माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय कहा था कि कम से कम ५ रुपये मजदूरी प्रदेश के मजदूरों को मिलनी चाहिये। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे अपने फार्म पर हरिजनों को कितनी मजदूरी देते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यक्तिगत बातें सदन में नहीं होनी चाहिये। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रेवती रेमण सिंह—

आप हरिजन जरूर हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ मुझे ७० प्रतिशत वोट मिले हैं।

श्री भूप सिंह केन—

मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने फार्म पर मजदूरी के रूप में हरिजनों को कितना देते हैं।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आप मुझे एड्रेस करके अपनी बात करें। आप कृपया बैठें, मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मैं माननीय सदस्य को बताता हूं। आप इन्क्वायरी करा कर देख लें, ५ रुपया उनको मजदूरी के रूप में देता हूं। उन्हें दवा मुफ्त दिलाता हूं, शादी व्याह में पैसा देता हूं, जिसे वापस नहीं लेता हूं। मेरा चैलेन्ज है अगर आप इसके विरुद्ध साबित कर देंगे तो मैं सदन से त्यागपत्र दे दूंगा।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में एक हरिजन टैक्स लगा दें, जिस प्रकार से आपने बंगला देश टैक्स लगाया था और जितना भी पैसा उससे आये, मेरा अनुमान है, यह धनराशि काफी होगी, एक टाइम बाउंड बनाकर, जैसा कि केरल में है आप ५ लाख मकान २ साल में बनवा दें। इससे आप एक अरब रुपये का एक फंड बना दें जिससे उनको रोजगार के लिये उन्हें पैसा दिया जा सके। दूसरी मेरी यह प्रार्थना है कि जो रुपया आप उन्हें कुयें बनवाने या और अन्य कामों के लिये अनुदान का पैसा देते हैं, उसे आप हरिजन कल्याण समिति के पास भेजें जिसमें संसद सदस्य हों, विधायकगण हों और सामाजिक कार्यकर्ता हों। किसी अकेले अधिकारी ही को उस धनराशि को वितरित करने के लिये, भले ही वह समाज कल्याण विभाग का ही क्यों न हो, अधिकृत न किया जाय। बिना कमेटी में पास कराये, बिना उसकी अनुमति प्राप्त किए वह रुपया न दें।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय छेदा लाल ।

माननीय छेदालाल जी, यह अनुदान काफी देर में शुरू हुआ, इस पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मेरा आग्रह होगा कि ७ मिनट में अपने-अपने सुझाव देने की कृपा करें ।

श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। विरोध पक्ष के जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे उसका मैं विरोध कर रहा हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान रखे हैं उनका समर्थन करता हूं। किस राजनैतिक दल की विधान सभा में हरिजनों या समाज के पिछड़े उपेक्षित लोगों से कितनी हमदर्दी है यह बोलने, लिखने-पढ़ने की बात छोड़ दें। अगर इस समय देख लें कि सदन के अन्दर किस दल के कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उससे स्पष्ट हो जायगा। मैं देख रहा हूं कि विरोधी दल के माननीय नेतागण यादव जी को छोड़ कर बाकी सब इस समय अनुपस्थित हैं इस सदन से। यह स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि कितनी बड़ी हमदर्दी और दिलचस्पी इस ग्रांट में हैं।

दूसरी बात, कांग्रेस के नेतृत्व में १५ अगस्त, १९४७ को देश आजाद हुआ। २६ जनवरी को संविधान लागू हुआ। उस वक्त हमको राजनीतिक बराबरी मिली, आजादी मिली, जैसा कि कहा गया है कि "एक व्यक्ति एक वोट" इसमें राजनैतिक बराबरी है, लेकिन उसके बाद देश और प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं रही। इसलिये केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश की सरकार एक ही नीति के हिसाब से प्रदेश के अन्दर सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिये प्रयत्नशील हैं और जो योजनाएं हमारी बनीं उन्हीं के परिवेश में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक आजादी के बिना हमारी आजादी अधूरी है ।

हमारे देश के अन्दर जब समय आया, कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक और सामाजिक विषमता, असमानता को दूर करने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूतपूर्व राजा–महाराजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त किये तो यही दल जो हरिजनों के नाम से समाज के पीड़ित लोगों के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति जाहिर करते हैं, इन्हीं लोगों ने जाकर के विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि यह बात नहीं होनी चाहिये। ये दल विश्वास करते हैं यथा स्थिति में कि हमारे समाज और देश के अन्दर लोग जिस हालत में हैं उसी में बने रहें। राजनैतिक बल हासिल करने के लिये, राजनैतिक शक्ति लाने के लिये ये लोग जुटे हुए हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं देना चाहते । कांग्रेस चाहती है और आर्थिक समानता लाने के लिये और विषमता दूर करने के लिये माननीय बहुगुणा जी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कांग्रेस दल चल रहा है और कदम ब कदम जो मेजर्स उठाये जा रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि हम उधर बढ़ रहे हैं।

माननीय बहुगुणा जी ने जो सदन में घोषणा की है और अपंग, मूक, बधिर, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित लोगों के लिये जो काम वह कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में समाज के लोगों के कल्याण और उन्नति के लिये जोकि पुश्तहापुश्त से कर्जे से लदे हुए हैं, गरीब हैं, उनके कर्जों को निपटाने के लिये और अस्पर्श्यता निवारण अधिनियम जो सही रूप से लागू नहीं किया जा रहा है उसकी तरफ जो कदम बढ़ा रहे है उससे कांग्रेस की नीति स्पष्ट हो जाती है। आज जो समाज के अन्दर विमुक्त जातियों के लिये काम किया जा रहा है वह किया जा रहा है, यह सही है लेकिन मैं इस संबंध में कुछ सरकार के सामने जो कहीं पर असुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं उन्हें भी रखना चाहता हूं। ६० धारा एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत हरिजन के जो मामले हों, १०६,

११० दफा जा० फौ० के अन्तर्गत, तो उन मामलों में हरिजनों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने से पूर्व उनकी पूरी जाँच होनी चाहिये। जाँच से पूर्व कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिये।

विमुक्त जाति के लोगों की उन्नति के लिये जो खेत दिये गये हैं हमारे क्षेत्र में वहाँ उन खेतों पर उन लोगों को मिलकियत के अधिकार भटपुरवा, कुरनभी तथा सुआनों में नहीं दिये गये हैं। मिलकियत विभाग की ही है। जब तक मिलकियत के अधिकार नहीं देंगे, उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती।

हमारे यहाँ थारू जन जाति के लोग पुश्त दर पुश्त से जंगलात की भूमि पर रह रहे हैं। जंगलात वाले उनको स्वामित्व के अधिकार नहीं दे रहे हैं। उनको सबसे पहले स्वामित्व के अधिकार दिये जाय। जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी दल की हालत आज क्या है? कोईभी उनके दल में आज जाना नहीं चाहता, और कहते यह हैं कि उन्हीं का दल ऐसा है जिसने हरिजनों के लिये तमाम कार्य किये हैं। ऐसा लगता है जैसे सारा ठेकेदारी उन्होंने ही ले रखा है। यह किसी एक दल का काम नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, आज २७ वर्ष हमें आजाद हुये हो गये, सरकार का बराबर यह नारा लगता रहा है कि हरिजनों का सुधार हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही है। सुधार कागज पर अवश्य हुआ है, और इतना अधिक हुआ है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि देहात में जो हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं, उनकी उन्नति के लिये भी प्रयास हो रहे हैं। मैं उदाहरण के लिये एक दरख्वास्त जो मुझे अभी मिली है, पढ़ना चाहता हूं. . . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य उसे पढ़ नहीं सकते हैं। उसका केवल उदाहरण ही दे सकते हैं, यही परम्परा है।

श्री नन्दराम--

यह उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक विभाग में एक हरिजन आफिसर चला गया तो जो दूसरे सवर्ण हिन्दू हैं वे कहते हैं कि वह हरिजन उस कुर्सी पर कैसे चला गया। मेरे यहाँ मिर्जागंज की बात है, उस दरख्वास्त को मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप किसी की दरख्वास्त को सदन के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप उदाहरण देकर बतला सकते हैं कि अमुक की दरख्वास्त है और अमुक काम के लिये है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नन्द राम—

मैं तो बतलाना चाहता हूं कि आज भी हरिजनों के साथ कितना अन्याय हो रहा है रपट की गयी थी नेमें लोकन उस दरख्वास्त के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया यह कहा गया कि तेरी क्या हैसियत है, चमार होकर बराबर कुर्सी का मुकाबला करता है। अभी क्या आगे तुझे इसका और मजा चखाया जायेगा। साथ ही उसको नौकरी भी नहीं दी गयी और उसको मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गयी। आज हरिजनों की दशा कितनी गिरी हुई है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं।

मकान के लिये हर व्यक्ति को १ हजार रुपया मिलता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उस एक हजार रुपये की इन्क्वायरी के लिये जब सुपरवाइजर जाता है तो वह उस गरीब आदमी से कहता है कि बता, एक हजार में कितना कमिशन देने के लिये तैयार हो। अगर सुपरवाइजर को उसने दे दिया तो उससे उसका मकान मंजूर। उसके बाद फिर हरिजन कल्याण अधिकारी के पास जाते हैं और इस तरह से करते करते एक हजार में ५०० रुपया ही उसको मिल पाता है। कागज पर तो हजार बारह सौ रुपये मिल जाते हैं लेकिन आधा पैसा ही किसी तरह से उसके हाथ लग पाता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि गरीब हरिजन को बजाय एक हजार रुपया देने के उसको कंट्रोल का सीमेंट मिले, कंट्रोल का लोहा मिले और कंट्रोल का ईंट मिले तो उसका मकान सहूलियत से बन सकता है। बस तो एक हजार में मकान ही क्या बन सकता है।

आज हर जिले में हरिजनों को सिलाई मशीन दी जाती है। लेकिन स्थिति यह है कि जो मशीन दी जाती है वह सबसे रद्दी किस्म की मशीन है जिसका नाम "सहारा" मशीन है। हरिजन कल्याण अधिकारी कारखाने के मालिक से पहले जाकर मिल लेते हैं और जो खराब किस्म की मशीन है उसे १०० रुपये में लेकर गरीब आदमी को देते हैं और उसके नाम २०० रुपया लिख दिया जाता है। उसको पता भी नहीं होता कि मशीन कितने की आयी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि मशीन के लिये रुपया जिलाधीश के जरिये मिले और बजाय "सहारा" सिलाई मशीन के "उषा" सिलाई मशीन दी जाय जो हर तरह से अच्छी मशीन है।

इसी तरह से कुओं के निर्माण की बात है। नये कुओं के लिये ५–६ हजार रुपया दिये जाते हैं लेकिन कितने दुख की बात है कि पुराने कुओं की मरम्मत के दरवाजे बन्द हैं। उसके लिये एक पैसा भी नहीं मिलता। पुराने कुवें की मरम्मत एक डेढ़ हजार रुपये में हो सकती है लेकिन उसे न करा कर नये कुओं का निर्माण ही कराया जाता है। जहाँ तक नये कुवें निर्माण करने की बात, अभी तक एक जगह रजत जयन्ती के अवसर पर मेरे हल्के में कुटेसरा में ब्लाक स्तर पर एक कुवा बी० डी० ओ० ने मंजूर किया जिसका गोला तो कुछ बन गया और आज तक वह अधूरा पड़ा है, उसमें आगे कोई काम नहीं हो सका और बच्चे फिसल कर उसमें नीचे गिर जाते हैं। इसलिये पुराने कुवों की मरम्मत की जो समस्या है जिसकी मरम्मत हजार–पन्द्रह सौ रुपये में हो सकती है उस पर हरिजन कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिये।

पिछले दिनों हैंड पम्प लग जाया करता था लेकिन दो वर्ष से उसे भी बन्द करदिया गया है। मेरा सुझाव है कि हैंड पम्प विभाग के द्वारा फिर से लगवाया जाय जिससे हजार के बजाय १००–१२० रुपये में ही लोगों का काम चल सके। मेरा एक सुझाव है कि जो हमारे विभाग द्वारा मुर्गीपालन और सुअरपालन के लिये रुपया दिया जाता है वह बेकार है। हमने देखा है कि चार चार बाल्मीकियों के नाम से सुअरपालन के लिये दरख्वास्त होती है और उन चारों का रुपया एक साथ लेलिया है और इसलिये उस रुपये का जो उपयोग होना चाहिये वह नहीं होता। मुर्गीपालन का तो यह हाल है कि सरकार उस पर बीसों हजार रुपया खर्च करता है लेकिन मौसम आता है लेकिन जब ग्रान्टा आता है और आकर ले जाता है तो वह शिकायत करता है कि उसकी सब मुर्गियाँ मर गयीं, इसका कोई हिसाब-किताब विभाग की ओर से नहीं रखा जाता।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नन्दराम—

मुझे एक मिनट और दे दिया जाय। मैं थोड़ा सा हरिजन बच्चों को जो वजीफे दिये जाते हैं उनकी बाबत कहना चाहता हूं कि उनको वक्त पर वजीफा नहीं मिलता है। उनको समय पर किताबें नहीं मिलती हैं। मैंने शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उस दिन भी इस ओर दिलाया था कि जहाँ पर हाईस्कूल और इन्टर कालेजेज हैं और जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ पर हरिजन बच्चों की देखरेख नहीं होती है। उन स्कूलों में जो कमेटियाँ बनी हुई हैं उनमें मेरा निवेदन है कि हरिजनों का प्रतिनिधि भी रहना चाहिये ताकि वे उन वजीफों, किताबों और दूसरी बातों पर गौर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने इस बजट पर बोलने का वक्त दिया। विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, रोजाना बजट किसी न किसी विभाग का रखा जाता है और उस पर कटौती का प्रस्ताव आता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की तरफ से इस किस्म का बजट रखा जावे कि सदस्यगण का भत्ता बढ़ा दिया जावे, या उनकी तनख्वाह बढ़ जावे या जो कमरे मिले हैं उनको उसमें सुविधायें बढ़ा दी जावें तो मैं ऐसा खयाल करता हूं कि विरोध पक्ष की तरफ से कोई भी कटौती का प्रस्ताव नहीं आयेगा। मुझे बड़ा दुख है कि आज हरिजन जैसे मसले पर भी विरोधी पक्ष की तरफ से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। अभी आदरणीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से एक चुनाव की बात आयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर ने जो पिसे हुये, दबाये सताये हुये लोग हैं जो मजबूर तबका है उनको वोट देने का अधिकार दिलाया लेकिन वह भी धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव चलते जाते हैं उनसे डंडे के बल पर बन्दूक की नोक पर वह अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है और उनको वोट डालने से रोकने की कोशिश की जा रही है और की गयी है। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि जहाँ पर इस बात का आरोप काँग्रेस पक्ष पर लगाया जाता है कि इन्होंने अपनी सत्ता के कारण जालसाजी करके अपना शासन बना लिया है वहां खुद मैं जिस क्षेत्र से आया हूं मेरठ जिले में मेरी खुद पिटाई बी० के० डी० के कार्यकर्ताओं ने की। विरोधी पक्ष ने, विरोधी पक्ष की जितनी भी पार्टियाँ हैं सबने मिस्टर छागला से इस बात की दरख्वास्त की कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हों वहाँ साथ ही में विरोधी पक्ष को चुनौती दे कर कहता हूं कि कि मेरठ जिले में वे मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें और वहाँ पर इस बात की निष्पक्ष तरीके से जाँच करावें कि जो अछूत हैं, गरीब मजदूर हैं उनको बी० के० डी० के वर्कर्स ने किस तरीके से वोट डालने से रोका है। अगर मेरी बात सत्य निकलें तो फिर मैं यह कहूंगा कि चौधरी साहब जैसे राजनीतिज्ञ नेता को विधानसभा से ही नहीं, बल्कि राजनीति से सन्यास ले लेना चाहिये और अगर यह बात गलत हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

(तालियाँ)

मान्यवर मैं इस बात को वैसे ही नहीं कहना चाहता हूं लेकिन चूंकि मेरे क्षेत्र में, पूरे मेरठ जिले में इस बात की आम चर्चा है और मैं कहता हूं कि यह उस जमाने को याद करें जब चौधरी साहब का मुकाबला एक अछूत ने किया था। उसका नाम कामरेड प्रीतम

[श्री रेंतती शरण मौर्य]

सिंह था, उसकी हत्या किसने करवायी, इसकी जाँच करवाइये पता चल जायेगा। मुझे बहुत दुख होता है कि उधर के लोग कहते हैं कांग्रेस ने हरिजनों को दबाया है।

(कई सदस्यों के साथ-साथ खड़े होकर बोलने से शोर)

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या हत्या के बारे में बोल रहे हैं।

(व्यवधान) (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोगों के बोलने का अवसर आयेगा, आप जवाब दीजियेगा। आप बैठ जाइये।

श्री राम सेवक यादव—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर इस सरकार द्वारा कोई जाँच बैठा दी जाय और यह साबित हो जाय कि चौधरी साहब ने हत्या करायी है, और अगर साबित हो जाय कि नहीं करायी है, तो क्या माननीय सदस्य इस सदन से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हैं, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर आरोप है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई आरोप गम्भीर है तो आपको प्रति उत्तर देने के लिये अवसर मिलेगा, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर आरोप लगाये हैं इसलिये इसको मैंने आपको नोटिस में ला दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

हाँ, यह हमारी नोटिस में आ गया है

(शोर)

आम तौर से इस सदन में, इस नये सदन में लोगों के नाम लेने की परम्परा चल गयी है। संसदीय शिष्टाचार तो यह कहता है कि नाम लेने के बजाय आप माननीय सदस्य के जिले का नाम कह दें। बहुधा यहाँ पर जो कोई जिक्र होता है तो आप लोग नाम लेते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति का नाम, अधिकारी का नाम आप इस सदन में न लें जो यहाँ आकर इस सदन में अपनी सफाई न दे सके। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है, पूरे सदन से आग्रह है कि माननीय सदस्यों के नाम नहीं लिये जाने चाहिये।

श्री रेवती शरण मौर्य—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं, सन् १९५२–५७–६२–६७–७१–७४ से लेकर, मैं आज भी कह रहा हूं कि सन् ५२ से लेकर आज तक चौधरी साहब के क्षेत्र के अछूत बराबर पिसते रहे हैं। उनको वोट डालने का, और अपने हक में वोट डालने का अवसर नहीं दिया गया है। उन पर जोर डाला गया है। हरिजनों को परेशान किया गया है।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

मान्यवर, यहाँ देखें आज २७ सालों से हरिजनों की हड्डियों का खून चूसा जा रहा है। उनकी हालत बदतर है। यह किस मुंह से हमारे नेता का नाम ले रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय मैं कह रहा हूं कि वह उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रेवती शरण मौर्य––

चूंकि मेरा समय नष्ट हुआ है, अतः मुझे समय और दिया जाय

श्री अधिष्ठाता––

अभी आपके दस मिनट हैं

श्री रेवती शरण मौर्य––

मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों की शिक्षा में काफी तरक्की हुयी है। यहाँ सोचा गया है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिये। इस बात के काफी सबूत हैं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, इस सरकार का बहुत आभारी हूं। पहले सचिवालय में अछूतों का कोटा जीरो के बराबर था, लेकिन इस सरकार ने टाइप और शार्टहैंड सीखने के लिये एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जिसमें २०० बच्चे लिये गये और उनको ट्रेन्ड किया गया और उनको इस सचिवालय में नौकरी करने का स्थान दिया गया। इसके लिये हम सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को हरिजन जनता को आदरणीय बहुगुणा जी का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने सचिवालय के अंदर कोटे को पूरा करने की कोशिश की।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर यह पहला मौका है कि सचिवालय में श्री तारा चन्द जो कि हरिजन हैं उनको नियुक्त किया गया। समाज कल्याण विभाग में हरिजनों का कोटा १८ प्रतिशत है। तो मैं समझता हूं कि ९ कलेक्टर बनाये जाने चाहिये। परन्तु इस समय उत्तर प्रदेश में १३ हरिजन कलेक्टर हैं। तो यह सब हमारे आदरणीय बहुगुणा जी की सरकार ने किया है। इसके पहले जितने भी मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के हुये उन्होंने कभी भी हरिजनों को मौका नहीं दिया।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रेवती रमण सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि हम शोषित और अनुसूचित समाज के लिये जिस हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है वह निहायत अपमानजनक शब्द है और मैं इस पर घोर आपत्ति प्रगट करता हूं। इस हरिजन शब्द का प्रयोग करना बन्द किया जाय। यह पाया गया है कि इस शब्द का औरिजिन दक्षिण भारत में हुआ है। वहां ऐसा है कि जो अपनी कन्याओं को दूसरे लोगों को नहीं देना चाहते थे वह अपनी कन्याओं को मंदिरों में छोड़ जाते थे और वहाँ वह बड़ी होती थी। फिर उनका दूसरे पुरुषों से संबंध होता था और उनसे जो सन्तान पैदा होती थी उसको हरिजन नाम दिया जाता था। लेकिन यह शब्द हमारे ऊपर प्रयोग किया जाता है इसलिये सरकार कम से कम हमारे लिये इस शब्द का प्रयोग करना फौरन बन्द करवाये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

दक्षिण में जो कन्यायें मंदिरों में दी जाती थी वह हरिजन नहीं देवदासी कहलायी जाती थीं।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

मान्यवर आपके माध्यम से मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सरकार की ओर से प्रति वर्ष हरिजन एवं समाज कल्याण का बजट प्रस्तुत करते समय धड़ियाल की तरह झूठे आँसू बहाकर, भाषण देकर उनको पूरा करने को कह दिया जाता है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में सरकार की ओर से जो कमियाँ रही हैं, जो वायदों को पूरा नहीं किया गया है उनको स्पष्ट रूप से कबूल किया है। परन्तु बाद में उनको भूल जाते हैं। इसी प्रकार माननीय तिवारी जी ने यह स्वीकार किया है कि ३–४ प्रतिशत ही अनुसूचित जातियों को नौकरियाँ दी जा सकी हैं।

मान्यवर मेरा निवेदन है कि सरकार के पक्ष के लोग इस बात को अहसास करें या न करे लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिजन के सहारे ही ९० प्रतिशत वोट लेकर यहाँ आते हैं। हरिजन इनको हुकूमत देता है, शासन देता है परन्तु हरिजन के प्रति बराबर विश्वासघात ये लोग करते चले आ रहे हैं।

उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह कुर्सी पर बैठ सकें। उनको स्तीफा देना चाहिये। २५, २७ वर्ष हो गये लेकिन ३, ४ प्रतिशत ही हरिजनों को कोटा मिल सका। आपने १८ प्रतिशत रिजर्वेशन किया है लेकिन ३, ४ प्रतिशत ही वह लोग पा सके हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो सदियों में पूरा हो सकेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि कांग्रेस पक्ष के लोग और सरकार के लोग यह गौर करें कि आरक्षण जब तक १८ प्रतिशत पूरा न हो जाय, इसको ५० प्रतिशत कर दिया जाय।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह सुनने को मिलता है कि वह समाज में छुआछूत मिटाने के लिये कटिबद्ध है। अस्प्रश्यता दिवस भी इस सिलसिले में मनाया जाता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हम आप ३६४ दिन छुआछूत मिटाने की कोशिश करते हैं और ३६५ वें दिन अस्प्रश्यता निवारण दिवस मनाते हैं जिससे पता लगता है कि हरिजन हरिजन है और उच्च वर्ण के लोग उच्च हैं। यह भावना दूर होनी चाहिये। इस तरह से यह संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार करोड़ों रुपया अनुदान दे रही है। उसके बावजूद भी हरिजनों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार इस बात को स्वीकार करती है। तो पैसा कहाँ चला गया क्या सरकार ने इसकी जाँच की है। अगर किसी अधिकारी ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है तो क्या आपने उसे सजा दी है। आप देखेंगे कि तिवारी जी ने बजट पेश करते हुये विद्यालय और कालेजों में तथा विश्वविद्यालय में १८ प्रतिशत आरक्षण विद्यार्थियों को दिया है लेकिन मेरा सुझाव यह है और मैं यह बात गत वर्षों में जब मैं सदस्य था तब भी मैं कहता रहा हूं कि आरक्षण गलत है यह नहीं होना चाहिये। यह जो हरिजन के अलग होस्टल खोले जाते हैं इससे सेपरेशन की भावना पैदा होती है। उनको अलग से नहीं होना चाहिये बल्कि यह होना चाहिये कि इस मद में जो सरकार खर्च करना चाहती है वह सरकार यूनीवर्सिटी या कालेज को दे दे और उनको इन्सट्रक्शन दे दे कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो एप्लाई करें उन्हें जगह दी जाय और उसका पेमेन्ट सरकार करे।

मान्यवर, मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। जो भूमि संबंधी मामले हैं उसमें चाहे गाँव सभा, चकबंदी या सीलिंग की भूमि हो, हरिजनों के लिये पाबन्दी लगा दी जाय कि भूमि को ट्रान्सफर नहीं कर सकते। तभी उनकी भूमि सुरक्षित रह सकती है। तभी उनकी आर्थिक सुरक्षा हो सकती है।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)––

मान्यवर, मा० सदस्य कैसे मालूम नहीं कि यह व्यवस्था है।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य––

मान्यवर, हरिजनों से सादे कागज पर प्रोनोट लिखा लिया जाता है इसकी वजह से उनका शोषण हो रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार एक इसके बारे में विधेयक लावे कि जब तक हरिजन द्वारा लिखा गया प्रोनोट रजिस्टर्ड न हो, तब तक कोर्ट में उसकी मान्यता न दी जाय। रजिस्ट्रार के सामने मिलेगा तो वह ठीक रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं मा० रेवती रमन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मलखान सिंह सैंती (जिला मुजफ्फरनगर)––

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मान्यवर, विरोधी पक्ष के एक साथी ने अभी कहा है कि सरकार क्रोकोडाइल टियर बहा कर हरिजनों का अपने साथ करना चाहती है। मान्यवर, अपना हित और अहित तो एक जानवर भी समझता है, तो हरिजन तो इंसान है। वह खूब समझता है कि उसका हितैषी कौन है। विरोध के लोगों ने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। हरिजन अब खूब समझ गया उन भेड़ियों के बारे म जो भेड़ की खाल पहन कर उनका शिकार करते थे। मुंह में राम बगल में छूरी। हरिजन खूब समझ चुका है उन लोगों के बारे में जो अपनी लाठी के बलबूते पर वोट डलवाते हैं और उनको राजनैतिक अधिकार से भी वंचित रखते हैं। मान्यवर, मुझे मुजफ्फरनगर जिले का तजुर्बा है। वहाँ १९६९ में जब क्रांन्ति दल ने पहला इलेक्शन लड़ा, तो गरीब वर्ग के खिलाफ क्रान्ति की। काँग्रेस प्रत्याशी श्री सुरेन्द्र चन्द्र का मर्डर हुआ। इस दल की टैक्टिस जबदस्ती वोट लेने की है। यह दल हरिजनों के साथ खासतौर से अन्याय करता है। इसलिये हरिजन खूब जानते हैं कि क्रोकोडाइल टियर्स कौन बहाता है। काँग्रेसमैन बहाता है या विरोधी दल वाले। मुजफ्फर-नगर में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो बावजूद सब इन्ताजम के, वहाँ के ऊंचे वर्ग के लोग जबर्दस्ती लाठी लेकर खेड़े थे। जबर्दस्ती वोट डालवाने, टेरीफोई करने, का काम विरोधी दल का है। अब हरिजन खूब समझने लगा है कि क्रोकोडाइल टियर कौन बहाता है। हरि-जनों को अब इसका खूब तजुर्बा है। मान्यवर, यह भी भलीभांति सभी हरिजनों को ज्ञात है और पिछड़े वर्ग को भी ज्ञात है, जो हरिजनों की श्रेणी में आते हैं जैसे कुम्हार, कहार बढ़ई आदि, कि हमारी सरकार जो है वह एक वेलफेयर स्टेट की पालिसी को ले कर चल रही है। आप जनाते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर वर्ण व्यवस्था है, लाखों साल से चली आ रही है, लिहाजा एक दिन में जादू का डंडा हिला कर उसे दूर नहीं किया जा सकता। विरोधी पक्ष के लोग इधर भीबैठे थे आज वह कहते है कि हरिजनों के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो उन्होंने उस समयकितना ध्यान दिया था? वेलफेयर स्टेट होने के कारण प्रदेश की सरकार के सामने केवल हरिजनों और पिछड़े लोगों की ही समस्या नहीं है बल्कि टेक्नोलाजी एज्केशन, अनएम्पलायमेंट आदि की बहुत सी अन्य समस्यायें भी हैं और उसको हर समस्या की ओर ध्यान देना है यह नहीं कि एक ही समस्या की ओर ध्यान देना है। इससे प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलखान सिंह सैनी]

विरोधी पक्ष की तरफ से जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा कि गाँधी जी ने कहा था कि हरिजन देश का प्रेसिडेंट होना चाहिये। उन शब्दों के पीछे उनका आशय क्या था ? शब्दों के पीछे आशय की बहुत बड़ी कीमत होती है। उन्होंने जब कहा था तो हरिजनों की दशा बहुत खराब थी लेकिन उस समय जो दशा थी वह आज नहीं है। आज सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चाय होटलों म पीते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और कोई भेदभाव सवर्ण अथवा हरिजन का नहीं रह गया है। कोई नहीं पूछता है कि कौन हरिजन है और कौन सवर्ण है ? गाँधी जी का यही आशय था कि कमजोर वर्ग को ऊपर आना चाहिये। जगजीवन राम जी काँग्रेस से ही हैं। आज विरोधियों को उनकी बड़ी चिन्ता हो रही है, घड़ियाली आँसू बहा कर आप उन्हें जाल में फंसाना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि गवर्नर तथा राष्ट्रपति कांस्टीटयूशनल हेड हैं। असल सुधार कैबिनेट का आदमी ही कर सकता ह और जगजीवन राम जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनकी देखरेख में कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया और उस लड़ाई के कारण हरिजनों का कितना मस्तिष्क ऊंचा हुआ। सवर्ण लोग ही मार्शल रेस के हैं यह भ्रम भी लोगों का इस लड़ाई से उनकी देख रेख में होने से दूर हो गया। हरिजन भी भारत की रक्षा कर सकते हैं। जगजीवन राम जी अगर प्रेसीडेंट होते तो इतना बड़ा हित हरिजनों का नहीं कर सकते थे और न हरिजन इतना सम्मान के पात्र बन पाते। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बैठ कर बोलने की अनुमति चाहता हूं। (अनुमति मिलने पर) मैं १० मिनट ही बोलूंगा। मान्यवर, हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों का सम्बन्ध दलगत नहीं है बल्कि राष्ट्रीय है। इन वर्गों का उत्थान देश का उत्थान है। यह उत्पादक वर्ग है, खेतों में काम करता है, कारखानों में काम करता है तो जब इस वर्ग की तरक्की होगी तभी प्रदेश का भला हो सकता है। जब यह वर्ग सुखी होगा तभी देश आगे बढ़ेगा और देश और प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा .....

अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक हरिजनों का सम्बन्ध है चौधरी साहब के बारे में बातें कही गईं कि काँग्रेस में रहते हुये काँग्रेसी लोग शिकमी अधिकार देने का विरोध करते थे। उन्होंने शिकमी अधिकार दिलाया और इस वर्ग को ३३ प्रतिशत जमीन का मालिक बना दिया। यह बात सिद्ध करती है कि बी० के० डी० ने नेता चौधरी साहब की मनोवृति क्या चल रही थी। जब वे चीफ मिनिस्टर हुये थे तो उन्होंने दौलतराम नीम हरिजन को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाया था और पिछड़ी जाति में रामलाल सिंह को वहाँ पर सदस्य की हैसियत से स्थान मिला था। मैंने सन् ५७ में एक प्रस्ताव रखा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों और पिछड़ी जाति के वर्गों का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिये। उस समय मेरी बात नहीं सुनी गई। जब बी० के० डी० ने नेता को अवसर मिला, हमारा डेपूटेशन उनसे मिला और वैसा करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हरिजनों के साथ उनकी कितनी हमदर्दी है। जब चौधरी साहब माल मंत्री थे सन् १९५३ में एक आदेश किया था कि रेवेन्यू विभाग में जितने लेखपाल होंगे उनमें १८ प्रतिशत की बजाय ३६ प्रतिशत हरिजन लिये जायेंगे। हमारे बी० के० डी० केमैनीफेस्टो में लिखा है कि प्राइवेट संस्थाओं में २० प्रतिशत रिजर्वेशन हरिजनों को मिलना चाहिये और प्राइवेट फैक्टरियों में हरिजनों को नान-टेक्निकल जगहों पर ३३ प्रतिशत आरक्षण होना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था के बारे में मैं एक भ्रम निवारण करना चाहता हूं कि व्यवस्था किसी मद की समाप्ति और दूसरे मद के प्रारम्भ होते समय की जाती है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, राम बचन जी ने कहा है कि चौधरी साहब . . .

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है

श्री त्रिवेणी सहाय—

एक जानकारी चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि माननीय चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय एक हरिजन व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बन गया और एक बैकवर्ड क्लास का उसका चेयरमैन बन गया।

श्री राम बचन—

मान्यवर, मैंने अब तक हरिजनों के बारे में कहा। अब मैं संविधान का हवाला देते हुये एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज संविधान की अवहेलना हो रही है। माननीय सदस्य संविधान की शपथ खाये हैं किन्तु उसकी धारा १६(४) की अवहेलना हो रही ह दक्षिणी प्रदेशों में जैसे मद्रास, तामिलनाडू, मैसूर और केरल आन्ध्र आदि स्थानों में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वहाँ पर पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों अपर्याप्त होते हुये भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप संविधान की यह धारा पढ़ लीजिये। पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग के लोगों के साथ संविधान की अवहेलना हो रही है या नहीं। सरकारी नौकरियों में संरक्षण क्लास कमीशन, पृष्ठ संख्या १४० में दिया है—क्लास–वन में २५ प्रतिशत, क्लास बी में ३३ १/२ प्रतिशत, क्लास ३ व ४ में ४० प्रतिशत। काका कालेलकर की रिपोर्ट में प्रविधान ह और भारतीय क्रान्ति दल ने अपने घोषणा-पत्र में इस बारे में लिखा है। ५० फीसदी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है जबकि हरिजनों की २२ साढ़े २२ प्रतिशत है। जितना भी संरक्षण हरिजनों को दिया जाए, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ५० प्रतिशत की करीब आबादी वाले पिछड़े वर्ग के लिये भी हम २५ फीसदी की माँग करते हैं तो क्या गलत करते हैं।

श्री रामनन्दन सिंह, एम० एल० सी० श्री राम स्वरूप वर्मा ने असेम्बली में प्रश्न किया था, उसके सन्दर्भ में प्रदेश सरकार की सेवा में गजेटेड अफसरों की संख्या वर्गों के आधार पर जो संख्या सरकार ने बताई थी उसे आप देखें। श्री रामनन्दन सिंह ने १९५२ में प्रश्न किया था और श्रीरास्मवरूप वर्मा जी ने सन् १९६१ में प्रश्न किया था। सरकार का जवाब आया था कि हरिजन जातियों के १९४६ में १६, ५५ में ७० और ६० में ९० थे, अन्य पिछड़ी जातियों के सन् ४६ में ३४, ४४ में २५ और ६० में ६७ आदमी रहे थे तथा अग्रणी जातियों के सन् ४६ में ३०३० थे, सन् ५५ में ४५५५ तथा सन् ६० मे ८५०० आदमी थे। इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई आदि जातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था। सन् ४६ में वे १९०१ थे और पाकिस्तान बन जाने के बाद ६३० के तथा १९६० में ८५८ हो गये। यह आँकड़े सरकार के, प्रश्नों के जवाब में थे। मैं अनुरोध करता हूं मुख्य मंत्री जी से और हरिजन कल्याण

[श्री राम बचन]
मंत्री और अधिकारियों से कि वे हर साल इसी प्रकार आकड़े प्रस्तुत करें कि हरिजन गजेटेड अधिकारियों की संख्या कितनी है, पिछड़ी जाति वालों की कितनी है और अग्रणी जाति वालों की कितनी बढ़ रही है। मैं एक शब्द और कहता हूं कि वे यह बताया करें कि प्रदेश में डी० एम०, जिलाधकारी तथा पुलिस सुप्रन्टिन्डेन्ट हरिजन और पिछड़ी जाति के अलग-अलग कितने हैं।

पिछड़े जातियों के लोग अन्नोत्पादन के कार्य में अग्रणी हैं, फौज में अग्रणी हैं, देश रक्षा के कार्य में संदैव आगे रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर में वे पीछे हैं, सरकारी नौकरियों में वे पीछे हैं, शैक्षिक कार्य में वे पिछड़े हैं और राजनीति में भी वे पीछे हैं, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार क्या सोच रही हैं, यह मैं जानना चाहूंगा जो वगहीन समाज की आप स्थापना करने की बात करते हैं, वह समाज तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक गजेटेड अफसरों में उनकी संख्या के आधार पर उनको स्थान न प्राप्त हों। एक पिछड़ी भर जाति पूर्वी जिलों में हरिजनों के बराबर है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उसे अनुसूचित जातियों की लिस्ट में लेकर उसका उत्थान कराया जाए। भर जाति का एक भी एम० एल० ए० इस सदन में नहीं है इन शब्दों के साथ जो मैंने आँकड़ा रखा है माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध है उसको देख कर गजेटेड अफसरों को संरक्षण देकर बनाएं और अगले बज में पेश करने की कृपा करें।

*श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आज की चर्चा में आपने भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। मान्यवर, मैं इस प्रदेश के प्रगतिशील विचार धारा के मुख्य मंत्री महोदय का भी आभारी हूं कि जिस काम में हरिजनों की समस्याओं को हल करने में करीब करीब सभी दलों की सरकारें पिछड़ चुकी हैं, और जितने भी आपने जनरल मैनिफेस्टों में आश्वासन दिये थे उसको कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके हैं, उन्हीं सब आश्वासनों को हमारे मुख्य मंत्री जी अपने थोड़े से कार्यकाल से पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना काम करने के बावजूद भी उनकी आलोचना की जा रही है।

मुझे दुख हो रहा है। हमारे जिले के जो हरिजनों के नेता कह चुके हैं, बहुत ऊंची जाति के माननीय सदस्य हैं, कुंवर रेवतीरमण जी, जो वहाँ के विधायक भी हैं, और आज के कटौती के प्रस्ताव के रचयिता भी हैं, जानता हूं कि वह हरिजनों में काम करते हैं। मैंने ऐसी आशा की थी कि वह जब अपने फार्म पर जैसा उन्होंने बताया पाँच रुपया मजदूरी देते हैं, मैंने सोचा था कि इस अनुदान की कटौती का प्रश्न नहीं उठायेंगे बल्कि सरकार से माँग करेंगे, यह भी माँग कर सकते थे कि जो अनुदान की माँग की है इस को बढ़ा कर दुगनी कर दी जाय। तो मै इस बात के लिये बधाई देता। अगर यह अनुदान काट कर एक रुपया कर दिया जाय तो उनकी इच्छा की क्या पूर्ति हो जायगी ? नहीं। इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक साल तक हरिजन पिछड़ जायेंगे, एक रुपया में उनका काम नहीं चल पायेगा। यह विभाग छिन्नभिन्न हो जायगा। यह उनकी सूझबूझ की बात है। क्योंकि वह ऐसा दल के साथ मिल गये हैं मैं कुछ कह नहीं सकता। माननीय सदस्य ने कहा कि जब बी० के० डी० बनी तो पब्लिक सर्विस कमीशन में नीम साहब पहले हरिजन मेम्बर बनाये गये। बी० के० डी० के समय में नहीं बल्कि उनके पहले बाबू पन्नालाल जिनका स्वर्गवास हो गया, वह मेम्बर बनाये गये थे। नीम साहब बाद में बनाये गये हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है।

---

*सभापति ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी चर्चा चली अखबारों में कि इस देश के सर्वोच्च अधिकारी हमारे विरोधी दल के नेता श्री चरण सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चुनाव होना है, महामहिम राष्ट्रपति का, इस देश का राष्ट्रपति कोई हरिजन हो जो उनके हाथ में नहीं था। उनका प्रत्याशी तो हार ही जायगा। अगर वह चाहते तो अपने यहाँ का उम्मीदवार हरिजन घोषित करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर मान्यवर, विधान सभा के उपाध्यक्ष की बात आ जाती है। मैंने यह आशा की थी कि शायद चौधरी साहब के हृदय में बड़ी पीड़ा होगी वह राष्ट्रपति का पद नहीं दे सकते लेकिन उपाध्यक्ष का पद किसी अल्पसंख्यक हरिजन को जरूर देंगे क्योंकि उनके मन में ऐसी इच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा भी नहीं किया। आज तक उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली है। अब भी समय है कि अगर चेत जायं तो बड़ी कृपा होगी। और वास्तव में हरिजनों के नेता माने जाते रहेंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके यहाँ बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं। मान्यवर, मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। जो मकान बनाने के लिये हरिजनों को अनुदान दिया जा रहा है उसके लिये विरोधी दलों ने तथा सरकारी दलों ने कहा है कि उससे जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। एक हजार रुपये में नींव भी नहीं भरी जा सकती है। नगद रुपया न दिया जाकर कालोनी बनाकर दे दी जाय लेकिन पता नहीं यह स्कीम क्यों ठप्प हो गई है।

उत्तर प्रदेश हरिजन तथा समाज कल्याण की जो पुस्तिका है इसमें हरिजनों की ६६ जातियाँ हैं सरकारी जो लिस्ट निकली है उसमें बहुत गड़बड़ी की गई है। इस लिस्ट के २७ नवम्बर पर धनगर जाति को धांगर लिख दिया गया है। इसको शुद्ध कर लिया जाय। इसी तरह से २९ पर सरकार जाति को सरकार लिखा गया है। इसको अनुदान नहीं मिल पायेगा। आजकल जब कोई सुविधा दी जाती है तो ३/४ हरिजनों जातियों की तरफ ही ध्यान दिया जाता है। इससे समस्या हल नहीं हो पाती है। ६६ हरिजनों की जातियां हैं। इनको मैं पढ़ देना चाहता हूं कि जिससे सबको मालूम हो जाय। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची इस प्रकार है कि—

१—अगरिया, २—बादी, ३—बधिक तथा ४—बहेलिया, ५—बंगा, ६—बंसवार, ७—बजनिया, ८—बाजगी, ९—बलहर, १०—बलई, ११—बाल्मीकी १२—बंगाली, १३—बनमानुष, १४—बंसफगेर, १५—बारवर, १६—बसोर, १७—बावरिया, १८—बेलदार, १९—बेड़िया, २०—माँतू, २१—भुइयां, २२—भुइयार, २३—बोरिया, २४—चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव तथा चरमी सहित, २५—चेरो, २६—बदगर, २७—धनगर, २८—धानुक, २९—धरकार, २०—धोबी, ३१—डोम, ३२—डोमर, ३३— दुसाध, ३४—धरमी, ३५—घुसिया, ३६—ग्वाल, ३७—हबूड़ा, ३८—हरी, ३९—हेला, ४०—कलाबाज, ४१—कंजड़, ४२—कपरिया, ४३—करवल, ४४—खेरहा, ४५—खरोट, ४६—खरवारक्ष, बनवासी को छोड़कर, ४७—खटिक, ४८—कोल, ४९—कोरवा, ५०—लालबेगी, ५१—मजहबी, ५२—मुसहर, ५३—नट, ५४—पंखा, ५५—परहिया, ५६—पासी या तरमाली, ५७—पतरी, ५८—रावत, ५९, सहारिया, ६०—सनोरिया, ६१—सांसिया, ६२—शिल्पकार, ६३—तुरैया, ६४—मझवार ६५—कगेरी (आगरा, मेरठ, और रुहेलखंड डिवीजन को छोड़कर राज्य भर म) ६६—गोंड (बुन्देलखंड डिवीजन और जिला मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में।) अगर तमाम अधिकारियों के पास यह लिस्ट नहीं पहुंचती है तो हम लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी,

[श्री कन्हैयालाल सोनकर]
में सचिव और डायरेक्टर महोदय से कहना चाहता हूं कि तत्काल इस सूची को सब जगह भेज दिया जाय ।

हमारे जो हरिजन अधिकारी हैं वही अल्प संख्यक हरिजनों के साथ अन्याय करते हैं । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया उसके लिये हम आपके आभारी हैं तो तस्वीर इस सदन के भीतर सामने लगी हुई है महात्मा गाँधी जी की उन्होने कहा था कि जैसा कि हमने बोया है वैसा ही फल पा रहे हैं। हरिजनों को अपमानित करके हम संसार में अपमानित हो रहे ह। उन्होंने यह भी कहा था कि अस्पृश्यता हिन्दुओं का पाप है। यह गाँधी जी के चेलों की सरकार है जो २७ वर्षों से राज्य करती है और हरिजनों का उद्धार करती आ रही है। हरिजन और पिछड़ी जाति को लोग जितने अंग्रेजी राज्य में सताये जा रहे थे उससे ज्यादा उनको २७ सालों के इस कांग्रेसी राज्य में सताया जा रहा है। वे नंगे, भूखे शोषित पीड़ित और दुखी लोग हैं उनकी मजबूती से लाभ उठा कर आज सदन में ये लोग हंस रहे हैं।

मान्यवर, हरिजनों की करीब दो करोड़ की संख्या है और पिछड़ी जाति के लोगों की जन संख्या करीब ५.५० करोड़ है। अपने उत्तर प्रदेश में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या मिलाकर लगभग साढ़े सात करोड़ है। आज यह सरकार हजार में से एक या दो को सुविधायें देती हैं और कहती है कि हम हरिजनों को सुविधायें दे रहे हैं। हमारे सामने हरिजनों के प्रतीक स्वरूप मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य जी बैठे हुए हैं। इनके रहते हरिजनों को धोखा दिया जाता है। आज सरकार नमूने के हरिजन पैदा कर रही है ७०–८० जातियां हरिजनों की जो पिछड़ी हुई और शोषित, पीड़ित, दबी हुई हैं जैसे धोबी, धानुक आदि।

आज हरिजन जाति के नाम पर केवल एक जाति को फायदा दिया जा रहा है। बाकी की स्थिति वही पुरानी है। मेहतर अपने सिर पर पाखाना आज भी ढोता है, जूठे पत्तल उठा-उठा कर और उसकी रोटियों के टुकड़े बीन-बीन कर खा रहा है। आज हरिजनों के सम्बन्ध में कौन सा कानून बनाया है, जिससे उनकी तरक्की हो। डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हरिजनों, पिछड़ी जातियों और नारियों को राजनीति में और सरकारी नौकरियों में ६० प्रतिशत स्थान सुरक्षित करना चाहिये। उन्होंने उसमें अल्प संख्यक मुसलमान लोगों को भी शामिल किया था। इनको सबको राजनीति में और शासन सत्ता में ६० प्रतिशत स्थान दिये जायें। आज इन २७ सालों में ३ प्रतिशत भी स्थान इन लोगों को नहीं मिल पाये हैं। आज इन जातियों का बराबर शोषण किया जा रहा हैं।

मान्यवर, डा० लोहिया ने कहा था कि समान अवसर देने से काम नहीं चलेगा अब उनको विशेष अवसर दिया जाना चाहिये। जो जातियां पिछड़ी हुई है उनको विशेष अवसर और विशेष सुविधाये दी जानी चाहियें। आज थोड़ी सी उनके बच्चों की फीस माफ कर देने से वजीफा और अनुदान देने से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से इनका उद्धार और समाज कल्याण नहीं हो सकता है। इनमें आर्थिक समानता लानी होगी। बराबरी के समाज की रचना करनी होगी । तभी इनका भला हो सकता है। पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज ऊंची जाति के लोग इनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो हरिजन लोगों के साथ करते हैं। क्या पिछड़ी जातियों में जसे कुम्हार, लुहार, रंगी, बारी, नाई कहार इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हरिजनों में एक जाति फायदा उठा तेही है और पिछड़ी जाति में दो जातियाँ फायदा उठा रही हैं वह हैं यादव और कुर्मी। आज

लुहार, बढ़ई की स्थिति बड़ी दयनीय है। हमारे प्रदेश में एक जाति है जिसको जोगी या बंजारा कहते हैं। यह आज भी अपना सामान सर पर लादकर चल रहे हैं। आज इनको कहीं बसने का स्थान नहीं है। तो मान्यवर, आज बाबा साहब अम्बेदकर ने हरिजनों की तरक्की के लिय कुछ रास्ते बताये थे। उनकी कुछ किताबें छपी थीं। उनकी कुछ किताबों को सरकार ने जब्त कर रखा है। उनकी कुछ किताब चल भी रही हैं जिनको रामायण कहा जाता है।

मान्यवर, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।" "अभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे।" "नारि सुभाउ सत्य कपि कहहीं, अवगुन आठ सदा उर रहहीं"। "सहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया"। "महा वृष्टि जल फूटि कियारी, जिमि स्वतंत्र हुई विगरै नारी।" सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायन रूप नरनारी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी।"

ये हमारे मंत्री जी लोग भी रोज पढ़ते होंगे। इसमें प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी भी आ जाती हैं क्योंकि वह भी नारी हैं इसमें स्त्रियों को इस तरह से अपमानित किया जाता है कि उनमें ये आठों अवगुण हमेशा रहते हैं। वे अशुद्ध और निरुद्देश्य हैं। तो जो इस तरह की किताब है रामायण जिसमें सारे हरिजनों और नारियों तथा पिछड़ी जातियों को अपमानित किया गया है और उसमें से इन शब्दों को निकाल देना चाहिये। मैं इन सब लाइनों को आपके सामने फाड़कर फेंकता हूं।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव ने रामायण के उन पन्नों को फाड़कर फेंका, जिनमें उपरोक्त वर्णित लाइनें लिखीं थीं।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का यह आचरण शोभनीय नहीं है। डाक्टर लोहिया ने रामायण सम्मेलन किया था।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

हम इन लाइनों को इस किताब में नहीं रहने देंगे जिसमें हरिजनों और स्त्रियों का अपमान किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

यह अशोभनीय है।

(व्यवधान—शोर–घोर शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

कुछ माननीय सदस्य हंस रहे हैं। सबसे बड़ा रशियन विद्वान ..... (शोर—घोर शोर—व्यवधान)..... मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार रामायण का अपमान करके..... ... (शोर—घोर शोर—व्यवधान)।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

मान्यवर, हरिजनों के नाम पर, पहाड़ी क्षेत्रों के नाम पर कई बार यहाँ पर, इस सदन में चर्चा हो चुकी है। लेकिन कभी भी इस पर गम्भीरता पूर्वक नहीं सोचा गया। आज उन पिछड़े क्षेत्रों के लिये जो अलग से व्यवस्था कर दी गईहै, मैं सरकार का और विशेषकर मा० मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, जैसा कि मा० मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम पिछड़े क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात की जो कमी है, उस यातायात की कमी को दूर करने के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके उत्थान के लिये अनेकों कदम उठाये गये। (शोर—घोर शोर—व्यवधान)

आज भी कुमायूं तथा गढ़वाल क्षेत्र में आने-जाने के मार्ग कहीं हैं। इसके लिये मेरा विनम्र सुझाव है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में मार्गों के लिये विशेष ध्यान दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

(एक सदस्य की ओर इशारा करते हुए)

मान्यवर, ये आपके सामने धमकी दे रहे हैं यह सदस्य का आचरण अशोभनीय है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें ?

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

यहाँ सदन में आप रामायण फाड़त हो ?

श्री अधिष्ठाता—

अधिक उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया बैठें ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

तो मैं कह रहा था कि मार्गों को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये। आज गढ़वाल क पूर्वी जिले में रामगढ़, ननीताल, बरेली जिला मुरादाबाद और कोटद्वार होकर जाना पड़ता है। दूसरे वहाँ पर विद्युतीकरण भी किया जाय।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो बहुत पंडित आदमी हैं। जब एक मद पर दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हों तो इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न किसी भी समय उठा सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि आप नियमों को पढ़ लें। यह आपका भ्रम है। आज प्रातःकाल इसी सदन में इस प्रकार का एक विवाद उठ खड़ा हुआ था। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि कभी भी जब सदन में एक मद चल रही हो तो बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हाउस आफ कामन्स की ओर इस सदन में अध्यक्ष की रूलिंग्स हो चुकी हैं। वह लोक सभा में भी रूलिंग हैं। मेज पार्लियामेंट्री प्रक्टिस में हाउस आफ कामन्स की रूलिंग दी हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

जिन मामलों में हमारे नियम साफ हैं, उनमें हम हाउस आफ कामन्स की रूलिंग्स से गाइड नहीं हो सकते हैं ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं। यह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। जो हमारी नियमावली हैं, वह संविधान से बाहर तो नहीं है। उसी के अन्तर्गत है। आपनी प्रक्रिया नियमावली संविधान के अन्तर्गत ही बनी है और संविधान नें हमको अधिकार दिया है कि हमारे वे ही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में साफ-साफ यह दिया हुआ है कि जिन मामलों में हमारा संविधान या हमारी नियमावली साफ न हो, उन्हीं मामलों में हम हाउस आफ कामन्स से गाइड होते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे नियम स्पष्ट हैं कि किसी भी मद के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री राम समुझ तिवारी—

क्या ये सदन में रामायण फाड़ सकते हैं। इस पर भी तो आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

जिस समय सदन में किताब फाड़ी गयी थी, उसी समय मैंने कहा था कि यह शोभनीय है।

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

मेरी प्रार्थना है कि इस सब को आप कार्यवाही से निकलवा दें ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

इससे करोड़ों जनमानस को रामायण फाड़कर ठेस पहुंचायी है।

(व्यवधान)

[श्री काशी नाथ मिश्रा]

रामायण तो देश की सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है उसके इस तरह से फाड़े जाने से क्या किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस नहीं लगती है ?

(श्री उमानाथ के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

उमानाथ जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें । किसी माननीय सदस्य ने अगर कोई ऐसा आचरण किया है जो इस सदन के माननीय सदस्य के लिये शोभनीय नहीं है, उसके लिये इस प्रक्रिया नियमावली में व्यवस्था है। उसके प्रति कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं उसको आप इन प्रश्नों और अन्य विधान से यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं विवाद हो सकता है। मैंने, जिस समय माननीय सदस्य ने किताब फाड़ी थी, उसी समय उनको रोका था कि ऐसा नहीं करना चाहिये उनको। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मान्यता हमारी है कि गंगाजल बहुत पवित्र हैं। यदि कोई आदमी गंगाजल के साथ कुछ ऐसा आचरण करे जो उसके साथ शोभनीय नहीं है तो इसके ऊपर कोई विवाद, जोर-जुल्म नहीं चलाया जा सकता है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी (जिला बस्ती)—

मैं इस आचरण के विरोध में सदन का त्याग करता हूं

(श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं आपके माध्यम से बता रहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में हमारे लिए यातायात, विद्युतीकरण, सिचाई, पेय-जल योजनाएं जितनी आवश्यक हैं वहाँ फारेस्ट के विषय में जैसा कि मंत्री जी ने कहा, ७० प्रतिशत भूमि फारेस्ट के अन्तर्गत होनी चाहिये। मान्यवर, वन क्षेत्र में ६५.७ प्रतिशत हमारे प्रदेश का जो इलाका है—पर्वतीय अंचल-यहाँ पर वन हैं और समस्त हमारे पर्वतीय अंचल का समभाग ६३.७ है और प्रतिवर्ष १५ करोड़ रुपये की शुद्ध आय उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ से होती है। मान्यवर, इसलिये बता रहा हूं कि पिछली बार हमारे यहाँ पर विरोधपक्ष की ओर से बार बार लाँछन लगाया गया कि हम पर्वतीय क्षेत्र को एक प्रकार से बोझ समझते हैं कि उसको कैसे ढोयेंगे ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केवल ६५ करोड़ रुपये की व्यवस्था आठों पर्वतीय जिलों के लिए की गयी है। अगर १५ करोड़ रुपया भी शुद्ध आय लगायें तो ७५ करोड़ रुपया ५ साल में हो जाता है और ६५ करोड़ रुपया खर्च हुआ. . . . . (लाल बत्ती होने पर) मेरा समय तो बीच में विवाद में चला गया।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, आपके माध्यम से, कि पर्वतीय क्षेत्र में वनों का गठन शुरू हो गया है। उसके लिये दूसरी ओर से फलोत्पादन का दूसरा मार्ग है, उसी के माध्यम से वन भी हो सकते हैं और फलों के द्वारा हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। इसक लिये प्रोसेसिंग यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही कैनिंग फक्टरीज, पल्प फैक्टरीज की व्यवस्था की जायगी। प्रोसेसिंग फैक्टरीज के लिये वहाँ बहुत बड़े साधन हैं और उसकी बहुत ज्याया उपयोगिता है। पिछली सरकार की ओर से रामगढ़ में जो प्रोसेसिंग फैक्टरी बनी थी उसमें १,६३,००० का तो करीब उसमें माल बनता था और १,३४,००० का नुकसान था जो कि ६६ में बनी थी। आज वह फैक्टरी इस सरकार के

द्वारा काफी लाभ में चल रही है। १२ लाख रुपये का प्रति वर्ष उससे लाभ हो रहा है। तो पर्वतीय क्षेत्र में ऐपिल कंसेंट्रेशन प्लान्ट लगाने के लिये या फैक्टरी की सुविधा देने के लिये वहाँ के लोगों को सुविधा देनी पड़ेगी, जैसे कि सेल्स टैक्स में एक्साइज ड्यूटी में छूट, ट्रांस्पोर्ट की दिशा में चुंगी इत्यादि में छूट देनी पड़ेगी ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोग इस दिशा में काम कर सके और उनको अधिक से अधिक काम करके लाभ पहुंचाया जा सके। या इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ पर डबल टैक्स लगे हैं, जो कि कच्चा माल, बोतलें, कोयले जो जाते हैं, और जितना सामान नीचें आता है उस पर दुगनी कीमत लगती है।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

और दुगनी कीमत लगाने के कारण उसकी प्राइस बढ़ जाती है।

चूंकि समय कम है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में फलोत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये और वहाँ फैक्टरियाँ लगाने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। इस सबके लिये सरकार को अधिक से अधिक सुविधायें देना चाहिये। जब आप यह सब सुविधायें देंगे तभी वहाँ के साधनों को अच्छी तरह से उपयोग हो सकेगा और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधर सकेगा। यह पहला अवसर है जब कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहाड़ों के लिये तथा सीमान्त के हिस्सों के लिये बजट में अलग से प्राविधान किया है। जितनी भी हमारी समस्यायें हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा हल करने का प्रयास करना चाहिये। जो हमारे यहाँ बड़-बड़े बाँध बन रहे हैं, उनके कारण जो विस्थापित लोग हैं उनके बसाने के लिये भी प्रयास होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों पर बोलने का समय दिया आज इस विभाग के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, मगर जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनकी। समस्याओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४० में कहा गया है कि भारत वर्ष में वे जातियाँ जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं उनके उत्थान के लिये यहाँ की सरकार विशेष कानून बनायेंगी और एक कमीशन नियुक्ति करेगी। १९५३ ई० में एक पिछड़ा वर्ग कमीशन नियुक्त हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट ३० मार्च, १९५५ को प्रस्तुत की थी। उसमें यह सिफारिश की गयी थी कि हमारे यहाँ तमाम जातियाँ ऐसी हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं और उनके विकास के लिये सरकारों को कानून बनाना चाहिये। हमें खेद है कि पिछड़े वर्ग कमीशन की सिफारिशों को आजतक लागू नहीं किया गया। अगर यह सरकार हमारे प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाना चाहती है, वास्तव में समाजवादी कदम पर चलना चाहती है तो उसे पिछड़ा वर्ग कमीशन की सिफारिशों को तुरन्त लागू करना चाहिये और उसको लागू करने के लिये अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भी भेजनी चाहिये।

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ (४) और २९ (२) में दिया गया है कि राज्य सरकारें इस बात के लिये सक्षम हैं कि प्रदेश के अन्दर ऐसा पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हो उसके उत्थान के लिये

[श्री सीता राम निषाद]

विशेष कानून बना सकेगी। शिक्षण संस्थाओं में उनकी निःशुल्क शिक्षा और उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकेगी। संविधान में धारा १६(४) में दिया गया है कि राज्य सरकारें विशेष कानून बना कर पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था कर सकेगी। उत्तर प्रदेश मे पिछड़ी जातियों की एक सूची बनायी गयी है लेकिन उनकी तरक्की के लिये कोई काम नहीं हो रहा है। इस बजट में छात्रवृत्तियों के लिये इतना कम रुपया स्वीकृत किया गया है कि अगर उनको जिले में वितरित किया जायेगा तो हर विद्यालय में एक एक छात्र के हिसाब से भी उसका बटवारा नहीं हो सकेगा। इतनी अल्प धनराशि से पिछड़े वर्ग का कल्याण नहीं होने वाला है।

आज तक जो भी सरकारें यहाँ रहीं, मेरा उनके ऊपर यह आरोप है कि मौजूदा सरकार या पिछली सरकारों ने पिछड़े वर्ग को सही ढंग से उठाने के लिये आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिये आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करूंगा कि पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाय। पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो वास्तव में बहुत पीछे हैं और उनका जीवनस्तर, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा व आर्थिक स्थिति हरिजनों के समान है। उदाहरण स्वरूप मछुओं का एक समुदाय है, उनमें केवट, मल्लाह, धीवर बाधम, बिन्द, चाई, गोड़िया आदि ऐसी जतियाँ हैं जो हिन्दुस्तान के तमाम प्रान्तों में हैं। ये जातियाँ अनुसूचित जाति में रखी जानी चाहिये। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा और दक्षिण भारत के कुछ प्रान्तों में इन जातियों को अनुसूचित जाति में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर, मछुओं की अन्य जाति माँझी, मझवार आदि जातियों को अनुसूचित जाति में रखा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति में न रख कर संविधान की अवहेलना की गयी है। उनका समाज में वही स्थान है जो अनुसूचित जातियों का स्थान है। उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है और उनकी बड़ी ही दुर्दशा है। संविधान के अनुसार उनको संरक्षण मिलना चाहिये, शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिये। लेकिन आज तक वैसा नहीं किया गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५(४), २९(२), १६(४), ३४० के अनुसार सरकार को विशेष कानून बनाना होगा जिससे पिछड़ी जातियों का विकास हो सके और उनका पिछड़ापन दूर हो सके।

जैसा कि मैंने आपको हरिजनों के सम्बन्ध में बतलाया कि हरिजनों के लिये जो उद्योग धंधों की व्यवस्था की गयी है वह नाकाफी है। उससे हरिजनों का विकास होने वाला नहीं है। उनके प्रति आज भी सरकार की नीयत साफ नहीं है। उनको सुअर पालन जैसे उद्योग में लगा कर सरकार उनको अछूत का अछूत ही बनाये रखना चाहती है। यदि हम चाहते हैं कि उनमें सामजिक असमानता दूर हो, तो उनको अच्छे अच्छे उद्योगों के लिये पैसे दिये जाँय। उनको दूकानें दिलाने के लिये और अच्छे-अच्छे उद्योग के लिये उनको पैसे दिये जाँय जिससे वे अच्छी रोजी रोजगार करें और उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो। आज ५ सौ रुपये या १०० रुपये उद्योग धंधे चलाने के लिये जो व्यवस्था की गयी है उससे इन लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है उससे अच्छा तो यह होगा कि आप स्वयं उसी अनुपात के धन से उद्योग धंधे खोलिये और उसमें हरिजनों को लगाइये।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस ग्रान्ट पर बोलने का मौका दिया।

पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का यह तरीका है कि निहायत असंतुलित विकास हो चाहे वह समाज के विभिन्न वर्ग का प्रश्न हो और चाहे विभिन्न क्षेत्रों का प्रश्न। मान्यवर, पिछले २७ वर्षों के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर जिस प्रकार से नीतियाँ चली हैं उससे यह असंतुलन खत्म होने के बजाय और ज्याया बढ़ा है। कौन नहीं जानता कि आज इस प्रदेश के अन्दर ३ क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड और पर्वतीय अंचल, सबसे उपेक्षित है। लेकिन किसी भी सरकार में, किसी भी जमाने में इस बात का प्रयास नहीं किया गया है कि इन पिछड़े हुये क्षेत्रों का पूर्ण विकास कर दिया जाय और इनको उन क्षेत्रों के समकक्ष लाया जाय जो विकासशील है। यही नहीं पर्वतीय क्षेत्र विशेषतया जिनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिनके हाथों में इस प्रदेश की बागडोर रही है उनका दृष्टिकोण सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण रहाहै

सन् १९७० में एक पुस्तक प्रकाशित की गयी थी और उस समय चौधरी साहब हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। वह पुस्तक है "हमारे पर्वतीय क्षेत्र"। उसमें लिखा है पृष्ठ तीन पर कि "पिछली तीन पंचसाला योजनाओं में इन जिलों पर राज्य के कुल व्यय का ९.१० प्रतिशत धन खर्च किया गया है जब कि इन जिलों की आबादी राज्य की आबादी का ४.२ प्रतिशत है।" इसमें आखिर में लिखा है "तीन सालाना योजनाओं में पर्वतीय जिलों में आय प्रति व्यक्ति पर एकड़ २१० रुपये हो गयी जबकि पूरे राज्य में यह आय प्रति व्यक्ति ९१ रुपये थी। "तो जो इस देश और प्रदेश के शासक थे उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है हिसाब लगाते हैं जनसंख्या के आधार पर और कहते हैं चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या केवल ४.१० है और उनकी जनसंख्या के ऊपर अनुदान ज्यादा ही मिला है। और बहुत बड़ी बात कर दी कि इतना अनुदान तुमको दिया।

श्रीमन्, आपको विदित है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी विदित है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहाँ एक देशी रियासत थी। हमारे सामने उस समय तीन विकल्प थे। पहला विकल्प था कि हम स्वायत्तशासी राज्य के रूप में बने रहें या दूसरा विकल्प था कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर हम अपने को विलीन करते। और तीसरा विकल्प था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हम मिलें। लेकिन आज हमको यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि कहीं हमने गलती तो नहीं की तीसरा विकल्प स्वीकार करके। अगर पहला विकल्प लेते तो शायद हम बहुत अच्छे रहते और अगर दूसरे विकल्प को ही स्वीकार कर लेते हैं और हिमाचल प्रदेश के अन्दर अपने को शामिल करा लेते तो ज्यादा खुशहाल होते और आज उत्तर प्रदेश के अन्दर शामिल होने से जो यह बातें हमको सुननी पड़ती हैं वह हमको न सीननी पड़तीं कि जन संख्या के हिसाब से हमको ज्यादा मिल गया। जन संख्या को भी देखें तो तमाम हिमालय प्रदेशों में काश्मीर को छोड़कर सबसे ज्यादा जन संख्या पर्वतीय अंचल की है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

बदायूं की भी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मैं उसमें इस समय नहीं पड़ता, लेकिन मान्यवर, मेरे पास आँकड़े हैं कि काश्मीर में जनसंख्या ४६ लाख है और उत्तर प्रदेश में पर्वतीय अंचल की २९.७९ लाख। तो एक राज्य अलग बन सकता था, मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे ऊपर कौन बड़ा अहसान किया कि हमारी ४ प्रतिशत आबादी पर इतना रुपया आपने खर्च किया। मैं बताना चाहता हूं कि जो हिमालय स्टेट्स थीं उनके ऊपर प्रति व्यक्ति क्या खर्च तीसरी योजना में हुआ:---काश्मीर में ५४१ रुपये प्रति व्यक्ति, नागा लैन्ड में ९३६ रुपया प्रति व्यक्ति, मणिपुर में ४५४ रुपया प्रति व्यक्ति, नेफा में ६३३ रुपया प्रति व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश में ४१५ रुपया प्रति व्यक्ति और हमारे उत्तर प्रदेश में हमने खर्च किया प्रति व्यक्ति ३०६ रुपये।

मान्यवर चौथी योजना को देखिये नागालैंड में ८१२ रुपयें, नेफा में ४७८ रुपये, मेघालय में ४७० रुपये, जम्मू में ३३९ रुपये, हिमांचल प्रदेश में ३३७ रुपये और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में १८० रुपये केवल।

मान्यवर इस पर भी कहा जाता है कि हमको मुगालता दी जा रही है। जो हेमवती नन्दन बहुगुणा जी आ गये, तो कहा जा रहा है कि हम पर सारा खजाना, पहाड़ों पर सारा खजाना जा रहा है।

मान्यवर ३०० करोड़ रुपये का प्राविधान है। इस ३०० करोड़ रुपयों में जो पर्वतीय अंचल के लिये उत्तर प्रदेश का कॉंट्रीब्यूशन है वह केवल ८७.७ करोड़ रुपये का है, बाकी २१५ करोड़ रुपया जब केन्द्रीय सरकार से मिलेगा तब पर्वतीय क्षेत्र की योजनायें बनेंगी

मान्यवर इस वर्ष ४० करोड़ ७१ लाख का प्राविधान है इसमें से २६ करोड़ केन्द्र से आयेगा। मान्यवर हमको क्या दिया जा रहा है यह सोचने की बात है। इसी बजट में आप देखें, पर्वतीय अंचल से आग कितनी है। अकेले जंगलात से ही २४ करोड़ ६० लाख रुपये की आय इस उत्तर प्रदेश को होती है जिसमें से केवल १८ करोड़ रुपये का प्राविधान है पर्वतीय अंचल के लिये। और जो प्राकृतिक सम्पदा है उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हम पर क्या अहसान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज हम अलग होते तो ज्यादा खुशहाल होते, हिमाचल प्रदेश में होते तो अब से ज्यादा खुशहाल होते। हम आज उत्तर प्रदेश के झगड़े में रगड़ जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर एक निवेदन और करूंगा।

मान्यवर पर्वतीय अंचल का विकास हो सकता है। जंगलात हैं, तमाम चीजें हैं जिससे इसका विकास किया जा सकता है। पर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है

उद्योगों के लिये पूरे क्षेत्र में २१ करोड़ १९ लाख का प्राविधान है। इसमें से पश्चिमी जिलों के लिये १३.९६ लाख, बुन्देलखड के लिये १ करोड़ २ लाख, केन्द्रीय क्षेत्र के लिये ९ करोड़ १३ लाख और पर्वतीय क्षेत्र के लिये केवल ३० करोड़ यानी कि ३० लाख। मैं मान्यवर, अपने मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर अब हमारी आशायें पूरी नहीं हुयीं तो तमाम पर्वतीय अंचल की जनता को सोचना पड़ेगा, अपने इग्जिस्टेंस के लिये अपने विकास के लिये।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझ जैसे, कांग्रेस दल के सबसे कम उम्र के विधायक को इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है। मेरी एक विनय है, मेरी एक प्रार्थना है, अनुरोध है कि माननीय सदन और माननीय सदस्य इस अनुदान को जिस पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ कर सोंचे, दलगत राजनीति को छोड़कर इसके ऊपर सोंचे तो अच्छा होगा।

कारण यह है कि हमको पहले उस समाज की ओर सोचना चाहिये जो जनवरी, दिसम्बर की कड़कड़ाती रातों में नहर और बम्बों में खड़ा रहता है, जून, जुलाई की तपती दोपहरी में खेत और खलिहान में फसल तैयार करता हूं। सावन, भादों की काली अंधियारी रातों में खेत की मेड़ बाँधता है, कि कहीं पानी न उतर जाय और खेत की खाद न बह जाय। वह यह सब करता है, मेहनत करके फसल उगाता है, खेतों में काम करता है लेकिन उसको बदले में मिलता है केवल २ मन मटर खाने को। वह गोबर को इकट्ठा करके घोल करके उसका अनाज निकाल कर खाता है। जो इंसान अनाज निकालने के लिये बड़ी मेहनत करता है परन्तु फिर भी उसको दो वक्त रोटी खाने को नहीं मिलती है। उनके बच्चों की शिक्षा दिक्षा तो दूर रही उनको तन ढंकने के लिये कपड़े तक नहीं मिलते हैं, यह अनुदान उस समाज को उठाने के लिये श्री बहुगुणा जी ने प्रस्तुत किया है। मेरा यह निश्चित दावा है कि इस उत्तर प्रदेश को आज जितना संवेदनशील और हरिजन वर्ग तथा गरीब वर्ग से जितना प्यार करने वाला मुख्य मंत्री मिला है इसके पहले कभी नहीं मिला है।

मैं विश्वविद्यालय के अलावा आल इंडिया शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेन्ट फेडरेशन का में प्रेसीडेन्ट भी रहा हूं और तब श्री बहुगुणा जी दिल्ली में थे मेरा सम्पर्क हुआ तब से आज तक मैंने उनसे बहुत चर्चा की है और मैंने अनुभव किया है कि उनको गरीबों से इतना प्यार है कि शायद मैं भी उतना प्यार गरीबों को न दे सकता। मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि यह हरिजनों का मामला है, मुंशी प्रेम चन्द्र की कहानी पढ़कर गरीबी का अनुभव करना और बात है और उस गरीब परिवार में पैदा होकर जीना और बात है। आज बड़े–बड़े लोग यहाँ तक कि इलाहाबाद और उसके पूर्व जिलों में चलते हुये कुत्ते को 'धत साले चमार' कहते हैं। तो ऐसे समाज को धिक्कार है जो उन गरीब हरिजनों को प्यार की नजर से नहीं देख सकते हैं मैं इसलिये प्रार्थना करता हूं कि श्री बहुगुणा जी ने बहुत कुछ हरिजनों के लिये किया है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें संबंध मुझे एक शेर याद आती है:—

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब काटा तो कतरा–ए खून न निकला।

मान्यवर अब मैं कुछ आँकड़ें प्रस्तुत करना चाहता हूं। हरिजन जाँच समिति १९७३ में बनी थी जिसके अध्यक्ष श्री बैजनाथ कुरील थे। वह रिपोर्ट श्री बहुगुणा जी के पास भेजी गई है। मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का जिक्र कर रहा हूं। इसमें कुल राशि जो व्यय हुई है उसका २.०५ प्रतिशत खर्च हुआ है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २.३० व्यय हुआ, तृतीय पंच वर्षीय योजना में १.८०, गर्व वर्ष में .४० और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में .७५ प्रतिशत खर्च हुआ। उसके बाद पंच वर्षीय योजना में उसका जो प्राविधान किया गया है वह .७ प्रतिशत है। जब कि हरिजनों की आबादी २१ प्रतिशत है

(व्यवधान)

[* * *]

[**] मा० श्री अध्यक्ष की अनुमति से निकाल दिया गया।

श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

मैं माननीय रेवती रमण सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो हरिजन अनुदान पेश किया है, बड़े अफसोस के साथ पेश किया है और आँसू भी बहाये हैं। मैं इसको हरिजन अनुदान न कहकर काँग्रेसी अनुदान कहूं या अधिकारीगण अनुदान कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इसके द्वारा काँग्रेस सरकार ने इन अनुसूचित जातियों को २७ वर्ष में भिखमंगा बना दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जो अधिकारी दोषी होगा मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में दो तीन बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष पुलिस ट्रेनिंग के लिये २ लाख रुपया का प्राविधान किया गया था। यह भूखे नंगे अनुसूचित जाति के लोगों के लिये था लेकिन उस रुपये में से सिर्फ ५,५०० रुपया ही खर्च किया गया और बाकी १ लाख ९४.५ हजार रुपया वापस कर दिया गया। यह कितना बड़ा पाप किया गया कि इन अधिकारियों ने उन भूखे नंगों के लिये स्वीकृत अनुदान को खर्च नहीं किया। इतना ही नहीं श्रीमन् ७१–७२ में विमुक्त जातियों के पुनर्वास के लिये इलाहाबाद जिला में ७५,००० रुपया स्वीकृत हुआ, लेकिन दो साल के बाद पूरा का पूरा रुपया वापस कर दिया गया। एक भी मकान नहीं बनाया गया। यह सरकारी आँकड़े मैं पेश कर रहा हूं। वहाँ के जिलाधीश ने यह माँग की कि हरिजन कल्याण अधिकारी को निलम्बित किया जाय लेकिन काँग्रेस सरकार ने निलम्बित नहीं किया बल्कि उनकी पदोन्नति की गई। इतना ही नहीं ।

सन् १९७२–७३ में अनुसूचित जातियों के पूर्व १० कक्षाओं के लिये स्वीकृत धन-राशि में से १ लाख से अधिक रुपया वापस हुआ। अकेले बरेली जिले से ३३,५०० रु० सरेन्डर किया गया। यह कितना बड़ा जघन्य अपराध था। मुख्य मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के प्रति कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। इतना ही नहीं एक हरिजन विभाग में राम चन्द्र शर्मा उप सचिव हरिजन कल्याण हैं। उन्होंने इन दो अधिकारियों को तरक्की देने की सिफारिश की। यही नहीं जो लोग हरिजनों पर अत्याचार करते हैं उन्हीं की तरक्की यह सरकार करती है। यह कितना बड़ा जघन्य अपराध है। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं। छुआछूत निवारण के लिये सन्, १९७३–७४ में १५,००० रुपया स्वीकृत हुआ था। उसमें से ७,००० रुपया एक नुमायश पर व्यय किया गया। वह रुपया ७३–७४ में न दिखलाकर ७२ में दिखलाया गया और वह रुपया जो ७२ में खर्च के लिये १०,००० रु० अलग से स्वीकृत था। अब ७,००० रुपया कहाँ गया। वह ७,००० रुपया एक हरिजन कल्याण में उप सचिव थे, उनकी लड़की की शादी में व्यय किया गया। क्या मुख्य मंत्रीजी इसकी जाँच करेंगे और दोषी लोगों को दंड देने की कृपा करेंगे। इतना ही नहीं शायद इस सरकार ने उनको भी तरक्की दी है। हमारे यहाँ हरिजन कल्याण में राम गोपाल निगम हैं। इन्होंने उन उप सचिव महोदय के कार्य में और लड़की की शादी के कार्य में सहयोग दिया इस कारण इनकी तरक्की की गयी। आश्रम पद्धति के स्कूलों में लड़कों के लिये दूध और खाने के लिये कुल ४० रुपये प्रति मास दिया जाता है जोकि बहुत कम है। उसके लिये प्रस्ताव किया गया, मांग की गयी, लेकिन रामचन्द्र शर्मा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार होने नहीं दिया। एक और बात कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण के संरक्षण और उत्तर रक्षा ग्रहों में जो ४० रुपये से बढ़ाकर ५० रुपये किये गये, इसके कुछ खास कारण हैं। मान्यवर, हरिजन सुपरवाइजर को १० रातें बाहर बिताने के आदेश हैं लेकिन उनको १० रु० से १५ रु० तक ही एलाउन्स दिया जाता है। इसे ५० रुपये होना चाहिये। मान्यवर, यह जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिये २/३ लोगों की एक कमेटी बनाई जाय जो यह देखे कि पैसा ठीक खर्च किया जाता है कि नहीं। इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। अवैतनिक लोग काम कर सकते हैं। उनको पूरा अधिकार दिया जाय कि जो वे फैसला करेंगे, और जो

मुनासिब समझेंगे, वह सजा देंगे। तभी अछूतों और अनुसूचित जातियों का कल्याण हो सकता, अन्यथा नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री मलखान सिंह सैनी—

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह वाले मसले पर चर्चा का और समय दें. . . . . .

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष—

नाम होने से क्या होता है। समय का भी तो ध्यान रखना है। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, उनमें कांग्रेस ६, बी० के० डी० ३, जनसंघ २, सोशलिस्ट पार्टी १ और कम्युनिस्ट पार्टी १ इस तरह से कुल ७ विरोधी दल और ६ कांग्रेस—कुल १३ का हो गया है।

*श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जिन साथियों ने आज भाषण दिया, उनमें ज्यादातर मा० सदस्यों ने हमारी बात की ताईद की। उन्होंने वे ही बातें कहीं जो हमने कहीं थीं। कुछ लोगों को एक रुपया वाली कटौती पर बड़ा विरोध है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं अगर वे मेरी बातों को गौर से सुने होते तो उन्हें मालुम होता कि मैंने जो कहा है कि हरिजनों के लिये जो प्राविधान इस बजट में किया गया है समाज कल्याण के लिये जो है, वह बहुत ही कम है। इससे उनका जो आब्जेक्शन है, वह खतम हो जाता है। जिन्होंने यह कहा है कि एक रुपया न कहकर बढ़ोत्तरी की माँग करते तो ठीक होता। तो मैंने तो टैक्स लगाने तक की बात कह दी। इसके अलावा जितने भी सदस्य उधर से बोले, उसमें एक-दो हरिजन सदस्यों ने जोरदार शब्दों म इस बात की माँग की है कि जितना हो रहा है वह बहुत कम है; और होना चाहिये। तो इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि स्वयं उनके दल में भी इस बात को लेकर लोगों में काफी गर्मागर्मी है कि जितने धन की व्यवस्था होनी चाहिये उतनी नहीं की गयी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मछआ संघ के लिये कुछ सुविधायें दी जायं। इसमें मल्लाह, झींगर तथा केवट आदि आते हैं। यह बड़े पिछड़े हुए हैं। उनको हरिजनों में ही रखा जाय क्योंकि उनकी हालत हरिजनों से भी ज्यादा खराब है। अगर उनको मछली मारने को नहीं मिलती है तो खाने को भी उनको नहीं मिल पाता है। सरकार से भी उनको कोई सविधा नहीं मिलती है। इसी तरह से मल्लाह हैं। जिस जमीन पर वे खरबूजे, तरबूज या ककड़ी बोते हैं और जाड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रेवती रमण सिंह]

में कहीं कहीं धान बो देते हैं वह जमीन उनको एलाट कर दी जाय। सरकार की तरफ से जो घाटों का नीलाम होता है इसके लिये यह प्राविधान कर दिया जाय कि घाट उनको ही नीलाम किये जाँय।

यह विभाग जिस तरह से फंक्शन कर रहा है उस तरफ भी माननीय मुख्य मंत्री ध्यान देंगे। अभी १० सिलेक्शन ग्रेड दिये गये इस विभाग में। कुछ सीनियर आफिसर्स को सुपर-सीड पर दिया गया और इसमें बड़ी धांधली चल रही है जिसकी वजह से इस विभाग में कोई अच्छा अफसर आने को तैयार नहीं होता। अगर यही हालत बनी रही तो इस विभाग का भविष्य क्या है इसका अन्दाज लगाया जा सकता है।

इस विभाग में हरिजन सेल भी है जो सारी बातों को देखता है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री के क्षेत्र में हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। रिपोर्ट उसकी नहीं लिखी गयी। एस० एस० पी० को लिखा गया। यह सेल क्या काम कर रहा है समझ में नहीं आता। प्रदेश भर के अखबारों में रोज सूचनायें निलकती हैं कि हरिजनों पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारी अथवा उस सेल के अधिकारी आज तक मौके पर नहीं गये। क्या अन्वेषण करते हैं, क्या जाँच करते हैं यह सही जानें।

हरिजन समाज कल्याण विभाग कल्याण विभाग के बारे में सदस्यों ने जो बात कहीं वह काफी हद तक ठीक हैं। जो ग्रान्ट इस को दी गयी है वह नहीं के बराबर है। जो १ से २५ रुपये तक का सर्टिफिकेट बनवा लेता है उसको ऋण या अनुदान दिया जाता है। आप जाँच करके देखें कि ज्यादातर आदमी जो ऋण अथवा अनुदान लेते हैं वे ऐसे लोग हैं जो साधन सम्पन्न हैं। लेकिन गरीब आदमी जो हैं उनको पैसा नहीं मिलता। आप देख कि लखनऊ अथवा किसी शहर में जो पढ़ता है उसकी आमदनी १ रुपय से लेकर २० रुपये तक कैसे हो सकती है? यह नियम कैसे बना दिया गया है यह मेरी समझ में नहीं आता। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा होती है। हरिजन, असहाय तथा फौज में मारे गये जवानों की विधवाओं को सिलाई की मशीनें दी जाती हैं। इसमें भी गड़बड़ी होती है। उन्ही लोगों को चुना जाता है जिनसे उनको कोष में पैसा मिलता है और उन दूकानों को चुना जाता है जिनसे उनको कमीशन मिलता है और बिना उसके उन्हें न तो अनुदान मिलता है और न मशीन ही मिलती है। इसकी जाँच यदि माननीय मुख्यमंत्री जी करायेंगे तो उन्हें पता चल जायेगा कि इसमें कितनी गड़बड़ी है।

मैं एक अनुरोध मंत्री जी से और करूंगा कि हरिजनों को जो नौकरियां आदि दी जाती हैं वे आबादी के अनुपात से ही उन्हें दी जायं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जहाँ पर हरिजन लोग रह रहे हैं उन्हें बड़ी-बड़ी यातनायें सहनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर निवेदन कर रहा हूं कि जहाँ पर हरिजन सैकड़ों सालों से रह रहे हैं वहाँ पर वही जगह उन हरिजनों को एलाट कर दी जाय और वहाँ पर उन्ह बदस्तूर कायम किया जाय जिससे आने वाले दिनों में उन्हें परेशान न किया जा सके और उन्हें एक अनिश्चित वातावरण में न रहना पड़े कि वहाँ से उन्हें हटा दिया जायगा। खास तौर से मैं जिला जालौन के बारे में कहना चाहता हूं कि वहाँ पर बड़ी धाधली चल रही है। वहाँ पर एक अमर चन्द माहेश्वरी विद्यालय है जिसमें कि दो साल से कोई वजीफा नहीं बाटा गया है, १९७२–७३ और १९७३–७४ में कोई वजीफा उस विद्यालय में नहीं बाँटा गया है। १ लाख ४० हजार वहाँ पर गया था और केवल ३० हजार रुपया ही बाँटा है बाकी जितना भी पैसा था वह अधिशासी अभियन्ता ने बिना जिलाधिकारी की परिमीशन के रिफन्ड करवा दिया। जिला जालौन में ही एक लाख रुपया मकान बनाने के लिए प्राविधान किया गया था लेकिन वहाँ पर न तो कोई मकान ही बना और न उस पैसे का कोई पता ही चला कि उसका क्या हुआ।

जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्रों में अलग–अलग धन देने की व्यवस्था की है उसी प्रकार बुन्देलखंड में भी १ करोड़ की व्यवस्था हुई है जो कि

आज की वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुये बहुत ही कम है। वह एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है और खास तौर से जहाँ से मुख्य मंत्री जी आते हैं वह बहुत ही पिछड़ा है। इसी प्रकार करछना और मेजा तहसील की हालत है। उसको डेवेलप करने के लिये मैं चाहता हूं कि जो १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है वह कम है उसे बढ़ाया जाय। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों के लिये १० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो कि बहुत ही अपर्याप्त है। वहाँ पर कोई इन्डस्ट्री खोलने का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। वहाँ पर कोई ऐसी फैक्टरी जैसे प्रोसेसिंग फैक्टरी आदि खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को नौकरी मिल सके। इसलिये जो असमानता वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं, वह न हो पाये इसके लिये मुख्य मंत्री जी उपाय सोचें और वहाँ पर छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगाये जायं। जैसे मुर्गीपालन, भेड़-बकरी पालन आदि जो छोटे-छोटे धन्धे हैं, वे वहाँ पर अवश्य खोले जायं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये जो १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उससे वहाँ का विकास सम्भव नहीं है। इसको बढ़ाया जाय ताकि आने वाले महीनों में वहाँ के पिछेड़पन को दूर किया जा सके।

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मुझे बोलने के लिये टाइम नहीं दिया गया है . . . मैं कई बार खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़े रहने पर रोक नहीं लगाता।

श्री एदल सिंह—

दो मिनट का समय चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। अभी माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरी इन बातों का समर्थन करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी को बाध्य करेंगे कि वे इन बातों पर अमल करें।

(धन्यवाद)

श्री एदल सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, मैं बोलना चाहता हूं आज सूबे में हजारों हरिजन भूखों मर रहे हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

यह हरिजन कल्याण विभाग नहीं है, यह हरिजनों के लुटेरों का एक गिरोह है, उससे हरिजनों का कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री एदल सिंह—

यहाँ ठाठ से तुलसी जयन्ती मनाई जा रही है।

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य अपने हाथ में एक कार्ड लिए थे, जिसे सदन में फाड़कर फेंक दिया।)

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अत्यन्त अशोभनीय व्यवहार है, बहुत ही अनुचित कार्य यह आपने किया है। जब कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, माननीय नेता विरोधी दल के कहने पर रखा गया है। उन्होंने (श्री रेवतीरमण सिंह) अपना भाषण समाप्त नहीं किया। वह बीच में खड़े हो गये। वह व्यवस्था का सवाल उठाते हैं। ४२५ सदस्य हैं, यदि सब खड़े हो जाएं और कहें कि उन्हें बोलने का मौका मिले तो कोई अध्यक्ष उनको समय नहीं दे सकता है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होना चाहिये। गलत मुद्दे पर व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इस तरह से कार्ड फाड़कर फेंकने का कार्य अशोभनीय है, इसकी निन्दा की जानी चाहिये

श्री केशरी लाल—

मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री एदल सिंह—

मुझे आपने समय बोलने का नहीं दिया आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऐदल सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरी लाल—

देखिए आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

बैठिए, इस तरह से नहीं होता है।

श्री केशरी लाल—

मैं सदन का त्याग करता हूं आपकी इस तानाशाही के विरोध में।

(श्री केशरी लाल सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, इस सदन में आज की चर्चा के सिलसिले में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और जो उन्होंने कहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने अपने-अपने विचार और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लीजिए.....

श्रम अध्यक्ष—

यह कब उठाना चाहिये, यह आपको समझना चाहिए

(व्यवधा)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट का समय बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

यह सवाल अधिष्ठाता के सामने उठाया गया था। इस पर मैंने अपनी आलोचना ठीक कर दी। अब आप सब लोग बैठिए।

(घोर व्यवधान)

अब इस पर मैं कह चुका हूं, यह अशोभनीय है, इस पर मेरी टीका आलोचना हो गई है। आप सब बैठिए।

श्री राम सेवक यादव—

मैं तो कहूंगा कि त्रिवेणी सहाय जी व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इसकी ओर दुर्दशा कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान और अव्यवस्था)

श्री त्रिवेणी सहाय—

एक बार भूप सिंह ने रामायण की प्रतियाँ फाड़ी थीं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी बड़ी गहरी अनभिज्ञता है समुद्र के गहराव जैसी। यह आपकी कितनी बड़ी ना-समझी का प्रमाण है। आप समझ नहीं रहे हैं। आप लिखकर दे दें। अधिष्ठाता के समय में वह सवाल उठा था, उस पर यथोचित कार्यवाही होगी।

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

ऐसा नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है। आप लिख कर देंगे तो उस पर विचार करेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे इस सम्बन्ध में.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस भारतवर्ष में नारियां सबसे अधिक पढ़ती हैं रामायण को, बाकी अर्थ निकालिए

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस सदन में अपना अपना दृष्टिकोण सब माननीय सदस्यों ने रखा। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस मुहकमे का कार्य किसी राजनीतिक दृष्टि से न तो किया जा रहा है न ही मैं आशा करता हूं कि इस माननीय सदन में और इस सदन के बाहर इस बड़ी समस्या को जो एक हिस्से में सामाजिक है, एक हिस्से में आर्थिक है, इस समस्या का कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोई दल चेष्टा करेगा।

(व्यवधान)

मैंने प्रस्ताव कर दिया था टाइम का।

मैं मान्यवर, सिर्फ तीन बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने हरिजनों के सम्बन्ध में कहते हुए यह कहा कि बजट में कमी है और रुपया रखना चाहिये। उदाहरण के लिये एक माननीय सदस्य ने हमको पकड़ा कि पुलिस प्रि-ट्रेनिंग के लिये, पुलिस में भरती से पहले जो ट्रेनिंग की जाती है, पहले दो लाख रुपया था, एक लाख इस साल रखा है

(व्यवधान)

इस साल आपने कम रखा, पिछले साल आपने खर्च नहीं किया, दोनों बातें अपनी जगह पर हैं। ज्यादा डिटेल में जाना सम्भव नहीं है, सूत्र में बोल रहा हूं। मान्यवर, स्पष्ट है कि ढाई करोड़ रुपया वजीफे का एक साल में इकट्ठा हमने बढ़ाया और जो हमारी कांग्रेस सरकारों के जमाने से १९६७ के पहले रेट्स थे वजीफे के उसको बीच में किसी भी सरकार ने नहीं बदला, उसका कोई असर इस बात पर नहीं आया कि इस साल ढाई करोड़, करीब-करीब दुगुने से ज्यादा हो उसके बराबर हमने दे दिया।

उसी प्रकार यह बात समझ में नहीं आयी कि बजट में ऐसी कोई मद है जिसमें पिछले साल से खर्चा न बढ़ाया हो, जिस मद में जितना रुपया खर्च करने की सम्भावना है उसको हमने रखा है। टालने के लिये न बजट में फीगर रखी है और न समझते हैं कि फीगर रख लें खर्च न करें, और बहाना हो जाय कि खर्च नहीं कर पायें। इतना मैं कहना चाहता हूं, हमारी इच्छा है कि जो हमारा पी० सी० एस० का ट्रेनिंग सेंटर या इंजीनियर्स की ट्रेनिंग का सेंटर, आई० ए० एस० का जो सेंटर इलाहाबाद में है, उसको व्यापक बनाने के लिये कुछ मदद करे उत्तर प्रदेश की सरकार की, हमारा उनका पत्र व्यवहार चल रहा है।

एक बात साधारणतया कही जाती है कि पता लगाएं कि कौन जमीन अच्छी है। क्या कहें ? विनोबा जी को जमीन दी, माननीय सदस्य जो करछना से आये हैं, बच्चे थे, छोटे से, जब १९५२ में मैं एम० एल० ए० हुआ था, उनके परिवार के लोगों ने भी जमीन दी थी। कौन सी जमीन दी थी वह नाबालिग थे, उनका कसूर तो है नहीं। विनोबा जी को लोगों ने धोखा दे दिया इस कदर.....

श्री रामसेवक यादव—

वही तो नहीं कर रहे हैं, विनोबा जी को दोहरा तो नहीं रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

विनोबा जी को कोई धोखा नहीं है, धोखा है उस विश्वास को जिसके कारण लोगों ने जमीन दी, ऊब-खाबड़, जिस तरह की जमीन दी गयी, भूदान की जमीन का जिस तरह से गड़बड़ हुई, हमने उत्तर प्रदेश की भूदान समिति से प्रार्थना की, सर्वोदय के लोगों से प्रार्थना की, तीन-चार महीने पहले मैंने, भूदान की जमीन का कुछ ठीक बन्दोबस्त हो जाय, हमारी जमीन का आलाटमेंट तो अधिकारियों के हाथ में है। भूदान समिति में तो अधिकारी नहीं होते हैं उसमें तो सर्वोदय के ही कार्यकर्ता होते हैं। बहरहाल ऊबड़-खाबड़, मोटी-पतली जमीन का सवाल नहीं है। हरिजनों और भूमिहीनों मे इतनी शक्ति है कि यदि रेवाइन्स भी दी जाय

तो उनको वह ठीक कर लेंगे। ऊसर जमीन को भी वह ठीक कर सकते हैं। गाँव की मुनासिब जमीन उनको देनी चाहिये लेकिन लोग कहते हैं कि यह ऊसर जमीन है, उनके बस की नहीं है, साधन सम्पन्न लोग कहते हैं कि यह बंजर जमीन है हमको देदी जाय। इस तरह की जमीन यदि हम हरिजनों को देंगे तो उनको आर्थिक मदद भी देंगे ताकि वह उस भूमि पर कब्जा कर के बस सकें

एक बात और कही गई कि हरिजनों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। माननीय सदस्य जो करछना से आये हैं जब कोई हरिजनों के सम्बन्ध में कोई शिकायत होती है।

(व्यवधान)

(इलाहाबाद वाला इलाहाबाद वाले की फिक्र रखेगा ही) जब कोई शिकायत माननीय सदस्य ने हरिजनों के संबंध में पढ़ी तो अधिकारियों के पास गये। मैं समझता हूं कि यदि हरिजनों के संबंध में कर्मचारियों के पास शिकायत आये तो बहुत जोरों के साथ काम कराना चाहिये। लेकिन जिन गाँवों में यह चीज होती है जब तक वहाँ की मोर्चाबन्दी नहीं करेंगे, जब तक वहाँ के लोगों के साथ बैठ कर बात नहीं करेंगे तब तक समस्या हल नहीं हो सकती है। जमीन पर जिस स्थिति से हरिजन गुजर रहा है और जब तक उसको जमीन में उसको सहारा नहीं मिलेगा तब तक उसकी समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि उसमें उसके चोट लगेगी। पुलिस कप्तान मुकदमा चलायेंगे और जो परिणाम निकलना होगा वह तो बाद को निकलेगा। लेकिन गाँव वाले उसको सतायेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह का व्यवहार उसके न होने पाये।

हम लोग देखते हैं कि कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भले ही काम जल्दी कर लें लेकिन गाँव में जाकर काम करना बहुत बड़ा काम है। उसको हम करेंगे। इधर के लोगों पर बड़ा उत्तरदायित्व इस काम को करने का। इसको हम करेंगे। मैंने आशा नहीं छोड़ी अभी तक आप लोगों की तरफ से भी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने इसलिये कह दिया कि वह आपके साथ हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माधव बाबू को मालूम नहीं है कि भीखा लाल जी पहली दृष्टि से देखते हैं कि किधर वह काम हो सकता है। जिधर उम्मीद होती है काम करते हैं। कांग्रेस की इन बेंचों पर जो लोग बैठे हैं, उन्होंने और इस पार्टी ने वचन दिया है कि इस समाज को ऊपर उठायेंगे। इसका हमारा पहला उत्तरदायित्व है। यदि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो हमारा इन कुर्सियों पर बैठने में कोई रस नहीं है। सब लोग एक ही मन के नहीं हैं और भी लोग हैं जिनकी दिलचस्पी है। लेकिन सवाल यह है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ हरिजनों की समस्या खड़ी कर देने से, हमारा चित्र खराब कर देने से, समस्या का हल नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि कैसे हम सब लोग जुड़ करके इस समस्या को हल करें। जहाँ मैंने कहा कि १८ फीसदी में से ९ इनका कोटा पूरा नहीं हुआ है वहाँ ५० परसेंट दे दिया जाय अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हर पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि जाँच कर लें, नवम्बर में फैसला लिया गया था। कोशिश यह की गयी विद्यार्थियों की हड़ताल करायी जाये। उनमें यह भावना उत्तेजित की गयी कि हरिजनों के अलावा बाकी को कुछ मिलेगा नहीं। मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाता हूं। मैं सदन में इस तरह की बात कहना नहीं चाहता। माधो बाबू

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सर हिला रहे हैं और आप भी हिला रहे हैं और बाकी तो पहले ही हिला चुके हैं। मान्यवर, थोड़ा समय बढ़ा. . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आसान है अपनी जिम्मेदारी को इधर टाल देना।

श्री अध्यक्ष—

१० मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय किसी को आपत्ति तो नहीं है

(कोई आपत्ति नहीं की गयीं।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सारे प्रदेश में हम हरिजनों को रिजरवेशन के मामले में उस स्थान पर लाना चाहते हैं। इस रिजरवेशन के मामले में किसी का ख्याल है कि इसको ३१ मार्च को खतम कर दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक ४५ प्रतिशत अनुसूचित जाति और ५ प्रतिशत जनजातियों का रिजर्वेशन पूरा नहीं होगा यह चलता रहेगा, जब तक कम से कम ९ प्रतिशत तक नहीं आ जाते हैं और इसके बाद हम फिर विचार करेंगे कि क्या रेट रखा जायेगा। मान्यवर, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हमारा एक संकल्प है इस बात का कि बचन दिया है कि १८ फीसदी का उसको किया जाये। ७१ की सेंसस के आधार पर यह प्रतिशत २१–२२ बैठता है। हम हमेशा के लिये ५० प्रतिशत नहीं कर रहे हैं। हम यह कर रहे हैं कि इनका हिस्सा जिन लोगो ने अब तक खाया है वह उनको मिले।

पहाड़ों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम कदम बढ़ाना चाहते हैं तेज और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के ढांचे को भी देखना पड़ता है और अगर हम एक तरफा कर देंगे तो सारे लोगो को साथ रखना मुश्किल होगा। पहाड़ी क्षेत्र में बन विभाग, हार्टी कल्चर और कृषि को बढ़ावा देना होगा। और जब तक इन विभागों में समन्वय नहीं हो जाता तब तक वहां के लोगो का भविष्य अंधकार में है। हमें टूरिज्म को बढ़ाना होगा मैं आशा करता हूं कि टूरिज्म बढ़ेगा और उस के न बढ़ने के आज जो सारे कारण हैं, उन कारणों को हम हटा सकेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों की जो आज शोभा है, पर्वतों की जो आज शोभा है, हम तो शंकराचार्य के कृतज्ञ हैं। आज लाखों इन्सान उसकी सुन्दरता को देखने के लिये जाते हैं। उसकी सुन्दरता के नाम पर, उसकी कठिनाइयों को देखने के नाम पर, उसको देखने लोग जाते हैं। आज ६ मील से महिला वहां पर पानी अपने पीने के लिये ले जाती हैं और पानी भर कर ले कर आती है। उसका पति फौज में है या वह मर गया है। पाठा क्षेत्र के पानी की कहानी दिल को रुला देने वाली कथा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा यह प्लान में दिखाया गया है, जब तक केन्द्र से सहायता नहीं मिलती है या कटौती हो गई तो उत्तर प्रदेश अपने संसाधनों से पूरा करेगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब मान्यवर, हाथी का बोझ घोड़ा कितना उठायेगा? मा० गोविन्द सिंह नेगी से यह कहूंगा कि वह यह सुझाव देते कि केन्द्रीय सरकार पर पूरा दबाव डाला जाय कि हमारे सूबे में जो साढ़े ९ करोड़ आदमी हैं, उसका ध्यान देते हुए, इस उत्तर प्रदेश की पूरी सहायता की जाय। अन्तिम बार मान्यवर, एक ही बात कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाने के लिये हमारे कुछ दुर्भाग्य हैं, जैसा कि किसी क्षेत्र विशेष के लिये कुछ ज्यादा और कुछ के लिये कम काम हो रहा है। पूर्वी, मध्य उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ इन

सब का एक पूरा चार्ट बना कर मा० सदस्यों को दे दूं ताकि मा०सदस्य की समझ में आ जाय। मध्य उत्तर प्रदेश की चर्चा भी नहीं हुई है और वह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हमारी चीनी मिलों क जो लोग हैं वे चालाकी से, क्योंकि वह चालाक होते हैं, अपने को पूर्वी क्षेत्र में रखा, जिससे कि वह पिछड़ा इलाका होने के नाते, उन्हें विशेष छूट मिले। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश में उतना काम नहीं हुआ है, मैं इसको इसलिये इस रूप में कह रहा हूं कि इस क्षेत्र को मदद मिले। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि शायद जब हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो बाकी इलाकों को भूल गया हूं। बदायूं में लिखने पढ़ने की कला बहुत अच्छी है। अगर आज हमारे असरार साहब चाहें तो १८९० की राईटिंग बिलकुल पता करवा सकते हैं। ऐसी लिखावट कर सकते हैं, बुरे काम के लिये इस्तेमाल नहीं करेंगे कि किसी का इस्तीफा लिखकर भेज दें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

वह पर्वतीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, लकिन आज तक आपने उसके लिये कुछ किया ही नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने बदायूं का नाम तो जानबूझ कर लिया। एटा भी है। शाहजहाँपुर बिसमिल्ला का वह शहर जहाँ वह कुर्बानियाँ हुई थीं, वह शहर शाहजहाँपुर भी मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। बदायूं में भी वही हालत है। मैंने बदायूं का नाम असरार साहब को खुश करने के लिये नहीं लिया। उनकी तकलीफ हल करने के लिये नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के कई भू-भाग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि सारे उत्तर प्रदेश की मेरी जानकारी रही है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सारे उत्तर प्रदेश को उठाने के लिये केवल पहाड़ को ही नहीं, केवल एक इलाके को नहीं, भरपूर कोशिश करेंगे। इन शब्दों क साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस कटौती के प्रस्ताव को, खास तौर पर इस विषय पर, वापस लेने की कृपा करेंगे क्योंकि एक तो इस पर बहस देर में हुयी और कटौती का प्रस्ताव भी उस पर हरिजन भाई ने ही पेश किया है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि वे इस अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और इन माँगों को स्वीकृत करेंगे?

श्री राम बचन यादव—

संविधान के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के संरक्षण के सिद्धान्त को आप मानते हैं या नहीं? दक्षिण के प्रदेशों में कांग्रेसी सरकारों ने ही किया है। उसका उत्तर नहीं दिया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय राम बचन यादव की बात के पहले माननीय राम सेवक यादव जी ने इस प्रश्न को उठाया था। संविधान की हर धारा को हम स्वीकार करते हैं। अगर संविधान की किसी धारा और किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हम अलग-अलग राय रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने पूरा नहीं किया। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन, दोनों को, दूर करने के लिये हर तरह से हमें प्रयास करना है। हमारे यहाँ सामाजिक पिछड़ी जाति के आधार पर और आर्थिक उत्पादन के साधनों की ओनरशिप के आधार पर है। माननीय राम बचन यादव जिनका और हमारा बहुत लम्बा साथ रहा है, वे मेरे विचार को जानते हैं, लेकिन इस सदन में वे जो कह रहे हैं, उससे इस वक्त कोई फायदा नहीं होगा।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हम इन प्रश्नों को अपने सामने रखेंगे चाहेवे हों और चाहे और लोग हों सब के लिये काम करेंगे।

मछुए भाइयों के सम्बन्ध में मैं राय दे चुका था, उसको दुहराया नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड में कोरी होते हैं। आगरा डिवीजन में और झांसी डिवीजन में। उनमें से कुछ हरिजन होते हैं कुछ गैर हरिजन होते हैं। इसी तरह से और सारे असन्तुलन हैं, उनको दूर करने के लिये हम जो कुछ कर सकेंगे, अवश्य करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

हमारे यहाँ देवरिया जनपद में एक हरिजन है। आपको आश्चर्य होगा कि इस बीसवीं शताब्दि में जो जिला परिषद् हैं, जिन्हें पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते थे ३० वर्ष से वह नौकरी कर रहा है पड़रौना में। उसे ३ रुपया महीना ही मिलता है नौकरी का। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर से कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

दूसरा निवेदन यह है कि यह "हरिजन" शब्द के लिये अपने-अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि यह हरिजन शब्द ४०० वर्ष पूर्व सबसे पहले इसकी व्युतपत्ति आचार्य रामानन्द ने की। उसके बाद संत कबीर हुए, संत मलूक हुए संत दादू हुए। ये उनके शिष्य थे बाद में जो गोस्वामी जी ने लिखा है, महात्मा गाँधी ने उनका अनुकरण किया है। उन्होंने लिखा है कि "हरिजन जानि प्रीति अतिबाढ़ी, सजलनयन पुलकावलि ठाढ़ी"। मेरी प्रार्थना है कि आप हर कार्यालय में इसको अंकित करवा दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, कौशिक जी से ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं किताबों का। क्योंकि वह सबको सहायता देते हैं, समझाते रहते हैं सार्वजनिक जीवन में, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि रामपाल यादव जी को समझा दें, बाकी काम हम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ३८। प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,१५,७८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ७२। प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७२—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,०७,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ४०। प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,६७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ४२। प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,५१,५१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ७४। प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७४ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७४—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

[श्री अध्यक्ष]

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,९२,१७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ९ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें एक माननीय दीपनारायण पाँडेय, माननीय राम गरीब, माननीय रघुराज सिंह, माननीय दीप नारायण ने गोंडा जिले के ग्राम ऐली परसौली, तहसील तरबगंज में उच्च जातियों द्वारा हरिजनों को पट्टे व ग्राम समाज की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा के संबंध में दी है। इसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकृत करता हूं। शेष अस्वीकार हैं।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
२५ जुलाई, १९७४।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखि। नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर छेंपी पृष्ठ १४० पर]

नकली चिक द० न० १११ मु० इ० नं० १२८, धारा १४७/३२३/३०७ भा० द० वि० थाना मंसूरी

नकल हिन्दी वादी

सेवा में श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय थाना मसूरी, मेरठ, श्रीमान् जी निवेदन यह कि आज हमारे ग्राम कि रमेश आदि को जिन्दल पाईप फैक्टरी के लोगों ने मारा था। ग्राम में इस वाके की खबर पाकर हम लोग जग्गू पुत्र रोहताश भवानी शंकर पुत्र बत्तर जाटव धर्म-पाल पुत्र चन्ना सिम्मन पुत्र सहवा भागमल पुत्र बद्धन जाटव कुमर पाल पुत्र अगसमी कुमार पाल पुत्र शंकर जाटव व फल सिंह पुत्र श्री राम हंसा पुत्र हरगू लाल और ग्राम के अन्य आदमी रमेश कह खबर लेने उनकी डेरी पर गये। यह वाका दिन के २ बजे का है जिन्दल फैक्टरी के लोग लोहे के व बासों की लाठियों से लैस थे। और पाँडे व वर्क्स मैनेजर व रामजीलाल व दो तीन अन्य आदमियों के पास रिवाल्वर तथा बन्दूके थी। जिन्दल वाले हमारे ग्राम की एल० ए० सी० की जमीन को हड़प कर रहे थे। जो हम लोग नहीं चाहते। इस वजह से जिन्दल फैक्टरी के आदमी हमसे दुश्मनी मानते थे। हम लोगों को वहाँ देखकर जिन्दल फैक्टरी वालों ने गालियाँ दी हमने गाली देने को मना किया हमार ग्राम के प्रधान तेजबीर सिंह व राम चन्दर पुत्र वाटी ब्राह्मण इन लोगों से मिले हुए हैं। वह भी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने जिन्दल के लोगो को भड़का कर हम ग्राम वालों पर गोली जान से मारने को चलवा दी जिसमें उपरोक्त सभी व्यक्तियों को गोली लगी तथा चोट आयी। इनके अलावा भी लोग सैकड़ों की तादाद में लेबर के मौजूद थे उन्होंने भी लाठियों व पाइपों से ग्राम वालों को मारा है? और चोट पहुंचायी है। हम लोग बचकर रिपोर्ट लिखाने आये हैं।

हमारे गवाहान उप प्रधान रत्न सिंह व श्री अगर व भीमा सिंह व रोहताश सिंह तथा ग्राम के अन्य आदमी मौजूद थे। जिन्होंन वाका देखा है। अतः प्रार्थना है कि मुलजिमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर खिलाफ कार्यवाही की जावे हमें भविष्य को अपनी जान का खतरा है क्योंकि उपरोक्त मुलजिमान एलान किया है कि जो व्यक्ति ग्राम परोपकारी करेगा हम जान से मार देगें।

प्रार्थी भागमल सिंह पुत्र बुद्धन जाटव ग्राम गालन्ब फजाईल नगर थाना मसूरी जिला मेरठ।

(ह०) भागमलसिंह दिनाँक १६-६-७४

लेखक ह० राज कुमार
है० मो०
प्रमाणित
क्षेत्राधिकारी गाजियाबाद।

नकल मुताबिक असल के हैं।
ह०/ मम चन्द्र १६-६-७४

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछ पृष्ठ १४६ पर)

(अ) रिपोर्ट के सभी सुझावों के निम्नलिखित १५ मुख्य विषय

(१) उत्तर प्रदेश विद्युत प्रणाली एवं उसका परिचालन।
(संस्तुति संख्या १ से १५)

(२) थर्मल विद्युत—गृहों का परिचालन एवं अनुरक्षण ।
(संस्तुति संख्या १६ से ४७)

(३) जल–विद्युत गृहों का परिचालन एवं अनुरक्षण।
(संस्तुति संख्या ४७ से ५६)

(४) विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित सामान्य समस्यायें।
(संस्तुति संख्या ५७ से ६८)

(५) पारेषण एवं वितरण प्रणाली का परिचालन एवं अनुरक्षण
(संस्तुति संख्या ६९ से ९०)

(६) पारेषण एवं वितरण छति ।
(संस्तुति संख्या ९१ से ११२)

(७) ग्रामीण विद्युतीकरण ।
(संस्तुति संख्या ११३ से १२८)

(८) वाणिज्य एवं राजस्व कार्य ।
(सस्तुति संख्या १२९ से १४०)

(९) सामग्री प्रबन्ध
(संस्तुति सख्या १४१ से १७६)

(१०) प्रायोजना कार्यान्वयन ।
(संस्तुति संख्या १७७ से १९४)

(११) परिकल्पना, अभियन्त्रण एवं परामर्श सेवायें।
(संस्तुति संख्या १९५ से २०१)

(१२) वर्तमान विद्युत की कमी ।
(संस्तुति संख्या २०२ से २११)

(१३) विद्युत नियोजन ।
(संस्तुति संख्या २१२ से २३४)

(१४) कार्मिक प्रशासन एवं जन शक्ति नियोजन
(संस्तुति संख्या २३५ से २४९)

(१५) प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था
(संस्तुति संख्या २५० से २८३)

(ब) उपरोक्त संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है

कार्यान्वित की जाने वाली कुल संस्तुतियों की संख्या	कार्यान्वित संस्तुतियों की संख्या जो लागू की गई	उन संस्तुतियों की संख्या जिनका अभी परीक्षण चल रहा है	उन संस्तुतियों की संख्या जिन्हें स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया
शासन स्तर पर			
५४	१७	३२	५ (संस्तुति संख्या १२२, २०९, २२२, २६५ तथा २६७)
राज्य विद्युत परिषद् स्तर पर			
२२९	२७	२०२	..
कुल संख्या २८३	४४	२३४	५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५४ पर)

मु० इ० नं० १६८ धारा १४७/१४८/३०२ ता०हि० थाना अकबरपुर, कानपुर

ता० घटना २८/२९-५-७४ समय दो ढाई बजे रात

ता० सूचना २९-५-७४ ४.३० ए० एम०

घटना स्थल ग्राम मेद ताहरपुर वसला २ मील पश्चिम

चिक न० १६२

ता० जाँच आरम्भ २९-५-७४

वादी पुत्तु लाल पुत्र रामेश्वर यादव नि० म०×मैदू ताहरपुर थाना अकबररपुर, कानपर।

बनाम सुखलाल पाल (२) राम भजन पाल पुत्र गण रामचरण पाल (३) पुत्ती पुत्र जगधर धानुक सा० मैदू ताहरपुर थाना अकबरपुर व ३ आदमी और नाम पता अज्ञात शक्ल शिनाख्त

विवेचनाधिकारी एस० ओ० साहब श्री एस० एन० मिश्रा

नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय थाना अकबरपुर, जिला कानपुर,

श्रीमान् जी निवेदन है कि आज रात में मैं व मेरा भाई रजित सिंह अपने टियूब बेल पर जो गाँव से उत्तर तरफ करीब ४ फर्लांग खेत पर है रोजाना की तरह लेटे थे। दो ढाई बजे रात ६ आदमी मेरे टियूब बेल पर आये। हम दोनों के पास आने पर लेटे ही लेटे उन लोगों को टोका कि कौन है तो सुखलाल ने कहा हम लोग हैं।मैंने टार्च की रोशनी उन पर डाली तो मैं व मेरे भाई ने पहचान लिया कि मेरे गाँव के सुखलाल व रामभजन पुत्रगण रामचरण पाल व पुत्ती पुत्र जगधर धानुक थे। तीन और आदमी थे जिनको नहीं पहचान सके। उसकी शरत शकल देखी है आते ही मेरे भाई को रामभजन व पुत्ती व दोनों और साथियों ने दबा लिये और सुखपाल व और अन्य एक साथी ने हमको दबा लिये। मेरा भाई रणजीत सिंह मुझसे तगड़ा था और चारों मुल्जिमान मेरे भाई से हाथा पाई करने लगें। पुत्ती ने कहा कि रामभजन अब क्या देखते हो साले को चाकू से अतड़ियाँ निकाल लो कि रामभजन जिसके हाथ में चाकू था मेरे भाई को मारने लगा मेरे भाई को कोरिया लिया था जिसको मुल्जिमान छुड़ाते रहे तथा मुल्जिमान ने छुड़ा लिया लेकिन मेरे भाई ने पुत्ती की लाठी छीन ली थी इसी बीच शोर पर गवाहान बाबूराम पुत्र मन्नी यादव राजाराम पुत्र द्वारिका यादव सा० पचनार बगिया जो अपने आम के पेड़ रखा रहे थे और खलिहान में लेटे जालिम सिंह पुत्र बल्देव सिंह राम सिंह पुत्र बल्देव सिंह यादव व और बहुत से आदमी पचनार बगिया के दौड़कर मौके पर आ गये और ललकारा तो मुल्जिमान पश्चिम की तरफ भाग गये कि भागते समय ही मेरे भाई ने लाठी चलाई जो किसी के लगी है। मुल्जिमान से मेरी पुरानी रंजिश चली आ रही है। मुल्जिमान का पीछा हम सबने किया लेकिन हाथ नहीं आये और पश्चिम की तरफ भागे चले गय। मुल्जिमान का एक जोड़ी जता व एक लाठी व एक जीप टार्च दो सेल की मौके पर छूट गयी है मौके पर मौजूद है। तो इसके बाद हम सबने अपने भाई को देखा और बातचीत की तो एक चोट चाकू के उसके दाहिने कंधे पर व एक पेट में थी और मेरे भाई ने भी मौके पर मौजूद सभी लोगों के सामने बतलाया कि मुझे रामभजन ने चाकू मारा है तथा उसने भी ऊपर लिखे मुल्जिमानों को बताया। उसके चोट पर तौलिया वा अंगोछा बांध दिया था भाई को थाने लाने के लिये बैलगाड़ी का इन्तजाम किया गया कि इतने में मेरे भाई की हालत ज्यादा खराब हो गयी और

प्राण निकल गये मुल्जिमान को मैंने व सभी गवाहान टार्चों की रोशनी में अच्छी तरह देखा व पहचाना है अपरिचित तीनों लोगों को सामने आने पर पहचान सकते है और बाकी तीनों गाँव के ही है। लाश को व कुछ लोगों को मौके पर छोड़कर रिपोर्ट करने आया हूं जरूरी कार्यवाही की जाय। प्रार्थी पुत्ती लाल यादव पुत्र रामेश्वर यादव सा० ताहरपुर मंदू थाना अकबरपुर, जिला कानपुर ता० २९–५–७४ ई० द० हिन्दी पुत्तूलाल लेखक रामसनेही यादव ग्राम कचनार, बगिया मजरा ज्योति, थाना अकबरपुर, कानपुर।

नकल मुताबिक असल है।
सफीउल्ल खां का० मु०
७–७–७४

लेखक एफ० आई० आर०
हरेन्द्र नारायण सिंह० का० मु०
थाना अकबरपुर, कानपुर
२९–५–७४

विद्यालय पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(दखिय तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १५७ पर)

तालिका (अ)

मिर्जापुर जनपद में वर्ष १९७३–७४ में हरिजन अनुदान से निर्मित भवनों का विवरण

ग्राम का नाम	मकानों की संख्या	ग्राम का नाम	मकानों की संख्या
१—बभनी	१	३६—रामगढ़	१
२—खोतो महुआ	१	३७—बटउआ	१
३—करकछी	१	३८—शिवपुर	१
४—बजिया	१	३९—धारा	१
५—देउरी	१	४०—भईला	१
६—काचन	२	४१—नेठी	१
७—जामयानी	१	४२—बरईपुर	१
८—बघमनवा	१	४३—चितरहाँ	१
९—डुमरा	१	४४—परारा	१
१०—रजखड़	१	४५—रामपुर	१
११—रामलीला डाड	१	४६—हाँखापुर	१
१२—बीडर	१	४७—हिनाती	१
१३—बागेमती	१	४८—रामपुर	२
१४—डमर	१	४९—सरैया	१
१५—रामगढ़	२	५०—गरखंडी	१
१६—बिल्ली	१	५१—सागरवना	१
१७—बरदिया	१	५२—बेलवन	१
१८—खलखन	१	५३—छियाव	१
१९—रार्वट्स गंज	१	५४—बधवाँ	१
२०—खसठर	१	५५—कनकसराय	१
२१—नई बाजार	१	५६—नागढ़ा	१
२२—बामपोखर	१	५७—भैरोदयाल	१
२३—इमिलिया	१	५८—डामलगंज	१
२४—मगहरी	१	५९—खिरहटकलाँ	१
२५—चेपई	१	६०—वलसी	१
२६—हरथर	१	६१—मानिकपुर	१
२७—मनठहवा	१	६२—ढपुरवा	१
२८—डोरिया	१	६३—चोल्ह	२
२९—खलियारी	१	६४—कोटवा	१
३०—मुबारकपुर	१	६५—दीपनगर	१
३१—ददरा	१	६६—कुशहाँ	१
३२—डलहाडोल	१	६७—कुलना	१
३३—तेन्दुआकलाँ	१	६८—नगरहा	१
३४—डगनगपुर	१		
३५—खरा	१	योग ..	७२

अविजय पटेल सभा

तालिका (ब)

५३,५००.०० ऋण योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की संख्या

१—कल्यानपुर	३
२—पहाड़ीपुर	१
३—भटवा की पोखरी	१
४—भैंसहिया टोला	१
५—रमईपटी	१
६—महली	२
७—बीडर	१
८—दुहटी	१
९—शिल्पी	१
१०—धनहापुर अहरौरा	१
११—तेतरियापुर	१
१२—बड़ांगाँव	१
योग	१५

तालिका (स)

जयन्ती ग्रामों की सूची

ग्राम (जयन्ती)	बनते मकानों की संख्या
राजापुर	५
भरपुरा	४
विजयपुर	४
बील्ह	४
कनकसराय	४
बरोधा	५
लालगंज	४
लुरकुटिया	४
रंपुरिया	४
बरईपुर	४
खरा	४
सोनबरता	४
रामगढ़	५
सेमरिया	५
सजउर	५
खमाव	५
कोटा	५
धनौरा	५
बपकी	५
म्योरपुर	५
योग	९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के स्वतंत्रा सग्राम सेनानियों के नाम व पते की सची, जिनके पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन हैं

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम व पता
१	श्री राम नरायन पुत्र श्री शिव चरन लाल, ग्राम मुहम्मदपुर, पोस्ट बुढ़नी तहसील, घाटमपुर जिला कानपुर।
२	श्री गया प्रसाद पुत्र श्री रघुनन्दन लाल, ग्राम पठेवा, पोस्ट रार, घाटमपुर
३	श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पुत्र श्री गया चरण बाजपेयी, ग्राम रावतपुर, तहसील घाटमपुर।
४	श्रीमती चन्द्रावती शुक्ला पत्नी श्री शिव नाथ शक्ल, ग्राम व पोस्ट पतारा, थाना व तहसील घाटमपुर।
५	श्री शिव नारायण सिंह, पुत्र श्री दरबारी सिंह, ग्राम हुहरु, पोस्ट गुलेला, तहसील घाटमपुर।
६	श्री लक्ष्मी नरायन सिंह पुत्र श्री दरबारी सिंह, ग्राम हुहरू, पोस्ट गुलेला, तहसील घाटमपुर
७	श्री गंगा गिरि पुत्र श्री कन्हई गिरि, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट पतारा, थाना व तहसील घाटमपुर
८	श्रीमती भगवनिया विधवा श्री माखन, ग्राम पालीखेड़ा, थाना व तहसील घाटमपुर
९	श्री बाल गोविन्द पुत्र श्री छोटा कुर्मी, ग्राम पासी खेड़ा थाना व तहसील घाटमपुर।
१०	श्री बुद्धू पुत्र बालकिशन उर्फ पुरन, ग्राम रार, पोस्ट व थाना घाटमपुर।
११	श्री झुर्रा पुत्र श्री गयादीन, ग्राम बरौखी, थाना घाटमपुर।
१२	श्री नबाब सिंह पुत्र श्री मंगली सिंह, ग्राम बरईगढ़, थाना नरवल, तहसील घाटमपुर।
१३	श्री बाबूराम पुत्र श्री मुक्ता प्रसाद उर्फ राम प्रसाद, ग्राम बरनाव, तहसील घाटमपुर
१४	श्री रघुनाथ प्र साद पुत्र श्री राम रतन, ग्राम सियूदारा, पोस्ट व तहसील घाटमपुर।
१५	श्री राम लाल सिंह पत्र श्री भैरों सिंह, ग्राम लुटरा, थाना सजेती, तहसील घाटमपुर
१६	श्रीमती चन्दन देवी विधवा श्री राम जीवन तिवारी, ग्राम व पोस्ट पतारा, तहसील घाटमपुर।
१७	श्री राम नाथ पुत्र श्री साधो, ग्राम तिवारीपुर, थाना घाटमपुर।
१८	श्री कल्यान पुत्र रघुनाथ सहाय, ग्राम बेंदा, थाना व पोस्ट घाटमपुर।
१९	श्री छोटे सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, ग्राम हरबंशपुर, तहसील घाटमपर।
२०	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री बाले सिंह, ग्राम हरबंशपुर, तहसील घाटमपुर।
२१	श्री भगवान दीन पुत्र श्री बुधई, ग्राम हथेरवा, थाना घाटमपर।
२२	श्री छोटे लाल उर्फ राम आजाद, पुत्र श्री कामता उर्फ शिव प्रसाद, ग्राम व पोस्ट उमरी, थाना घाटमपुर

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम व पता
२३	श्री गोपी चरन पुत्र श्री शिव गोपाल उर्फ राम बिहारी बाजपेयी, ग्राम व पोस्ट रावतपुर, थाना घाटमपुर।
२४	श्रीमती गिंदिया विधवा श्री जगन्नाथ, ग्राम भोजेपुर, थाना सजेती, तहसील घाटमपुर।
२५	श्रीमती रम्मी कुंवर पत्नी श्री गुलाबसिंह उर्फ छुट्टू सिंह, ग्राम बेहटा बुजुर्ग, पोस्ट पासीखेड़ा, तहसील व थाना घाटमपुर।
२६	श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री भैरों सिंह, ग्राम तिवारीपुर, पोस्ट साठ, तहसील घाटमपुर।
२७	श्री राम भरोसे पुत्र श्री कन्हई, ग्राम धौकलपुर, पोस्ट लालपुर, थाना घाटमपुर।
२८	श्री साहब लाल पुत्र श्री पहलवान, ग्राम सबदलपुर, पोस्ट डेरापुर, तहसील घाटमपर।
२९	श्री शिव सहाय पुत्र श्री नरायण, ग्राम खुचकीपुर, पोस्ट उमरी, थाना घाटमपुर।
३०	श्री मैकू पुत्र श्री देवी दयाल, ग्राम बेंदा, थाना घाटमपुर।
३१	श्रीमती सहोद्रा विधवा श्री शिवदेव सिंह, पोस्ट अमौर, थाना नरबल, तहसील घाटमपुर।
३२	श्री कालिका सिंह पुत्र श्री बल्देव सिंह, ग्राम बेहटा बुजुर्ग, पोस्ट पासीखेड़ा, थाना घाटमपुर
३३	श्री भिखारी लाल पुत्र श्री सीता राम, ग्राम हरीपुर, पोस्ट उमरी, तहसील घाटमपुर।
३४	श्रीमती तुलसा देवी विधवा श्री मंगली, ग्राम बावन, तहसील घाटमपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

तालिका (क)

दिनाँक १०–५–७४ से १०–६–७४ तक इलाहाबाद जनपद में व्यक्तियों के कतल हुये उनके नाम और पते ।

क्रम-संख्या	थाना		मृतक का नाम व पता
१	खुल्दाबाद	..	श्याममोहन गुप्ता २७ सी मिहालापुर थाना खुल्दा-
२	अतरसुइया	..	बाद उषा मालवीय निवासी खुशहाल पर्वत–थान अतरसुइया ।
३	कैंनिगटन	..	मिस्टर जौजफ डिसूजा, निवासी ५ कलाइव रोड थाना कैंनिगटन ।
४	कैंनिगटन	..	रामचन्द्र निवासी ३७२ सदर बाजार कैंट ।
५	हंडिया	..	श्रीमती रजवन्ती, निवासी वीरापुर, वधोबहा थाना हंडिया ।
६	कोराव	..	नरहर सिंह उर्फ छोटे सिंह निवासी भगतपुर, थाना कोराव ।
७	नैनी	..	श्रीमती लालमनी, निवासी चक रघुनाथ थाना नैनी ।
८	बारा	..	अमरजीत सिंह, नि० भोज, थाना बारा
९	नैनी	..	रतन लाल, नि० मवइया, थाना नैनी ।
१०	धूरपुर	..	बैजनाथ, निवासी पकरी, थाना धुरपुर ।
११	कोखराज	..	बाबूली निवासी काजू, थाना कोखराज ।
१२	मंझनपुर	..	रमपत, निवासी धन्ना का पुरवा मजरा टेवा, थाना मंझनपुर ।
१३	मंझनपुर	..	पुन्नी कुम्हार, निवासी कहारन का पुरवा, थाना मंझनपुर
१४	सैनी	..	लालता प्रसाद, निवासी सौरई खुर्द, थाना सैनी ।
१५	पुरा मुफती	..	अज्ञात व्यक्ति ।
१६	सराय अकिल	..	माता बदल, निवासी चकथोड़ा, थाना सराय अकिल

तालिका (ख)

जनपद इलाहाबाद में दिनाँक १०–५–७४ से १०–६–७४ तक जिन व्यक्तियों के यहाँ डकतियाँ पड़ीं उनके नाम व पते

क्रम-संख्या	थाना	व्यक्ति का नाम जिसके यहाँ डकैती पड़ी और गाँव का नाम
	तवाली	श्री दशरथी लाल, निवासी ३५९ निर्मल नगर, थाना कीडगंज ।
	कर्नलगंज	चीफ प्राक्टर, श्री आर० एस० गुप्ता, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

क्रम-संख्या	थाना		व्यक्ति का नाम जिनके यहां डकैती पड़ी और गांव का नाम
३	मऊआइमा	..	श्री मुरली, नि० बहादुर पुर, थाना मऊआइमा।
४	नवाबगंज	..	श्री रामनिहोर, नि० टोड़ी का पुरवा, थाना नवाबगंज
५	थरवई	..	श्री गनेशी लाल, नि० सिकन्दरा, थाना थरवई
६	सराय ममरेज	..	श्री राम निहोर, निवासी शीरो, थाना सराय ममरेज।
७	मुफती	..	श्री राजा राम, निवासी मन्नारी, थाना पुरामुफती।
८	सराय अकिल	..	श्री छैदीलाल पासी निवासी बतगुड़ी पुरवा, थाना सराय अकिल।

तालिका (ग)

२७-५-७४ को रेलवे स्टेशन ज्ञानपुर रोड व जंगीगंज के मध्य ट्रेन के जिस डिब्बे में डकैती पड़ी उसमें ३ महिलायें एवं ६ पुरुष यात्रा कर रहे थे जिनके नाम व पते इस प्रकार हैं :—

१—हरीराम तिवारी, मकान नं० डी० ५३/५४ मुहल्ला लक्षा, थाना दशाश्वमेध, वाराणसी

२—कालिन्दी प्रसाद श्रीवास्तव, मुख्य लिपिक, अमला विभाग, वाराणसी खंड, वाराणसी

३—श्री विश्वनाथ, सा० व थाना मगहा गोरखपर

४—श्री रामनाथ यादव, सा० लखीपुर, थाना बरहज, देवरिया

५—श्री सत्य नारायण गूप, इन्सट्रक्टर इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट दारानुपई, जी० पी० आई० ए० पी०।

६—श्री मिश्री लाल हरखोड़ा, थाना गगड़ा, गोरखपुर।

७—श्रीमती बीना देवी बहेन श्री हरीराम तिवारी पता उपरोक्त।

८—श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री कालिन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, पता उपरोक्त।

९—श्रीमती गीता देवी सरहज श्री कालिन्दी प्रसाद श्रीवास्तव पता उपरोक्त।

डकैती की घटना के बार में पुलिस को प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार निम्नांकित व्यक्तियों का सामान आदि लूटा गया। प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये गये विवरण के अनुसार लट गये माल की कीमत दी हुई है—

१—हरीराम तिवारी तथा उनकी बहन श्रीमती बीनादेवी की सम्पत्ति जो लूटी गई लगभग १,७९९ रु०

२—श्री कालिन्दी प्रसाद श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी तथा सरहज श्रीमती गीतादेवी की सम्पत्ति—१७,००१ रुपया मय बैंक ड्राफ्ट

३—श्री विश्वनाथ की लूटी गई सम्पत्ति का मूल्य ३० रुपया तथा घड़ी

४—श्री राम नाथ यादव की लूटी हुई सम्पत्ति मूल्य २१५ रु०

५—श्री सत्य नारायण की लूटी गई सम्पत्ति मूल्य ९६० रु०

६—श्री मिश्री लाल की लूटी हुई सम्पत्ति नकद ६५ रुपया मात्र

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

१ अप्रैल, १९७४ से २८ मई, १९७४ के मध्य इलाहाबाद जिले में हुई हत्याओं की घटनाओं में मृतक के नाम व पते।

१—जैनुद्दीन पुत्र खलीलउद्दीन, निवासी दिलावलपुर, थाना नवाबगंज।

२—श्रीमती रजवन्ती पत्नी बबऊ भुजवा, निवासी नीरापुर धोबहा, थाना हंडिया।

३—श्री नरहर सिंह निवासी भगतपुर, थाना कोराव।

४—श्याम बिहारी पुत्र शिव किशोर, निवासी बसही, थाना करछना।

५—श्री महाबीर सिंह पुत्र रनबमन, निवासी पिपराव, थाना करछना।

६—शारदा प्रसाद पुत्र शिव अधार, निवासी अलखोरी, थाना शंकरगढ़।

७—श्रीमती लालमनी पत्नी मानिक चन्द्र, निवासी चक रघुनाथ, थाना नैनी।

८—रतनलाल पुत्र परसोत्तम लाल, निवासी मवईया, थाना नैनी।

९—महादेव प्रसाद पुत्र श्याम लाल यादव, निवासी जनका थाना पूरामुफ्ती।

१०—खड़क सिंह पुत्र ललक सिंह, निवासी खटगिया, थाना पूरामुफ्ती।

११—एक शव पुरुष नाम पता अज्ञात।

१२—धरम सिंह उर्फ ननकूसिंह पुत्र रामदास, निवासी उपरोक्त, थाना सराय आकिल।

१३—भइया लाल पुत्र शिव मनोरथ, निवासी सेरवा, थाना सराय आकिल।

१४—मदनमोहन पुत्र शिव शंकर दुबे, निवासी अनवा, थाना सराय आकिल।

१५—माता बदल सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, निवासी बकौढ़ा, थाना सराय आकिल।

१६—बाबू जी सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी काजू, थाना कोखराज।

१७—छोटवा पासी पुत्र बदल पासी, निवासी ग्राम थाम्मा, थाना मंझनपुर।

१८—राम प्रसाद पुत्र खदल लोध, निवासी ग्राम थाम्मा, थाना मंझनपुर।

१९—रम्पत लोध पुत्र बल्देव लोध, निवासी चन्ना का पुरवा मौजा टेबा, थाना मंझनपर।

२०—श्याम मोहन गुप्त, पुत्र बैजनाथ प्रसाद, निवासी २७ सी निहालपुर, थाना खुल्दबाद।

२१—श्रीमती उषा मालविया पुत्री रमा शंकर मालविया, निवासी खुशहाल पर्वत, अतरसुइया।

२२—रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, पुत्र बल्देव प्रसाद, निवासी सलोरी, थाना कर्नलगंज।

२३—जौंजफ डिसूजा पुत्र एडवर्ड डिसूजा, ५ क्लाइव रोड थाना कैनिंगटन।

२४—मकसूद आलम निवासी अहमद गंज, थाना खुल्दाबाद।

२५—मोहन लाल निवासी ४९६ कसाब टोला, थाना कीडगंज।

२६—आबिद पुत्र साबिर, निवासी ५१० बहादुर गंज, थाना मुठ्ठीगंज।

२७—राम प्रताप पुत्र गया प्रसाद, निवासी खलासी लाइन कीडगंज।

२८—राम लखन द्विवेदी, पत्र प्रभुनाथ द्विवेदी, निवासी सरसंडी, थाना बारा

डकैती की घटनाओं में मृतक के नाम व पते

१—रामनिधि निवासी चकरा, थाना हंडिया ।

२—श्रीमती केवला पत्नी श्री राजाराम कुरमी, निवासी सिमुरियापुर, थाना नवाबगंज।

३—मेड़ी लाल पुत्र प्रभू, निवासी करनाल का पुरवा, थाना पुरामुफ्ती।

४—हनुमान दास निवासी मौजा बेहनपुरवा, थाना पश्चिम शरीरा ।

५—माता बदल निवासी मौजा बेहनपुरवा, थाना पश्चिम शरीरा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—एल० १२४ वि० सभा—(१५७९)—१९७५—८४५ ।